ISSN-0971-8397

योजना

विशेषांक

दिसंबर 2010 विकास को समर्पित मासिक मूल्य : 20 रुपये

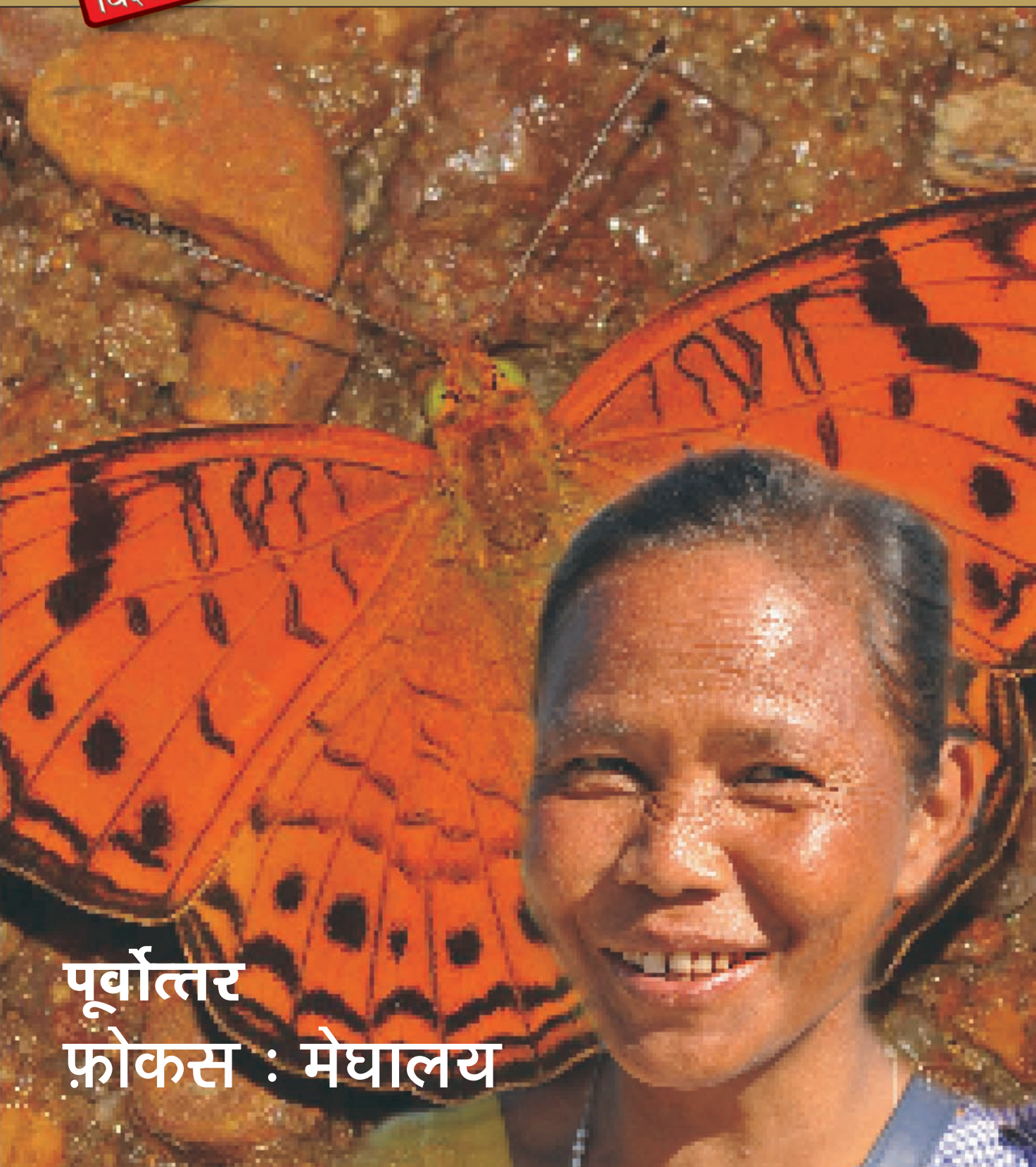

पूर्वोत्तर फ़ोकस : मेघालय

राष्ट्र नमन करता है

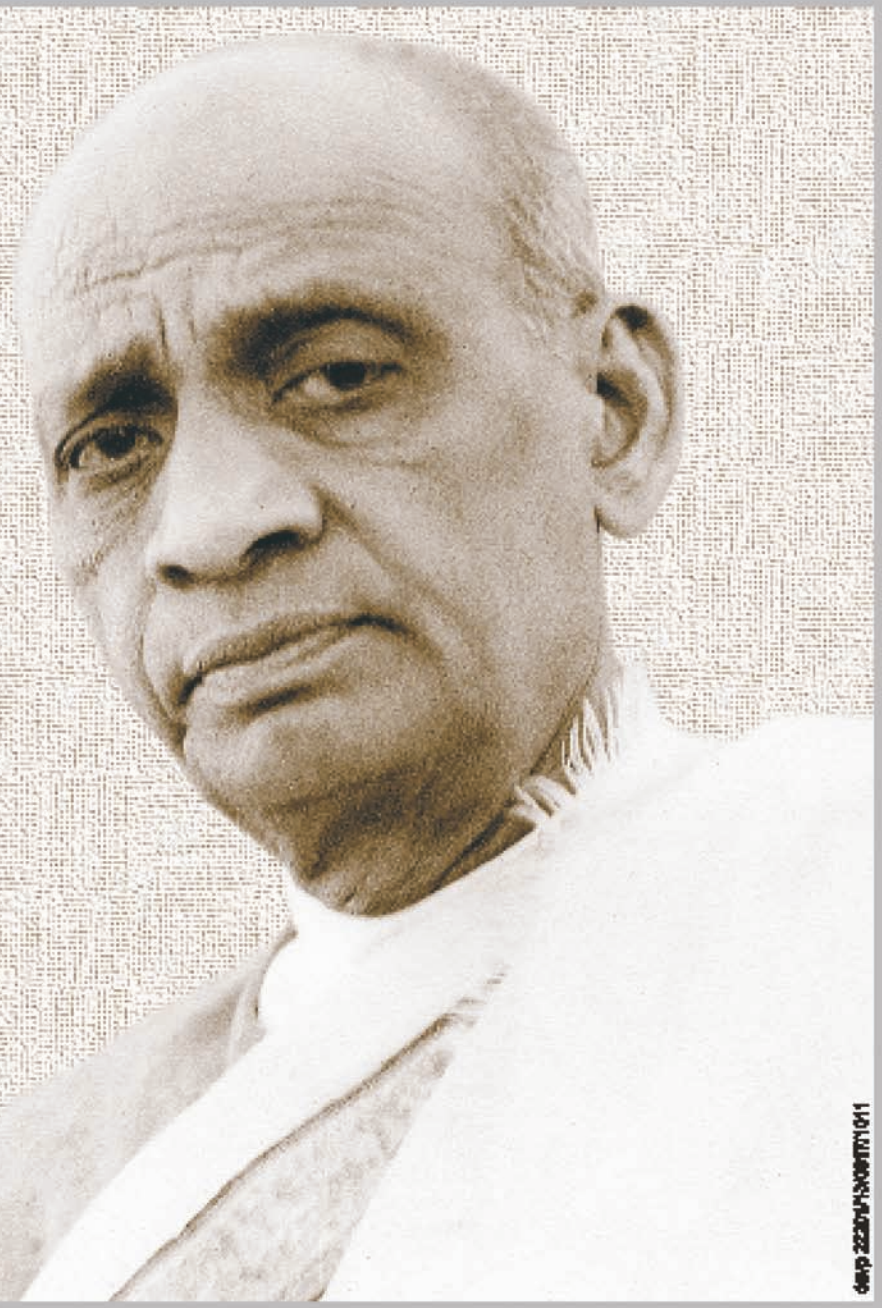

सरदार वल्लभभाई पटेल

31 अक्तूबर 1875 - 15 दिसम्बर 1950

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

YH-12/10/7

योजना

वर्ष : 54 ● अंक : 12 ● दिसंबर 2010 ● अग्रहायण-पौष, शक संवत 1932 ● कुल पृष्ठ : 76

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23717910, 23096738
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
जे.के. चंद्रा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण : **आशा सक्सेना**

इस अंक में

संपादकीय	–	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूल सुविधा विकास	सुरेंद्र कुमार	7
आपदा ज़ोखिम और आकलन	पी. पी. श्रीवास्तव	11
विकास के लिए नवाचार: आशा की नौकाएं	संजॉय हजारिका	15
मेघालय के गांवों का सशक्तीकरण	फ्रीमैन खरलिंगदोह	17
पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला एवं आजीविका मुद्दे	पैट्रीसिया मुखिम	21
नैसर्गिक सौंदर्य में गिरावट का दौर	राजू दास	24
मातृ सत्तात्मक समाज का उदाहरण है मेघालय	चंद्रभान यादव	27
मेघालयवासियों का सौंदर्यबोध और मानवाधिकार	कन्हैया त्रिपाठी	29
पूर्वोत्तर भारत में मानव विकास : समीक्षात्मक मूल्यांकन	पुरुषोत्तम नायक शांतनु रे	32
पूर्वोत्तर भारत में परिवहन तंत्र	अरविंद कुमार सिंह	38
लैंड ऑफ राइजिंग सन को जानने का वक्त	रहीस सिंह	41
पर्यावरणीय विकास सुनिश्चित करने की पहल	देवेन्द्र उपाध्याय	45
पूर्वोत्तर भारत में ढांचागत बुनियादी विकास	सुदाम कोरडे	47
विकास हेतु सड़क संपर्क को बढ़ावा	नन्दिनी	49
क्या आप जानते हैं? : पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-विविधता	–	51
भारत-अमरीकी संबंध नयी ऊंचाइयों पर	सुरेश अवस्थी	53
मानव अधिकारों का समाजशास्त्र	सरोज कुमार शुक्ल	55
अनुकरणीय पहल : फ़सल वाले तालाब	रंजन के पंडा	59
शोधयात्रा : विकलांग व्यक्तियों हेतु बहुपयोगी बैसाखी	राकेश कुमार पात्र	61
निजी क्षेत्र में विकलांगों के लिए रोज़गार	विनोद कुमार मिश्र	63
ख़बरों में	–	68
जहां चाह वाहं राह : स्वावलंबी बनाने का अनूठा प्रयास	आशुतोष कुमार सिंह	69
नये प्रकाशन : कटु यथार्थ से टकराती कहानियों का नया संसार	प्रतिभा	71

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

ज़रूरत दूसरी हरित क्रांति की

योजना के अक्तूबर '10 अंक में देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या पर विस्तार से विचार किया गया है। देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या बहुत गंभीर है। यह सत्य है कि आज भी करोड़ों भारतीय घरों में दोनों शाम चूल्हे नहीं जलते। इसका कारण देश में अनाज की कमी नहीं, बल्कि अनाज वितरण तंत्र की गड़बड़ियां हैं। हालांकि साठ के दशक में हुई हरित क्रांति के कारण देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन यह भी सही है कि देश के पूर्वी भाग यानी बिहार, प. बंगाल, असम, ओडीसा और अन्य पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हुई। कृषि मंत्रालय का मानना है कि अभी भी पूर्वी भारत के राज्यों में अनाज उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि भारत सरकार ने इन्हीं राज्यों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समस्या के दूसरे पक्ष पर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस रफ़्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उसके मुताबिक़ आने वाले 15-20 वर्षों में देश में कम-से-कम 35 से 40 क़रोड़ टन खाद्यान्न की ज़रूरत होगी। जबकि अभी देश में कुल मिलाकर 22 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसी से खाद्य सुरक्षा की समस्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खुशी की बात है कि केंद्र सरकार इसके लिए सचेत हो चुकी है। अभी हाल ही में कोलकाता में कृषि मंत्रालय ने पूर्वी राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन का जायज़ा लेने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की थी। यहां इस समस्या की भयावहता को देखते हुए दूसरी हरित क्रांति का आह्वान किया गया।

एक बड़ी समस्या अनाज वितरण की भी है। जन वितरण प्रणाली में कई ख़ामियां हैं। उसमें सुधार की ज़रूरत है।

गोविन्द शर्मा
पटना

खाद्यानों की सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा अहम है, चाहे वह विकसित देश हो या अविकसित देश। 'भूख का पसरता बाज़ार' नीलू अरुण का लेख महत्वपूर्ण लगा, उसी तरह 'खाद्य सुरक्षा : एक ज्वलंत समस्या' में लेखिका अनिता मोदी ने जहां खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा उसके व्यवस्थापन एवं बंटवारे पर ज्यादा ध्यान दिया है, वहीं अर्चना श्रीवास्तव ने अपने लेख 'भूख की भयावह होती आग' में कहा है कि किस तरह से खाद्यान्न का स्तर ग्रामीण भागों में कम हो रहा है। संपूर्ण अंक खाद्यान्नों की सुरक्षा, व्यवस्थापन, उत्पादन बढ़ाने और गांव के हर तबक़े तक उसकी पहुंच के उद्देश्यों पर केंद्रित है।

राहुल पाडवी
नंदुरबार, महाराष्ट्र
ई-मेल : rahul.Padvi9@gmail.com

सारगर्भित अंक

योजना का अक्तूबर 2010 अंक पढ़कर खाद्य सुरक्षा की ज्वलंत समस्या के बारे में जानने को मिला। विनोद शुक्ल का लेख, 'भारत में खाद्य सुरक्षा : चुनौतियां एवं संभावनाएं' बहुत अच्छा लगा। साथ ही राष्ट्रीय गौरव बन चुकी एम.सी. मैरीकॉम और खेल जगत की अन्य हस्तियों के बारे में भी पढ़ने को मिला। अंत में 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई। कुल मिलाकर यह अंक सारगर्भित लगा।

दिलावर हुसैन कादरी
मेहराबाद, जैसलमेर, राजस्थान

कृषि भूमि को बचाना ज़रूरी

अक्तूबर 2010 अंक पढ़ा, पसंद आया। अंक में शामिल 'खाद्य सुरक्षा' पर दिए गए सभी लेख अच्छे लगे। इस अंक में खाद्य पदार्थों जैसे– गेहूं, चावल, दाल आदि के उत्पादन, भंडारण व वितरण के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। सरकार द्वारा ग़रीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उनके लिए कम मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण के संबंध में तथा खेती व उसमें आ रहे बदलावों एवं घटती जोत के बारे में भी जानकारी है। अंक से मुझे खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी मिली। परंतु भंडारण की व्यवस्था नाकाफ़ी होने की वजह से लाखों क्विंटल अनाज सड़ जाता है, जैसाकि इस वर्ष हुआ। आज हमारे देश में लाखों लोग दो वक़्त के भोजन के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे क़मा पाते हैं। ग़रीबी और कर्ज़ की वजह से कई किसानों ने तो आत्महत्या कर ली। सरकार को ऐसे ग़रीब किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सरकार को अनाज वितरण प्रणाली पर भी पूरी नज़र रखनी चाहिए, ताकि उसकी कालाबाज़ारी रोकी जा सके, साथ ही जमाखोरों के लिए सख़्त-से-सख़्त सज़ा और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

जनसंख्या बढ़ने के चलते आवास की समस्या बढ़ रही है और भू-माफ़ियों की नज़र अब कृषि भूमि पर है। आज कई शहरों में विकास के नाम पर हज़ारों एकड़ कृषि भूमि पर बड़े-बड़े कारखानें बना दिए गए हैं। अगर कृषि भूमि पर इसी प्रकार से निर्माण कार्य चलता रहा तो देश में अन्न उगाने के लिए जगह कहां से बचेगी? अन्न मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है तथा कृषि भूमि को बचाने के लिए कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा देनी चाहिए।

महेन्द्र प्रताप सिंह
अल्मोड़ा, उत्तराखंड

कृषि शोध को व्यापक बनाना ज़रूरी

भोजन हमारी मूल आवश्यकता है। इसके अभाव में मानव का सर्वांगीण विकास असंभव है। इसी वजह से खाद्य सुरक्षा एक ज्वलंत मुद्दा है। *योजना* का अक्तूबर 2010 अंक खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है जो इस दिशा में सार्थक दिशानिर्देश करने में सफल रहा। यह अकाट्य सत्य है कि हमारे देश के नीति निर्माताओं ने आर्थिक प्रगति की होड़ में कुछ अव्यावहारिक नीतियां बनाईं थीं जिनसे हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अपने उर्ध्वगामी मार्ग से भटक गई और खाद्य सुरक्षा रूपी विकराल समस्या उत्पन्न कर गई। हरित क्रांति के बावजूद भारत की खाद्यान्न उत्पन्न करने की क्षमता तथा उत्पादकता में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि हम तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं और प्राय: मानवीय पहलुओं को भूल जाते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हरित क्रांति के बाद भी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है। मेरे विचार से खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि शोध को व्यापक बनाना होगा। किसानों की आय तथा कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को बढ़ाना होगा। अंक में एम.एस.स्वामीनाथन ने खाद्य सुरक्षा का अर्थ तथा उसे उपलब्ध करने के समुचित मार्गों की व्याख्या की है जो अनुकरणीय है। साथ ही, रहीस सिंह, नीलू अरुण, नवीन पंत, संदीप दास, मदन सबनवीस, ओ.पी. शर्मा, अनिता मोदी, अर्चना श्रीवास्तव, सुधीश कुमार पटेल तथा विनोद शुक्ला ने खाद्य सुरक्षा के अलग-अलग पक्षों पर यथोचित प्रकाश डाला है। *योजना* का उक्त अंक अपने उद्देश्यों को बड़ी ही ईमानदारी से व्यक्त किया है। संतुलित तथा विचारोत्तेजक संपादकीय तथा ज्ञानवर्द्धक आलेखों के लिए संपादकीय टीम को धन्यवाद।

प्रवीण कुमार शर्मा
दिलावरगंज, किशनगंज, बिहार
ई-मेल : prabinkr.s@gmail.com

सही वक़्त पर सही अंक

खेती के मौसम में आपने कृषि पर आधारित आलेख छापकर सही वक़्त पर सही अंक निकाला। वैसे भी कृषिमंत्री के बयान को ज्यादा वक़्त भी नहीं हुआ है। भुखमरी के लिए हमारे देश के लोग खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि न तो वे सजग हैं, ना ही उन्हें चीज़ों-संसाधनों की कोई कद्र है। आज सरकार भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए बहुत कुछ कर भी रही है। लेकिन पंचायत स्तर पर हमारे जो सरपंच, पंच एवं वार्ड पंच हैं वे सिर्फ़ औपचारिकता निभा रहे हैं और पदों का उपयोग अपने निज़ी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। ऐसे में कोई करे तो क्या करे? रही बात महंगाई की, तो जैसे-जैसे दलालों, भू-माफियाओं, भ्रष्ट-प्रशासकों, व्यापारियों का संगठन मज़बूत होता जा रहा है, खाने-पीने की चीज़ें आम आदमी के लिए उतनी ही दुर्लभ होती जा रही हैं। अब वक़्त समय रहते चेतने का है।

सुखदेव सिसौदिया
जेरला, बाड़मेर, राजस्थान

इच्छाशक्ति का अभाव

दुर्भाग्य की बात है कि छब्बीस सबसे ग़रीब अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा ग़रीब लोग केवल भारत के आठ राज्यों (उ.प्र., मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, प. बंगाल एवं राजस्थान) में रहते हैं। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि इन देशों में कुल ग़रीबों की संख्या 41 करोड़ हैं, जबकि केवल भारत के आठ प्रदेशों में 42.1 करोड़ ग़रीब जनता हैं। ऐसा लगता है कि खाद्यान्न वितरण की कारगर व्यवस्था के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा राजनयिकों में इच्छाशक्ति का अभाव है। सरकार चाहे कितने ही दावे क्यों न करे, सरकारी योजनाओं और यहां तक की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के मामले में अपेक्षित संकल्पशक्ति रत्तीभर भी नज़र नहीं आती। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में की जा रही लापरवाही। यह सोचना निरर्थक ही होगा कि प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जबावदेह बनाए बगैर सरकारी योजनाओं पर सही तरीक़े से अमल किया जा सकता है। सरकार दावे के साथ कहती है कि देश में ग़रीबी कम हो रही है, संपन्नता बढ़ रही है। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ीक़त की बात करें तो ग़रीबी लगातार बढ़ रही है, और संपन्नता के दावे एकदम खोखले साबित हो रहे हैं।

सचिन सिंह 'उपवन'
महानगर, लखनऊ, उ.प्र.

खाद्य सुरक्षा पर ख़तरा

मैं *योजना* का अप्रैल'09 से नियमित पाठक हूं। खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित अक्तूबर अंक के सारे लेख काफी ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाने वाले अत्यंत विचारनीय लगे। संपादकीय हर बार की तरह ज्ञानवर्धक और उत्साहित करने वाला है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व के समक्ष खाद्य संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों में खाद्य पदार्थों की क़ीमतों में 83 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा पर ख़तरा मंडरा रहा है। देश की संपूर्ण जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन का सूत्रपात्र 1969 में किया। उसके बाद 1960 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में भी स्पष्ट रूप से खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ग़रीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जिसके अंतर्गत दोहरी कीमत प्रणाली संरचना को क्रियान्वित किया गया। केंद्र सरकार ने भुखमरी की त्रासदी को ध्यान में रखकर 2001 में पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों की स्थापना करने की घोषणा की ताकि देश को भुखमरी, कुपोषण व अल्पपोषण जैसी भयावह समस्याओं से मुक्ति मिल सके। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, मनरेगा, रोज़गार आश्वासन कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आदि का शुभारंभ किया जिसका ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान है। इन योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर लिखा गया सुधा कुमारी का लेख ज्ञानवर्धक लगा। निस्संदेह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुए हैं। इसके अलावा इन केंद्रों के कारण मातृत्व मृत्युदर, शिशु मृत्युदर आदि में कमी आई है।

कन्हैया त्रिपाठी, अनिता मोदी, नीलू अरुण, संदीप दास, नवीन पंत, विनोद शुक्ला के लेख भी काफ़ी ज्ञानवर्धक लगे।

अमित कुमार गुप्ता
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

Sh. Dinesh Trivedi
Hon'ble Minister of State for Health & Family Welfare

Sh. Ghulam Nabi Azad
Hon'ble Minister of Health & Family Welfare

Sh. S. Gandhiselvan
Hon'ble Minister of State for Health & Family Welfare

11th WORLD SIGHT DAY 2010

on 14th October, 2010

"World Sight Day is an international day of awareness, held annually on the second Thursday of October to focus attention on the global issue of avoidable blindness and visual impairment. 2010 marks a mid-point in the 20 years initiative.

"Reaching the Doorstep of People to Restore Sight"

Major Achievements under NPCB

- Performance of Cataract Surgery has improved from around 49,05,619 during 2005-06 to 58,00,000 during 2009-10.
- Performance of Cataract Surgery with IOL implantation has also improved from 90% in 2005-06 to 95% in 2009-10.
- Around 5,05,843 free spectacles were provided to school children with refractive error in 2009-10 as against 3,85,403 spectacles in 2005-06.
- Collection of donated eye for corneal implantation has also improved from 28,007 in 2005-06 to 46000 in 2009-10.
- 350 Surgeons trained in various super-specialities all over India.

Services available FREE OF COST in District Hospitals, Medical Colleges, Regional Institutes of Ophthalmology and selected NGO hospitals:

- ✓ Check-up of Eyes
- ✓ Cataract operation with IOL (Lens)
- ✓ Spectacles for needy children
- ✓ Screening & treatment of Diabetic Retinopathy, Glaucoma, Corneal Opacity, Squint, etc.

India is committed to the global initiative of "Vision 2020 Right to Sight."

NATIONAL PROGRAMME FOR CONTROL OF BLINDNESS
Ministry of Health & Family Welfare, Directorate General of Health Services
Nirman Bhawan, New Delhi – 110108. (www.npcb.nic.in)

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

संपादकीय

दिसंबर वैसे तो वित्त वर्ष का अंतिम माह नहीं होता, परंतु प्राय: अनछुए विषयों का लेखा-जोखा देखने का यह एक अच्छा अवसर होता है। इन विषयों में से एक है– पूर्वोत्तर भारत, आठ राज्यों का वह क्षेत्र जो आज भारत की नयी आर्थिक सीमा बन गई है। इस वर्ष इस क्षेत्र का हिसाब-क़िताब देखने का एक और बेहतर कारण भी है। प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के लिए ज़ोरदार प्रयास करने को कहा है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें केवल परिवहन का साधनभर नहीं होती। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास की आधारशिलाओं के रूप में काम करती हैं। भौगोलिक और संभवत: नीतिगत कारणों से इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार काफी कम रहा है। विमान सेवाएं भी सभी आठ राज्यों की कौन कहे, एक राज्य की भी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क विस्तार क्या आकार ग्रहण करता है, उसी से इस क्षेत्र की विकास गाथा लिखी जाएगी। सड़कें न केवल इस क्षेत्र की विकास यात्रा कहानी का अभिन्न अंग है, बल्कि उसकी प्रगति का प्रमुख सूचकांक भी है।

पूर्वोत्तर राज्य अपने में कुछ दिलचस्प विरोधाभास छिपाए हुए है। इनमें से कुछ की जनसंख्यात्मक विशेषताएं जैसे कि उच्च शिक्षा दर काफी शानदार है जिससे यह पता चलता है कि उनको यहां शिक्षा की सुविधाएं आसानी से सुलभ है। इसी के साथ, यह भी एक सच्चाई है कि इन सभी राज्यों की शिशु मृत्युदर काफी ऊंची है, क्योंकि मां और बच्चे के इलाज़ के लिए अस्पतालों की सुविधा बहुत कम है। पूरे क्षेत्र में वनों का आधिक्य है और उनमें वनस्पतियों और फल-फूलों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्यों के विकास के लिए इन वनों की कटाई करनी होती है, क्योंकि इसके विकल्प अत्यंत सीमित हैं।

क्षेत्र के अन्य प्रमुख मुद्दे आदिवासी और जनजातीय जीवन पद्धति को बनाए रखने को लेकर हैं। क्षेत्र की विविधताओं को समझने के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं है। यही यहां की पूंजी है। परंतु विकास की अनिवार्यताएं प्राय: जनजातीय संस्कृति के अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। जबकि सबको पता है कि क्षेत्र की भलाई और विकास के लिए आधुनिक विज्ञान और शिक्षा का लाभ मिलना आवश्यक है।

समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की इन्हीं अनिवार्यताओं की बेहतर समझ के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए क्षेत्र के विकास हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय को जो कार्य सौंपा गया है वह इस संदर्भ में सर्वथा अनूठा है कि वह किसी एक राज्य अथवा योजना पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वरन पूरे क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर काम करता है।

भारत के विकास में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र का विकास क्या आकार लेता है उसी से भारत की विकास यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए इस क्षेत्र का विकास और उसकी समझ भारत की विकास गाथा की महत्वपूर्ण कुंजी है। इन राज्यों में मेघालय की केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि इसकी सीमाएं प्राय: सभी अन्य शेष राज्यों के साथ लगी हुई हैं। इसीलिए हमने इस राज्य को आपकी पत्रिका के पूर्वोत्तर विशेषांक केंद्र में रखा है। हमारे सुधी पाठक इसको पसंद करेंगे, ऐसी आशा है।

हमारी कामना है कि नव वर्ष आप सबके लिए सुखद और समृद्धिदायी हो। ❑

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

प्रारंभिक परीक्षा-2011 के संदर्भ में

आवश्यक जानकारी!!!

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार 2011 से प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रारूप बदल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में अब दो अनिवार्य पत्र होंगे। **पहले पत्र** में वे सभी भाग सम्मिलित होंगे जिन्हें आपने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा है। परंतु **दूसरा पत्र** आपके लिए बिल्कुल नया है। आप इस पत्र के शीर्षकों के नाम देख सकते हैं :

★ Comprehension; ★ Inter-Personal Skills including Communication Skills; ★ Logical Reasoning and Analytical Ability; ★ Decision-Making and Problem-Solving; ★ General Mental Ability; ★ Basic Numeracy (Class X level), Data Interpretation, Data Sufficiency (Class X level); ★ English Language Comprehension Skill (Class X level).

क्या आप अचंभित हैं? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप घबराए हुए हैं? क्या आप भ्रमित हैं? क्या आप...

आपको और अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है।

BSC (Banking Services Chronicle)

की टीम आपको इस कठिन परिस्थिति से निकालने के लिए उपस्थित है।

★ टीम को इस क्षेत्र का 17 वर्षों का अनुभव है।

★ टीम में शामिल हैं मशहूर लेखक जैसे—एम. टायरा (Quicker Maths), एम.के. पाण्डेय (Analytical Reasoning), चेतनानंद सिंह (English is Easy), प्रभात-जावेद (Non-Verbal Reasoning), के. कुन्दन (Commonsense Reasoning) एवं अन्य कई।

★ टीम उपलब्ध करा रही है : क्लासरूम कोचिंग, पत्राचार कोर्स, मॉक-टेस्ट श ंखला एवं एक विस्त त अध्ययन सामग्री।

क्लास रूम कोचिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में) के लिए संपर्क करें :

दिल्ली : **मुखर्जी नगर :** फो. : 011-64703671, 09999398128, 09015089453; **बेर सराय :** फो. : 011-65697770, 09953736391; **गणेश नगर :** फो. : 011-65252855, 65252856, 65252857; **द्वारका :** फो. : 011-65166405, 9958348225; **रोहिणी :** फो. : 09891126109, 09968559576

पटना : **राजेन्द्र नगर :** फो. : 0612-2683671, 3210588; **बोरिंग रोड :** फो. : 0612-3210589, 09835789252

(i) **पत्राचार कोर्स + 30 मॉक-टेस्ट** (फीस : ₹ 6600, अवधि : जनवरी से अप्रैल);

(ii) **30 मॉक-टेस्ट** (फीस : ₹ 3300, अवधि : फरवरी से अप्रैल); **"BSC Correspondence Course (P) Ltd."** के पक्ष में एवं "दिल्ली" में देय **डिमांड ड्राफ्ट** निम्नलिखित पते पर भेजिए :
"BSC Publishing Company (P) Ltd., C-37, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, Delhi–110092; Ph.: 011-65252855, 65252856, 65252857".

Chandigarh: Ph: 0172-2772727 (M): 9216545844.

Join the club of winners before your competitors do.

विस्त त विवरण के लिए हमारी मासिक पत्रिका पढ़ें : **"Banking Services Chronicle"**

YH-12/10/13

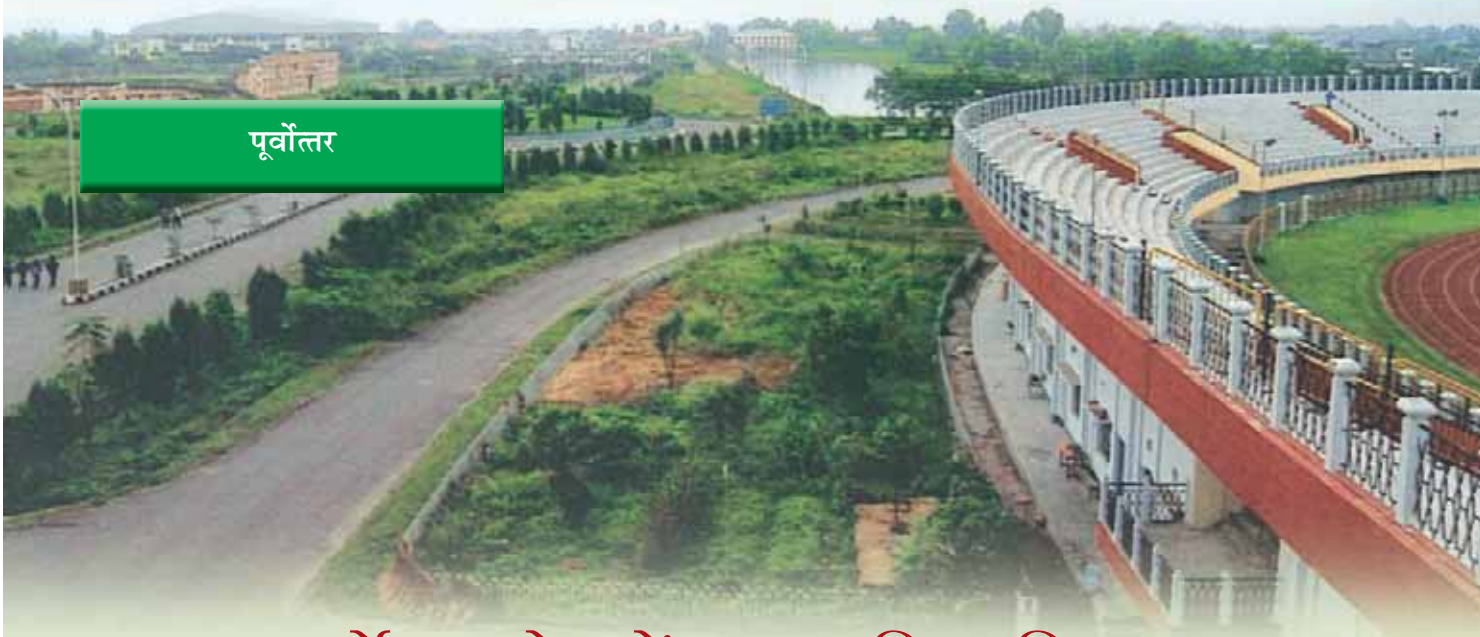

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूल सुविधा विकास

● सुरेंद्र कुमार

क्षेत्र के समग्र विकास को परिभाषित लक्ष्यों, स्पष्ट परिणामों, कार्य नीतियों और समन्वित नियोजन के जरिये सुनिश्चित किया जा सकता है और ऐसा करके इसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है जिसके बाद यह राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक योगदान कर सकेगा

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यह 2,62,179 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 8 प्रतिशत के बराबर है। 2001 की जनगणना के अनुसार इस इलाक़े की आबादी 3 करोड़ 90 लाख है जो भारत की कुल आबादी के 3.8 प्रतिशत के बराबर है। यह क्षेत्र दुनिया के जैव-विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है और यहां पूरे देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस क्षेत्र में छोटी-बड़ी अनेक नदियां हैं और यह खनिज संसाधनों तथा वनस्पतियों और जीव-जंतुओं से भरपूर है।

आज़ादी से पहले इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। लेकिन वर्ष 1947 में देश के बटवारे के बाद इस क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य बाक़ी प्रदेशों से भिन्न हो गया। यह देश की मुख्यभूमि से 27 किमी संकरे सिलिगुडी कॉरीडोर से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद यहां मूल सुविधाओं की कमी देखी गई जिसके चलते संसाधनों की कमी आई और जिसका आर्थिक-सामाजिक विकास पर असर पड़ा।

बुनियादी ढांचा विकास इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और समृद्धि तथा वहां पर निवेश के माकूल माहौल तैयार करने के लिए पूर्व शर्त होती है। बुनियादी ढांचा जैसे कुशल परिवहन तंत्र, दूरसंचार और बिज़ली व्यवस्था तथा सुलभ ब्राडबैंड कनेक्शन क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आवश्यक सेवाएं देने और रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए जहां ये बहुत ज़रूरी है वहीं स्थिर और शांतिमय समाज की स्थापना के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अतः कहा जा सकता है कि क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए यह नितांत ज़रूरी है।

भारत की माननीय राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के एजेंडे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में बुनयादी ढांचा विकास पर विशेष रूप से ज़ोर देना जारी रखेगी ताकि इस क्षेत्र को देश के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के अलावा और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस इलाक़े में निजी क्षेत्रों के द्वारा पूंजी निवेश के माकूलों माहौल बनाने के उपाय कर रही है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय को सौंपा गया एक प्रमुख कार्य यह है कि वह इन राज्यों में मूल सुविधा विकास को आसान बनाए। इसके लिए एक खत्म न होने वाला केंद्रीय संसाधन पूल बनाया गया है जिसका इस्तेमाल करते हुए यह मंत्रालय क्षेत्र की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। यह मंत्रालय केंद्र सरकार और राज्य के अन्य मंत्रालयों द्वारा योजना बनाने और परियोजनाओं को सुकर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। इन कोशिश का नतीज़ा है कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है।

नीचे के अनुच्छेदों में हम इस क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचों पर नज़र

डालेंगे। परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन और अंतरदेशीय जल परिवहन, बिज़ली, दूरसंचार। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास के विशेष प्रयास किए गए हैं।

परिवहन

इस क्षेत्र को देश के शेष भागों से जोड़ने में परिवहन का बहुत महत्व है। यह गुज़ारे की खेती से नक़दी कमाने की खेती करने के लिए किसानों को तैयार करने की प्रस्तावित योजना का एक प्रमुख भाग है और इसके जरिये ही उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का नियोजित विकास हो सकता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भूभाग पहाड़ी है। जनसंख्या का घनत्व कम है जिससे पर्याप्त संचार साधनों का महत्व बढ़ जाता है।

सड़क और पुल

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क संपर्क अनेक मापदंडों के अनुसार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। पुलों की संख्या कम हैं और अनेक पुल लकड़ी से बनाए गए हैं जिन पर भारी वाहन चलाना मुश्किल पड़ता है और जिनकी मरम्मत के लिए बड़ी रक़म ख़र्च करनी पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सड़क तंत्र में सुधार लाना और उनका विस्तार करना ज़रूरी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती है जो इस बात से ज़ाहिर है कि केंद्र सरकार 11वीं योजना अवधि में सड़क क्षेत्र पर भारी पूंजी निवेश करने का इरादा रखती है। सड़क विकास का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही इस क्षेत्र के सभी गांव पक्की सड़कों से राज्य मुख्यालयों के साथ जुड़ जाएं। वहां चार लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं जो राज्य मुख्यालय तक जाएं। गांव से ज़िला मुख्यालय तक दो लेन की सड़कें बनाई जा रही है। सड़क निर्माण के प्रमुख कार्यक्रमों में एसएआरडीपी- एनई, पूरब-पश्चिम गलियारा, एनडीपी-2 और 3, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम शामिल हैं। इस इलाक़े में लकड़ी के पुलों के स्थान पर पक्का पुल बनाने और पैदल आने-जाने के रास्ते विकसित करने को प्राथमिकता दी जाती है।

एसएआरडीपी-एनई का प्रमुख उद्देश्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने वाली सड़कों को सुदृढ़ करना है। हर राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय राजमार्ग से कम-से-कम दो लेन वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी तरह जिला मुख्यालय वाले शहर अगर पहले ही राजमार्गों से जुड़े नहीं हैं तो उन्हें एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के तहत जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना में 9,740 किमी लंबी सड़कें बनाने अथवा उन्हें सुधारने का प्रस्ताव है और इसे 2017 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

एनएचडीपी-2, पूरब-पश्चिम गलियारे का उद्देश्य 678 किमी लंबी चार लेन वाली सड़क के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंच मार्ग को सुधारने की योजना है। ये सड़क श्रीरामपुर और सिल्चर के बीच होगी। एनएचडी (चरण 3) के अंतर्गत राज्य राजधानियों को पूरब-पश्चिम गलियारों के जरिये जोड़ा जाएगा। यह गलियारा चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से गुवाहाटी को सिल्चर से जोड़ता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम विकास विभाग की एक अन्य ध्वजवाहक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मोटर चल सकने लायक सड़कों से जोड़ना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी इलाक़ा है, यहां बस्तियां दूर-दूर हैं जिसे देखते हुए इस क्षेत्र के लिए योजना के मापदंड शिथिल कर दिए गए हैं। इस योजना के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्राम विकास की रफ्तार तेज़ हो रही है और गांवों को शहरों और कस्बों से जोड़ा जा रहा है।

रेलवे

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल तंत्र काफी कम है और देश के रेल तंत्र के मुक़ाबले सिर्फ़ चार प्रतिशत है। यह अंतर बहुत ज्यादा है जिसे पाटने के लिए इस क्षेत्र को रेल संपर्क से जोड़ने की गति तेज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को मूल सुविधा दी जा सकेगी जिससे इसका आर्थिक विकास तेज़ होगा। इस महत्व को समझते हुए रेल मंत्रालय ने इस इलाक़े के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। लगभग 5-7 वर्षों के अंदर क्षेत्र की सारी राज्य-राजधानियों को रेल लाइनों के जरिये जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान रेल लाइनों का गेज भी परिवर्तित किया जा रहा है। भारत ने अगरतला-अखौरा (बांग्लादेश) लाइन बनाने की योजना बनाई है जिसके जरिये त्रिपुरा को बांग्लादेश रेल तंत्र से जोड़ा जा सकेगा। संभावना है कि इन परियोजनाओं के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन मूल सुविधाओं का स्वरूप बदल जाएगा। फ़ैसला किया गया है कि रेल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार 75-25 के अनुपात में सहायता देगी। इसमें 25 प्रतिशत भाग रेलवे का होगा जबकि 75 प्रतिशत पूंजी निवेश भारत सरकार करेगी। इस काम के लिए एक कोष स्थापित करने का फ़ैसला किया गया है।

नागरिक विमानन

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक स्थान दुर्गम और दूरदराज़ के इलाक़ों में स्थित हैं इसीलिए इस क्षेत्र के लिए विमान सेवाएं सबसे उपयुक्त हैं। इसके जरिये एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ा जा सकता है और क्षेत्र को मुख्यभूमि से भी संपर्क प्रदान किया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 23 हवाईअड्डे हैं जिनमें से 11 काम में आ रहे हैं। उद्देश्य यह है कि जो हवाईअड्डे अभी इस्तेमाल में नहीं हैं उन्हें संचालन योग्य बना दिया जाए और इस क्षेत्र को अनेक साप्ताहिक उड़ानों से जोड़ दिया जाए। इसके लिए उपयुक्त प्रकार के विमानों का इस्तेमाल करना होगा और समयबद्ध तरीक़े से हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों में सुधार लाना होगा। ईटानगर, चेथू (नगालैंड) और पाकिओंग (सिक्किम) में तीन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे विकसित किए जाएंगे। इसके लिए पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निधियां प्रदान कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके वे वर्तमान हवाईअड्डों को सुधारेंगे और इस क्षेत्र में उड़ानों की व्यवस्था के लिए एयर इंडिया को संसाधन दिए जाएंगे। राज्यों के दुर्गम क्षेत्र में पहुंच में सुधार के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं और ऐसा करके राज्य की राजधानी, शहर और अन्य स्थानों से जोड़ा जा रहा है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष एयर लाइन शुरू की जाए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप में उड़ानों और विमान सेवाओं में काफी सुधार होगा।

अंतरदेशीय जल परिवहन

अंतरदेशीय जल परिवहन भारी सामान पहुंचाने और परियोजनाओं की सामग्री ले जाने का एक सस्ता साधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरदेशीय जल परिवहन विभाग एक ज़रूरी आवश्यकता है। इस परिवहन की क्षमता बढ़ाने और इसमें पूंजी निवेश को मान्यता दी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी में धाबुरी से सादिया तक (891 किमी) तक के एनडब्ल्यू-2 मार्ग को पूरी तरह संचालनीय बनाया जा रहा है। बराक नदी के लाखीपुर से भांगा तक के 121 किमी लंबे खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग-4 घोषित कर दिया गया। अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। इनमें ड्रेजिंग, नौवहन सहायता, कंकरीट के पक्के टर्मिनल बनाना, तैरते हुए घाटों की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जल परिवहन संबंधी दीर्घकालीन समझौते पर बात हो रही है। मिज़ोरम से सिटवे बंदरगाह तक कलादान नदी पर कई तरह के परिवहन पथ बनाने की कोशिशें हो रही है। ये रास्ता बन जाने पर म्यामां के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र को अतिरिक्त समुद्री मार्ग मिल जाएगा। इस योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

बिजली

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत के विकास में पनबिजली परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां लगभग 62 हज़ार मेगावाट पनबिजली बनाने की क्षमता है। इस संसाधान का इस्तेमाल करके देश का विकास तेज़ किया जा सकता है। बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र के लोगों को बिजली के लाभ उपलब्ध कराए जाएं। यह भी महसूस किया जाता है कि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए बिजली की तरह तरह की मांग बढ़ रही है और उसे पूरा किया जा रहा है। एक अन्य प्राथमिकता इस बात को देनी होगी कि इस क्षेत्र से देश के अन्य भागों को बिजली भेजी जाए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का बिजलीघर बन सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली की संभावित क्षमता का इस्तेमाल करने और क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता से लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि यहां बिजली पारेषण की सुविधाएं सुदृढ़ बनाए जाए। इस दिशा में पूर्वोत्तर परिषद और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ने मिलकर बिजली पारेषण की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं। इन पर लगभग दस हज़ार करोड़ रुपये लागत आने की संभावना है। बिजली संबंधी अन्य महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

- अरुणाचल प्रदेश में पनबिजली विकास की क़रीब 100 परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं।
- त्रिपुरा में पलातना और मोनारचाक में दो गैस आधारित परियोजनाएं।
- एनटीपीसी बोंगईगांव तापबिजलीघर का निर्माण कर रहा है।
- प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में पारे (110 मेगावाट) और दिबांग (3000 मेगावाट) बिजलीघरों की नींव रखी है।

दूरसंचार

इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए और यहां भौगोलिक स्थिति तथा दुर्गम पहुंच को देखते हुए सूचना तकनीक के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का विकास करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन घनत्व 37.5 प्रतिशत है जोकि अखिल भारतीय औसत 58.2 प्रतिशत के मुक़ाबले काफी कम है। इस क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भले ही देर से शुरू की गई हों, लेकिन प्रगति काफी तेज़ रही।

इस क्षेत्र के लिए दूरसंचार विभाग ने एक विस्तृत दूरसंचार तंत्र योजना बनाई है। इसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर रिंग्स के जरिये जोड़ा जाएगा और राज्यों की राजधानियों में हाई कैपेसिटी डीडब्ल्यूडीएम नेटवर्क बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र की समस्याओं के चलते पावरग्रिड कॉरपोरेशन की लाइनों के जरिये अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो अन्य उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- 31.07.2010 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 40,377 आबादी वाले गांवों में से 34,477 में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिए गए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने बचे हुए अन्य गांवों में टेलीफोन लगाने के लिए समझौते किए हैं।
- यूएसओ फंड की सहायता से मूल सुविधा स्थलों टावरों के अनुरक्षण और प्रबंधन की एक योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न जिलों में और ख़ासतौर से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां इस समय बेतार अथवा मोबाइल कवरेज नहीं है, दूरसंचार सेवाएं दी जाएंगी।
- 20.01.2009 को यूएसओ फंड ने एक योजना शुरू की जिसके अनुसार वर्तमान ग्रामीण एक्सचेंजों की मूल सुविधा और कॉपर वायर लाइन नेटवर्क का इस्तेमाल करके गांवों और दूरदराज के इलाक़ों में वायर लाइन ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के परिणामस्वरूप मूल सुविधाओं के विकास में पर्याप्त तेज़ी आई है। लेकिन साथ ही सेवा तंत्र की कुशलता बढ़ाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की भी सख्त ज़रूरत है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान और उन्हें दूर किए जाने की ज़रूरत है। इनके कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जनशक्ति की पर्याप्त कुशलता भी सृजित की जानी चाहिए। इसके लिए मानव संसाधान विकास कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि क्षमता निर्माण और तकनीकी जनशक्ति का विकास किया जा सके। इस क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों को भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं।

समग्र विकास के परिभाषित लक्ष्यों, स्पष्ट परिणामों, कार्य नीतियों और समन्वित नियोजन के जरिये इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और ऐसा करके यह क्षेत्र देश की अर्थ व्यवस्था और राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक योगदान कर सकेगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र के आर्थिक-समाजिक विकास की प्रक्रिया तेज़ करने के उद्देश्य से जमकर प्रयास करने की ज़रूरत है। इन प्रयासों में राज्य सरकारों को परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ❑

(लेखक उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय में निदेशक हैं।

ई-मेल : skumarifs@rediffmail.com)

टाटा मैक्ग्रॉ हिल

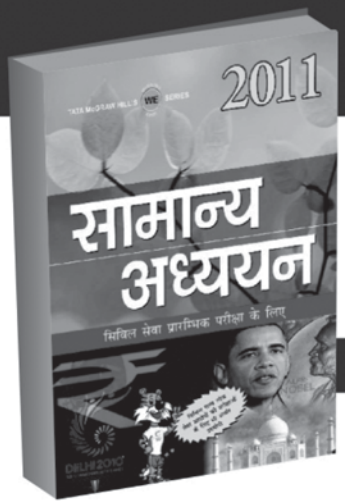

₹ 1050

ISBN: 9780071071413

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011 हेतु संशोधित सामान्य अध्ययन (प्रश्न-पत्र 1) की रूपरेखा		टी.एम.एच. सामान्य अध्ययन 2011
1. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाऐं	➡	भाग J: समसामयिक घटनाऐं
2. भारतीय इतिहास	➡	भाग B: भारत का इतिहास
3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन	➡	भाग C: राष्ट्रीय आन्दोलन
4. भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल (भौतिक, सामाजिक एवं अर्थिक भूगोल)	➡	भाग A: भूगोल प्रभाग 1: विश्व भूगोल प्रभाग 2: भारत का भूगोल
5. भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, संविधान, राजनैतिक सिद्धांत, पंचायती राज, लोक नीति एवं अधिकार संबंधी मुद्दे	➡	भाग D: भारत की राजव्यवस्था
6. सामाजिक एवं आर्थिक विकास, पोषणीय विकास, निर्धनता, जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक क्षेत्र में पहल	➡	भाग F: भारतीय अर्थव्यवस्था
7. सामान्य विज्ञान, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता एवं जलवायु परिवर्तन	➡	भाग E: सामान्य विज्ञान प्रभाग 1: भौतिकी प्रभाग 2: रसायन विज्ञान प्रभाग 3: जीव विज्ञान

टाटा मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड

उत्तर: नवीन बग्गा (naveen_bagga@mcgraw-hill.com) *दिल्ली/हरियाणा/पंजाब/चंड़ीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश*: आशीष पराशर (09717005237)/ हमन्त शर्मा (09646066352); *उत्तरप्रदेश/उत्तराखंड*: दीपक श्रीवास्तव (09794679797); *दिल्ली/राजस्थान*: मनीष वार्शने (09560450527); *मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़*: प्रकाश शर्मा (09907486734)

पूर्व : रितेश कलिआन (ritesh_kalian@mcgraw-hill.com) *कोलकता/उत्तर-पूर्व*: तुहीन भट्टाचार्या (09007042442); अनिन्दया मुखर्जी (09836425322); *बिहार*: मो. जाहिद अली (09334135451)/रणविजय कुमार (08809561425);*झारखंड*: जगदीश ध्यानी: (09471228334); *उड़ीसा*: धर्मेन्द्र कुमार सिंह (09237328904)

पश्चिम: अरूप राउत (arup_raut@mcgraw-hill.com) गुजरात: सचिन गजरावाला (09898242368); महाराष्ट्र/गोवा: भूपेश बूंदले (09372524543)

विक्रय एवं प्रकाशन की जानकारी हेतु लिखें *testprep@mcgraw-hill.com*

For online purchase of TMH products please log on to www.tmhshop.com

YH-12/10/12

आपदा ज़ोखिम और आकलन

● पी. पी. श्रीवास्तव

आपदाओं के बारे में जनचेतना, कुछ सरल-सी बातें– क्या करें और क्या न करें, बातों का ज्ञान और आम आदमी की क्षमता का सरलता से विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है

पूर्वोत्तर क्षेत्र को अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़, नदियों के किनारों के कटाव, चक्रवात, बादल फटने और भूकंपों से त्रस्त रहता है। चक्रवाती उथल-पुथल, बादल फटने के कारण अचानक आने वाली भयंकर बाढ़, भूकंपों से होने वाली भू-स्खलन आदि कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो इस क्षेत्र की पहचान बन गई हैं। आइए, इन विपदाओं पर कुछ और नज़दीक से विचार करते हैं।

भूकंप : हमारे देश के पूर्वोत्तर के सातों राज्य भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक नाजुक

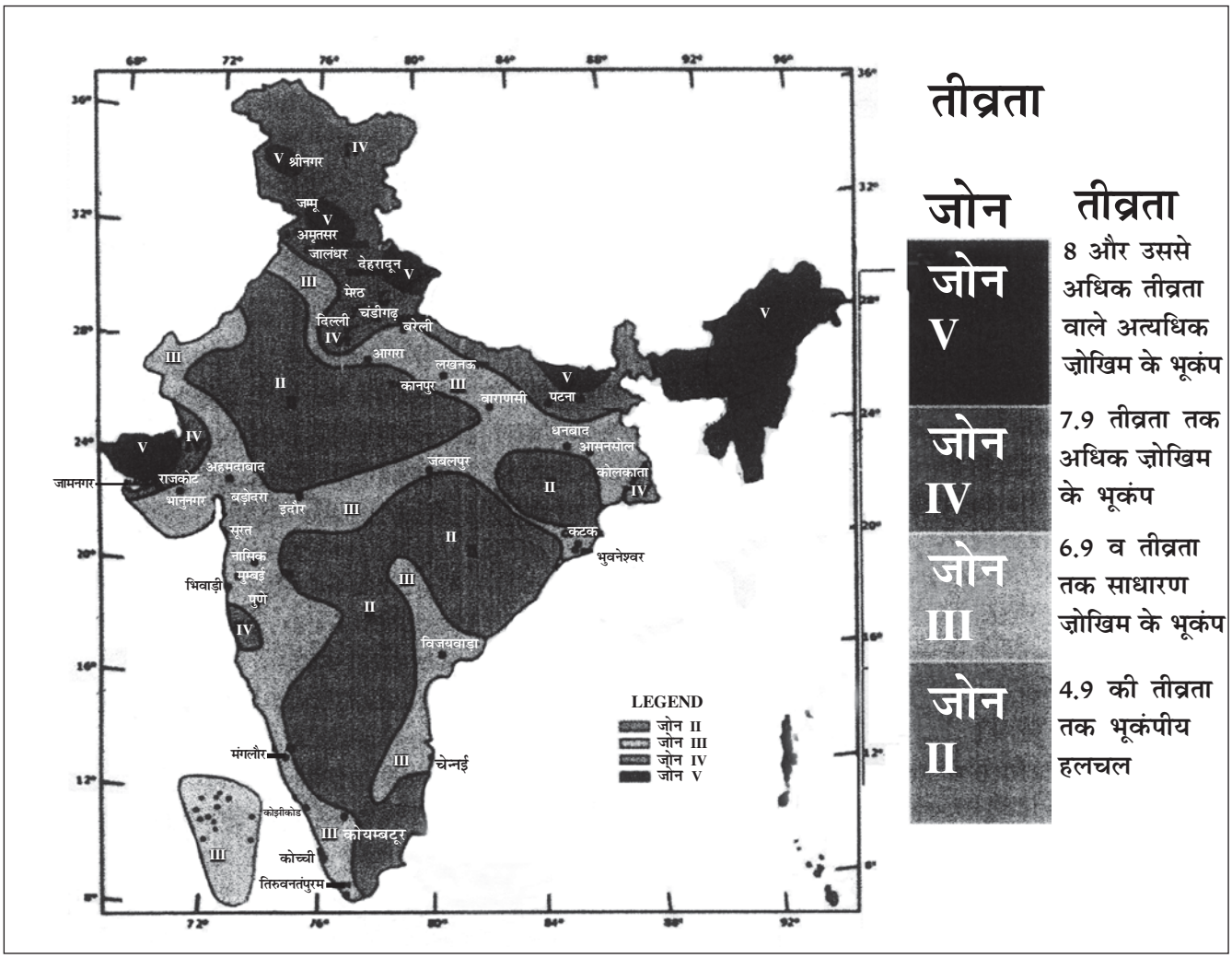

मानचित्र-1 भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्र

क्षेत्र-जोन-5 में आते हैं। केवल सिक्किम ही जोन-4 में आता है। (मानचित्र-1) वास्तव में, पूर्वोत्तर भारत को विश्व के 6 सबसे अधिक भूकंपीय संभावना वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। अन्य पांच क्षेत्र हैं– मेक्सिको, कैलिफोर्निया (अमरीका), जापान और तुर्की (होनोलूलू वर्कशॉप : मई 1978)। इसका कारण करोड़ों वर्षों में हमारे देश के इस क्षेत्र के विकास में छिपा हुआ है।

व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र ही साढ़े 6 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र की तलहटी था और क़रीब ढाई-तीन करोड़ वर्षों तक ऐसा ही बना रहा। तब, भारतीय प्लेट (भू-स्खलन बनाने वाली चट्टानी परत) का उत्तर दिशा की ओर बढ़ने और उत्तर में उसके चीनी प्लेट और पूर्व में बर्मी प्लेट के साथ टकराने से ऊपर खिसकते हुए उत्तर में हिमालय की श्रेणियों का और पूर्व में भारत-वर्मा सीमा के साथ लगे ऐक्सियल रिज का जन्म हुआ। प्लेटों के टकराव की सतत भू-गर्भीय प्रक्रिया और उसके कारण ऊपर की ओर होने वाला खिसकाव अस्थिरता और भूकंपीय गतिविधियों को जन्म देता है। इन दोनों प्लेटों की टक्कर और उथल-पुथल से ही हिमालयी पर्वतों का उदय हुआ और क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत-म्यामां सीमा और नगालैंड-मणिपुर की ओर तलछट की कोमल पट्टी का जमाव शॉक एब्सॉर्बर के रूप में काम करता है और म्यामां की ओर के भूकंपों और भीषण भूकंपीय गतिविधियों से होने वाली हानि और विनाश से हमें बचाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने शिलांग के वर्ष 1897 के भूकंप के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आए 16 प्रमुख भूकंपों (रिक्टर पैमाने पर 7 और उससे अधिक की तीव्रता वाले) की सूची तैयार की है। छोटे-मोटे भूकंपों की तो कोई गिनती नहीं है।

1897 के शिलांग भूकंप की गिनती विश्व के सबसे भीषण भूकंपों में की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 8.7 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने फलते-फूलते शिलांग शहर को तबाह कर दिया था। घटना के समय शिलांग में मौजूद भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के श्री एफ.एच. स्मिथ ने जो अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताया है, उससे उसकी भयावहता और विभीषिका का स्पष्ट चित्र उभरकर सामने आ जाता है :

"उस समय मैं टहलने के लिए बाहर निकला हुआ था और सड़क पर खड़ा हुआ था, 5.15 मिनट पर गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़, लगभग एक गरज जैसी, आनी शुरू हुई, जोकि दक्षिण अथवा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर से आती लग रही थी; और तुरंत ही झटका लगा। जहां मैं खड़ा था, वहां गड़गड़ाहट की आवाज़ झटके से क़रीब दो सेकंड पहले ही आई थी और तुरंत ही यह झटका अपने चरम पर पहुंचकर भयावह हो गया। इसमें मुश्किल से दो-तीन सेकेंड लगे होंगे। ज़मीन बड़ी तेज़ी से हिलने लगी और कुछ ही सेकेंडों में, सीधा खड़ा होना मुश्किल हो गया और मुझे अचानक ही सड़क पर बैठ जाना पड़ा। यह झटका अच्छा-खासा था और खासे देर तक बना रहा और उसकी तीव्रता शुरू से आखिर तक लगभग एक जैसी बनी रही। समुद्री सफ़र में जैसे जी मिचलाता है, वैसा अनुभव होने लगा। धरती की हलचल काफी तेज़ और अचानक ही आई थी। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे ज़मीन को कोई बहुत ज़ोर और तेज़ी से आगे-पीछे, हिला रहा हो। प्रत्येक तीसरा अथवा चौथा झटका, बीच के झटकों से ज्यादा देरी तक रहता था।"

"धरती की सतह हर दिशा से कांपती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किसी कोमल व नरम जेली से बनी हो। तुरंत ही सड़क के किनारे-किनारे ज़मीन फटने लगी और 'क्रैक्स' नज़र आने लगे। तालाब के चारों ओर बना ढलावदार मिट्टी की मेंड, जो क़रीब 10 फीट ऊंची रही होगी, नीचे तक हिलने लगी और एक स्थान पर दरार पड़ गई तथा फिर पूरी तरह से नीचे आ गई। विद्यालय भवन जो दिखाई दे रहा था, पहले झटके में ही हिलने लगा और तुरंत ही दीवारों से प्लास्टर के बड़े-बड़े टुकड़े टूट-टूटकर गिरने लगे। कुछ क्षणों बाद पूरी इमारत ही ज़मीन पर आ गई, दीवारें टूट गईं और लोहे की नालीदार चादर की छत ज़मीन पर टूटी-फूटी पड़ी हुई थी। शिलांग के पास-पड़ोस में जो भी ठोस पत्थर का काम था, सब जमींदोज़ हो गया था। इनमें कई सारे पुल भी शामिल थे। पत्थर के बने मकान और चर्च भी, पत्थरों के टुकड़ों के समतल टीलों में बदल चुके थे और वे छतों के अवशेष के रूप में कटी-फटी नालीदार चादरों से ढंके हुए थे।

".... सभी बड़ी इकरा इमारतें अंदर से बिल्कुल बरबाद हो चुकी। इन सभी इमारतों की चिमनियां पत्थरों से बनी थीं और वे सब के सब दीवार के पलस्तर के साथ गिर गई हैं और कई इमारतों की छतें भी। लकड़ी के पटरों से बनी इमारतें वे सभी बच गईं हैं, उन्हें कोई नुक़सान नहीं पहुंचा है। सिर्फ़ उन्हीं इमारतों को कुछ नुक़सान पहुंचा है जिनको पत्थर-कार्य से सहारा दिया गया था और वे अपने स्थान से कुछ आगे-पीछे हो गई हैं। ..."

शिलांग के चारों ओर पहाड़ियों पर चार या पांच बड़ी 'लैंड स्लिप्स' देखी जा सकती हैं इनमें सबसे बड़ी 300 फीट चौड़ी और उतनी ही ऊंची हैं।''

(स्रोत : ओल्डम : ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ 1897)

अगला बड़ा भूकंप जो वर्ष 1950 में आया, उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.5 आंकी गई थी और इसका केंद्र तिब्बत के साथ लगती हमारी सीमा के पूर्वोत्तर की ओर थी। अनुमान है कि यह विश्व में सबसे बड़ा भूकंप है। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से नीचे उतरती विशाल नदी का बहाव इस भूकंप के कारण हुए भू-स्खलनों ने रोक दिया था। फलतः पानी जमा होता रहा और अंततः बांध टूट गया। इससे जो जल प्रलय हुआ वह अपने साथ फलते-फूलते शहर सादिया को बहा ले गया। पहाड़ों की तलहटी से कुछ ही दूरी पर बसे डिब्रूगढ़ शहर को भी इस बाढ़ से गंभीर नुक़सान पहुंचा।

बाढ़

बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जो साल-दर-साल इस क्षेत्र के लिए ढेरों मुसीबतें लाती रहती हैं। मुख्यतः ब्रह्मपुत्र और असम की बराक घाटी की नदियों में आने वाली बाढ़ से भारी मात्रा में जनहानि और संपत्ति की हानि होती है। सार्वजनिक संपत्तियों के विनाश के अलावा भारी संख्या में मवेशी भी मारे जाते हैं। अकेले वर्ष 2008 में ही, 35 लोगों के अलावा 4,257 मवेशी बाढ़ के कारण मारे गए थे। लगभग 3.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फ़सलों को जो नुक़सान पहुंचा, उसकी क़ीमत तीन अरब 30 करोड़ रुपये आंकी गई। निजी और सार्वजनिक इकाइयों को जो हानि हुई वह अलग।

ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों और बराक नदी प्रणाली के प्रभाव वाले क्षेत्रों में हर वर्ष मई-जून में होने वाली भारी वर्षा (1,110 मिमी से 6,350 मिमी प्रतिवर्ष और उसके साथ जो गाद आदि बहकर निचले मैदानी इलाक़ों में आती है, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र की घाटियों में आने वाली बाढ़ों का प्रमुख कारण है। गाद नदियों की तलहटी में जमा

हो जाती है, जिससे टीले बन जाते हैं और ये नदियों का सहज प्रवाह रोककर उसका मार्ग बदल देती हैं। नदियों की तलहटी की ऊंचाई लगातार बढ़ते रहने के कारण नये क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है और लंबे समय तक काफी बड़े क्षेत्र पानी में डूबे रहते हैं। तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाने और बचाव ढांचों के निर्माण से बस थोड़े से समय के लिए ही लाभ होता है।

इस समस्या का समाधान गाद जमने की प्रक्रिया को रोकने से ही हो सकता है। छोटे-छोटे बहुउद्देशीय बांधों की शृंखला तैयार कर बहाव की तेज़ी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये बांध गाद को वहीं पर बैठा देंगे और इस प्रकार मैदानी इलाक़ों में गाद ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा, इन जल निकायों का उपयोग मत्स्य पालन, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन आदि के लिए किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में बांध बनाने का प्रस्ताव है, परंतु असम के मैदानी क्षेत्रों में बड़े बांधों से होने वाले संभावित ख़तरों को लेकर शंकाएं प्रकट की जा रही हैं।

नदी तटों का कटाव

तेज़ बहने वाली नदियों के कारण होने वाला नदी तटों का कटाव असम की घाटी-क्षेत्रों की सबसे गंभीर समस्या है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, इससे प्रतिवर्ष लगभग 8 हज़ार हेक्टेयर भूमि नष्ट होती है। नदी-तट कटाव से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है– मजुली जोकि विश्व का सबसे बड़ा दरियाई द्वीप है। जोरहाट स्थित एनईआईएसटी (पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) द्वारा किए गए अध्ययनों से अग्रलिखित दुखद विवरण का पता चलता है :

ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मजुली द्वीप का क्षेत्रफल मूलत: 1,245 वर्ग किलोमीटर था।

वर्ष	भूमि क्षेत्र (व. किमी)	विवरण	कटाव की औसत वार्षिक दर
1920	735.01*	509.99 वर्ग किमी की कमी	–
1975	613.63	121.39 वर्ग किमी की कमी	2.21
1998	577.65	35.96 वर्ग किमी की कमी	1.56

* ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मजुली द्वीप का क्षेत्रफल मूलत: 1,245 वर्ग किमी था

राज्य सरकार द्वारा तटों की रक्षा और धरोहर स्थल को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। आश की जानी चाहिए कि उनके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।

भू-स्खलन

वास्तव में, भू-स्खलन से ही मनुष्यों और पशुओं की जानें जाती हैं और संपत्तियों का नाश होता है। भूकंप से प्रत्यक्षत: कोई नहीं मरता। उनके कारण तो भवन और अन्य संरचनाएं ढह जाती हैं जिससे लोग मारे जाते हैं और संपत्ति नष्ट होती हैं।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अध्ययनों में 2008-09 के फील्ड सीज़न तक कुल मिलाकर 458 भू-स्खलनों की गणना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले जीएसआई से सेवानिवृत्त अधिकारी (डॉ. आर.के. अवस्थी) की पहल पर लखनऊ में (1-2 नवंबर, 2010) प्रथम भू-स्खलन कांग्रेस का आयोजन एक अत्यंत सकारात्मक प्रयास है, जोकि भू-स्खलनों के महत्व को उचित रूप से रेखांकित करेगा। इसके निष्कर्षों की क्रियान्वति से भू-स्खलनों की चुनौतियों का सामना करने में काफी मदद मिलेगी।

आपदा शमन रणनीति

वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएम एक्ट) का पारित होना और उस पर पूरी ईमानदारी और अमल से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। पहले जहां आपदा घटने के बाद राहत और पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाता था, वहीं अब आपदा आने से पूर्व ही जोख़िम में कमी लाने और तैयारियों पर ज़ोर दिया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अब डीएम एक्ट के आदेशानुसार आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करते हैं। (धारा 37) राज्य सरकारों को विकास योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करनी होंगी, आपदाओं के घटने से बचाव और शमन के लिए क़दम उठाने होंगे; और इसके लिए शमन, क्षमता विकास और तैयारियों के लिए धनराशि का आवंटन करना होगा (धारा 39)। राज्य सरकारों को क्षमता के विकास और तैयारियों के लिए उपाय भी करने होंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याएं– क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता

पूर्वोत्तर क्षेत्र की भू-जलवायु संबंधी और भौगोलिक संरचनाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि छोटे-छोटे पर्वतीय राज्यों की पृथक-पृथक आपदा प्रंधन योजनाएं तब तक अपर्याप्त ही सिद्ध होंगी जब तक उन्हें अंतरक्षेत्रीय और क्षेत्रांतर्गत संचार संपर्कों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों और असम से जोड़ा नहीं जाता। इसीलिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों हेतु 5 मार्च को पुनर्गठित संवैधानिक नियोजन निकाय) में हम लोगों ने जो पहला क़दम उठाया, वह था एनडीएमए के गहन परामर्श से डीएम (आपदा प्रबंधन) के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा तैयार करना। उसके अनुसरण में अब तक जो कार्रवाई की गई है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- एनडीएमए के साथ गहन परामर्श से आपदा प्रबंधन और शमन हेतु क्षेत्रीय रूप रेखा तैयार करना।
- एफएलईडब्ल्यूएस के ज़रिये बाढ़ का पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी

एफएलईडब्ल्यूएस (बाढ़ की अग्रिम चेतावनी प्रणाली) की शुरुआत प्रयोग के तौर पर 9 मई को असम के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लखीमपुर जिले और उसके पड़ोस में की गई। इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सीडब्ल्यूसी, इसरो और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेषज्ञताओं और अनुभवों को एक साथ लिया गया। इसरो और एनईसी के संयुक्त उपक्रम एनईएसएसी ने इसमें समन्वय करने की भूमिका निभाई। एफएलईडब्ल्यूएस ने बाढ़ में डूबने से 12 से 24 घंटे पूर्व डूब में आने वाले गांवों और क्षेत्रों की सटीक और विश्वसनीय चेतावनी उपलब्ध कराई। इससे अधिकारियों और लोगों को स्वयं ही, अपनी और अपने माल-असबाब की सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। एफएलईडब्ल्यूएस काफी सफ़ल साबित हुआ और अब असम एसडीएमए के अनुरोध पर पूरे ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय है कि इसे देश के अन्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भी आजमाया जा सकता है।

एफएलईडब्ल्यूएस में चक्रवात की चेतावनी देने की प्रणाली भी शामिल करने का काम चल रहा है।

- भविष्यवाणी, पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी की क्षमताओं में विस्तार के लिए समन्वित आरएंडडी (शोध एवं विकास) इसमें शामिल हैं :
- एनईसी द्वारा इसरो के साथ 50 : 50 की भागीदारी में शिलांग के पास उमियम (बारापानी) में एनईएसएसी (पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र) जैसी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, पूर्वोत्तर के सात राज्यों में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रों की स्थापना और उन्हें संबद्ध अध्ययनों (एनईएसएसी के तकनीकी समन्वयन पर) के लिए परियोजना-आधारित धनराशि मुहैया कराना। मिज़ोरम और अरुणाचल के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रों ने चक्रवाती और भूकंपीय संभावनाओं वाले क्षेत्रों के उत्कृष्ट मानचित्र तैयार किए हैं।
- विस्तृत अध्ययनों के लिए एनईआईएसटी (मुख्यत: भूकंप, भू-स्खलन, नदी तटबंध कटान पर) और एनईएसएसी (बाढ़ और सूखा, चक्रवात, भू-स्खलन और जहां भी अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग की आवश्यकता होती है) की सहायता करना।
- अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) प्रयासों के विस्तार और समन्वयन तथा दोहराव और खामियों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने के वास्ते विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खान मंत्रालय, जीएसआई, विश्वविद्यालयों आदि के साथ सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श।
- सभी प्रकार की आपदाओं के बारे में राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एनईएसएसी में एनई क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन निर्णय समर्थन केंद्र (एनईआरडी-एमडीएससी) की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
- भूकंप और अन्य आपदाओं के प्रति शहरी समूहों की संवेदनशीलता

भूकंप निरोधक मापदंडों के अनुकूल नहीं बनी। इमारतों के गिरने से जन-धन के लिए सबसे अधिक ख़तरा रहता है। जागरूक नागरिकों द्वारा इस प्रकार का दबाव बनाने की आवश्यकता है कि नगर-नियोजक नियमों और भवन निर्माण के कायदे-कानून का कड़ाई से पालन किया जाए। आवश्यकता होने पर नियमों में संशोधन भी किए जाएं और अस्पताल आदि जैसी जीवनोपयोगी इमारतों की रेट्रोफिटिंग कर उन्हें आज की आवश्यकतानुसार भूकंपरोधी बनाया जाए।

जन-जागृति अभियान

- एनईसी ने एनडीएमए और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय जन-जागृति अभियान चलाए हैं जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों के उद्बोधन, प्रदर्शनियां, एनडीआरएफ के प्रदर्शन आदि आयोजित किए गए। इनमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।
- एजूसेट नेटवर्क पर आपदा प्रबंधन केंद्रित प्रसारण के माध्यम से स्कूली छात्रों और शिक्षकों तक संदेश पहुंचाने के लिए एनईसी/राज्य सरकारें/एनडीएमए/इसरो संयुक्त रूप से एक योजना तैयार कर रहे हैं। एनईएसएसी इसमें केंद्रीय भूमिका अदा कर रहा है। शीघ्र ही यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर मेघालय में शुरू हो जाएगा। बाद में इसे अन्य राज्यों में चलाया जाएगा।
- असम के मोरीगांव ज़िले में, यूनिसेफ के एक पूर्ण विशेषज्ञ द्वारा शुरू की गई सामुदायिक एवं परिवार आपदा तैयारी परियोजना एसडीएमए का एक सराहनीय प्रयास है जिसको अन्यत्र भी अपनाए जाने की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में जो व्यक्ति सबसे पहले भुगतता है वह है– आम आदमी। मदद तो बाद में आती है। इसलिए आपदाओं के बारे में जनचेतना, कुछ सरल जानकारियां क्या करें और क्या न करें बातों का ज्ञान और आम आदमी की क्षमता का सरलता से विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जनमत का दबाव ही संबंधित सरकारी अधिकारियों को आपदा के पूर्व ही ख़तरों में कमी लाने के प्रयासों तथा तैयारी के बारे में सजगता के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ❑

(लेखक पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य हैं।
ई-मेल : ppshri@gmail.com)

योजना
आगामी अंक

जनवरी 2011 ● गणतंत्र विशेषांक

योजना का जनवरी 2011 अंक 'कृषि' पर केंद्रित होगा।

फरवरी 2011 अंक

योजना का फरवरी 2011 अंक 'भारत में ग्राम सभा' पर केंद्रित होगा।

विकास के लिए नवाचार: आशा की नौकाएं

● संजॉय हजारिका

पूर्वोत्तर राज्यों में क़रीब-क़रीब हर साल नदियों में उफ़ान आता है जिससे आसपास के लंबे-चौड़े आबाद इलाक़े उनकी चपेट में आ जाते हैं और लोगों के जान-माल का काफी नुक़सान होता है। कुछ वर्ष पहले असम की क़रीब-क़रीब आधी आबादी और पूर्वोत्तर का लगभग एक-तिहाई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ था। वैसे भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां अकसर बाढ़ के चलते तबाही आती है जिससे ज़मीन-जायदाद, फ़सलों और पशुधन का नुक़सान होता है। तटबंध टूट जाते हैं और 27 ज़िलों में बाढ़ का पानी फैल जाता है। कुछ समय पहले इस आपदा के कारण 6,500 करोड़ रुपये का नुक़सान होने का अनुमान लगाया गया था।

पूर्वोत्तर भारत की नदियां पहाड़ियों के बीच बहती हैं। इस इलाक़े में कम-से-कम 33 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। 22 ऐसी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र में उस क्षेत्र में मिलती है जो तिब्बत और बांग्लादेश में पड़ता है। गंगा सहित तीन और बड़ी नदियां इसी में मिल जाती है। तिब्बत से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक ब्रह्मपुत्र तीन हज़ार किलोमीटर की एक बड़ी यात्रा पूरी करती है। ये एक बहुत विशाल जलधारा है जिससे करोड़ों लोग सीधे तौर पर सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं।

नयी दिल्ली की तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सरकारों में भी यह बात एक बड़ी चिंता का विषय है कि चीन तिब्बत में बांध बनाने की योजनाएं बना रहा है। चीनी लोग ब्रह्मपुत्र को त्सांगपो कहते हैं और ख़बरों के अनुसार वे इसके जल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की जमकर चर्चा हो रही है कि ऐसे बांध निर्माण से भारत के अधिकार प्रभावित होंगे। लेकिन हमारे नीति निर्धारक और योजनाकार असम घाटी में रहने वाले 30 से 50 लाख लोगों और छोटे-छोटे समूहों में पूर्वोत्तर में बसने वाले लोगों के बारे में शायद ही कभी सोचते हों जो बाढ़ प्रभावित होते हैं। उनके क्या अधिकार हैं, इनकी चर्चा तो सिर्फ़ जब तब छपने वाली मीडिया रिपोर्टों में ही आती है।

अकसर संवाद, विकास और पूरब की ओर देखने वाली नीति की चर्चा की जाती है। लेकिन ऐसा करते हुए हम उस निरंतर और महत्वपूर्ण चुनौती की अनदेखी करने लगते हैं कि करोड़ों लोग वर्षा का सामना कैसे कर पाते हैं? जब तक हम इस बात पर विचार करके समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारी कोई नीतियां उपयोगी नहीं हो पाएंगी।

हर साल असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में बाढ़ आती है जिससे जान-माल, फ़सलों और पशुधन की व्यापक तबाही होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है और सरकार द्वारा राहत के उपाय नाकाफी साबित होते हैं। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जिन्होंने इस समस्या को एक नये तरीक़े से हल करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे बढ़कर अपने विचारों को व्यावहारिक रूप दिया और निरंतर और ठोस योजनाएं सामने रखीं।

असम ऐसा राज्य है जहां क़रीब तीन हज़ार द्वीप हैं जिनमें 15 से 20 लाख लोग रहते हैं। इन द्वीपों को छार या सपोरी कहते हैं। घाटी के लोगों को बेहतर स्वास्थ सेवाएं देने के लिए मैंने एक पूर्वोत्तर अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केंद्र (सी-एनईएस) खोला है, जिसने 'आखा' नाम का मॉडल विकसित किया है जिसे बाढ़ की घाटी में 'आशा का पोत' भी कहा जाता है। इसके जरिये असम के डिब्रूगढ़ जिले में नदी द्वीपों में रहने वाले ग़रीब लोगों को सचल स्वास्थ्य सेवाएं देने की योजना बनाई गई है। इस योजना का मुख्य ज़ोर बच्चों और उन समूहों पर है जो अकसर बीमारियों के शिकार बनते हैं।

सचल स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल मैंने और मेरी टीम ने विकसित किया है और इसके जरिये देश के सबसे कम विकसित इलाक़े में स्वास्थ्य, साफ़-सफ़ाई, पशुपालन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस सचल सेवा के डिज़ाइन को विश्व बैंक के इंडिया डेवलपमेंट मार्केटप्लेस 2004 प्रतियोगिता में पुरस्कार प्रदान किया गया। निर्णायकों ने कहा कि यह एक अनोखा नवाचार है जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन का कायाकल्प हो सकता है। इस पुरस्कार की जो राशि मिली उसका इस्तेमाल डिब्रूगढ़ के मैजनघाट में नौका बनाने में किया गया। इसके लिए एक स्थानीय नौका निर्माता की देखरेख में ढोला और तिनसुकिया से कारीगर लाए गए।

ये नौका जून 2005 में बनकर तैयार हुई। 22 मीटर लंबी और 4 मीटर से ज्यादा चौड़ी इस नाव के एक हिस्से में ओपीडी के केबिन बनाए गए हैं जहां चिकित्सा कर्मचारी बैठते हैं। इस पर जांच, भोजन बनाने, शौचालय, कर्मचारियों के रहने और भंडार के अलग-अलग कक्ष हैं। इस पर 200 लीटर क्षमता वाली एक पानी की टंकी रखी गई है। बिज़ली की ज़रूरत पूरी करने के लिए जेनरेटर है तथा नौका के संचालन के लिए 120 हार्सपावर का इंज़न है। संयुक्त राष्ट्र बालकोष (यूनीसेफ) और जिला प्रशासन का सहयोग भी

लिया गया और हम लोग इसके जरिये पिछड़े इलाक़े में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे केंद्र का उद्देश्य है कि हम ऐसी सर्वसमावेशी स्वास्थ्यचर्या प्रदान करें जिसमें सभी को और ख़ासतौर से आख़िरी व्यक्ति को भी पूरी पहुंच मिले।

आज हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आखा की कार्यशैली सफ़ल रही। इसकी प्रक्रिया सार्थक है और क्षेत्र के अन्य इलाक़ों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है।

हमारा केंद्र विशेष रूप से डिज़ाइन की गई नौकाओं के जरिये बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। ये नौकाएं प्रयोगशाला उपकरणों और दवा भंडारों से लैस हैं। इनके जरिये नदी द्वीपों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। अब अनेक बोट क्लिनिक टीमें हैं जो असम के 13 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। पहले यह प्रयोग एक ज़िले में किया गया था। अब वर्ष 2005 में डिब्रूगढ़ से शुरू करके इसके जरिये 13 जिलों को सचल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2008 से सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) और एनआरएचएम की मदद ली जा रही है।

हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2011-12 तक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित राज्य के सभी द्वीपवासियों तक पहुंचें जिनकी संख्या दस लाख है और जो राज्य की एक-तिहाई आबादी के बराबर है। महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर हमारा खास ज़ोर है। इस वर्ग की हालत असम में सबसे ज्यादा ख़राब है। असम भारत का ऐसा राज्य है जहां प्रसव के समय महिलाओं की मृत्युदर सबसे ज्यादा (480) है। यह बिहार अथवा उत्तरप्रदेश के मुक़ाबले काफी ज्यादा है। अब तक 3 लाख लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

इस योजना में संपूर्ण चिकित्सा टीमों को लगाया गया है। एक टीम में दो डॉक्टर, तीन नर्सें और लैब टेक्निशियन एवं फार्मासिस्ट रखे गए हैं। ये लोग ज़िले में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा आयोजित तंत्र का सहयोग लेते हैं। नियमित रूप से परियोजना क्षेत्रों मे जाते हैं और लोगों को सेवाएं देते हैं।

हमारे केंद्र की अनोखी स्वास्थ्य सेवा की कहानी अन्य ज़िलों में भी फैल चुकी है और भौगोलिक रूप से अलग-थलग समूहों को ऐसी ही सेवाएं देने की योजनाएं बनाई जा रहीं है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन (एनआरएचएम) इन परियोजनाओं का ख़र्च वहन करते हैं। इन ख़र्चों में चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा मशीनों और नौकाओं के संचालन पर आने वाली लागत शामिल है।

डिब्रूगढ़ तिनसुकिया, ढेमाजी, उत्तर लखीमपुर, जोरहाट, सोणितपुर, मोरीगांव, बारपेटा, नालबाड़ी और धुबरी जिलों में इस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। कामरूप, गोआलपाड़ा और बोनगई गांव ज़िलों में भी नये नौका क्लिनिक शुरू करने की योजनाएं बनाई जा रही है। रणनीति यह है कि द्वीपों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं और इसके लिए चिकित्साकर्मी एकीकृत और सतत स्वास्थ्य सेवाएं देने के कार्यक्रम बनाएं। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ख़ासतौर से ध्यान दिया जाए, उन्हें टीकाकरण और चेकअप की सुविधाएं प्रदान की जाएं। परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता लाने की परियोजना में पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी मदद कर रहा है।

भारत सरकार का योजना आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, यूनीसेफ तथा विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इस कार्य की सराहना कर चुके हैं। टट्स विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बोर्ड और देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के विद्वान भी इसे देख चुके हैं।

मानव स्वास्थ्यचर्या के अलावा हमने इन सेवाओं में एक नया आयाम जोड़ा है। हम पशु चिकित्सकों को भी इन द्वीपों में अपने साथ ले जाते हैं जो राज्य के दुधारू पशुओं की ख़ासतौर से देखरेख करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बालकोष (यूनीसेफ) की सहायता से हज़ारों स्कूली और अन्य बच्चों को लाभान्वित करने का एक नया शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हम इस क्षेत्र में पहला समुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसे डिब्रूगढ़ ज़िले में नदी के तट पर स्थापित किया जा रहा है।

नदियों पर हमने ख़ासतौर से ध्यान दिया है क्योंकि इनमें आने वाली बाढ़ का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सफलता की कहानी सबल और निर्बल, ग़रीब और वंचितों तथा नीतिनिर्धारकों और कानून निर्माताओं की कहानी है जिसमें व्यापारी वर्ग का भी हाथ है। अनेक मामलों में नागरिकों को भी शामिल किया जाता है और उन्हें भागीदार और हितधारक बनाया जाता है। लेकिन अब भी संचार और समझ के बीच काफी अंतर पाटना बाक़ी है।

हमें इससे संबद्ध मुद्दों को समझने के लिए अतीत में जाना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में हर वर्ष बाढ़ के कारण तबाही आती है। कभी बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा नुक़सान होता है तो कभी कम। करोड़ों लोग इसके कारण बेघर हो जाते हैं। लेकिन आजतक पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने वाली इस सार्वजनिक तबाही पर देश के अन्य भागों में शायद ही काफी चर्चा हुई हो। हमें यहां बनाए गए तटबंधों की सुदृढ़ता को मज़बूत करना है और इनके विकल्प ढूंढने हैं। आजकल ये तटबंध घातक बन गए हैं। इनके कारण पानी रुक जाता है और बाढ़ का शमन नहीं होता। कोई भी जानकार आपको बता सकता है कि ये सतही उपाय हैं और इनका दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता। वस्तुतः ये तटबंध ऐसी चीज़ें बन गए हैं जिन्हें सरकार और ठेकेदार ही समझ सकते हैं। इन्हें बनाने में काफी पैसा ख़र्च होता है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। हम ये नहीं समझ पाते कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के चलते विकास की गति ही नहीं रुकती, बल्कि मिट्टी के कटाव के कारण ज़मीन बरबाद हो रही है और लोगों के अमूल्य संसाधन उनकी ज़मीन, मकान और उम्मीदों में क्षरण आ रहा है।

आइए, कुछ आंकडों के जरिये इस बात को समझें। भारत में लगभग 15,675 किमी लंबे तटबंध हैं। इनमें से 5,027 किमी लंबे तटबंध अकेले असम में हैं जो कुल के 32 प्रतिशत के बराबर हैं। सरकार अब भी ज्यादा तटबंध बनाने की बातें कर रही है। इसका मतलब साफ़ है कि हम नाक़ामी दोहराने की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना फ़ायदे का सौदा है। प्रधानमंत्री ने देश में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। इस कार्यबल ने इंजीनियरिंग कार्यों के जरिये बांध और तटबंधों के निर्माण की बात कही थी। इसके लिए एक राष्ट्रीय जल प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया गया था जो टेनेसी वैली कॉरपोरेशन जैसा होगा। लेकिन दिक्क़त यह है कि ये कॉरपोरेशन भी अपनी ख़ामियों के चलते चर्चित हो चुका है। सार्वजनिक रूप से पर्यावरण प्रेमियों के समूह और स्थानीय संस्थानों ने इनकी चर्चा की है।

हम अक़सर सुनते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भूटान और नेपाल के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा इलाक़ा है जिसके तट पर समुद्र नहीं है। हमारी 96 प्रतिशत सीमाएं अन्य देशों से मिलती है।

(शेषांश पृष्ठ 72 पर)

मेघालय के गांवों का सशक्तीकरण

● फ्रीमैन खरलिंगदोह

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने मेघालय के ग्रामवासियों का दृष्टिकोण और जीवनशैली बदलने में सहायता की है लेकिन सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से संकेत मिलते हैं कि इसमें लगे अधिकारी और कर्मचारी अब भी जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना से रहित हैं

देश में जब 2 फरवरी, 2006 राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की गई तो मेघालय में यह उसी दिन लागू नहीं हो पाया। कारण यह था कि मेघालय ऐसा राज्य है जो संविधान के खंड नौ के दायरे में नहीं आता। इसका मतलब यह कि इस राज्य में उस प्रकार के पंचायती राज संस्थान और स्थानीय परिषदें/प्राधिकरण नहीं हैं जैसा कि देश के अन्य भागों में मौजूद है और जो संविधान के खंड नौ के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थानों के न होने के कारण राज्य को पंचायती राज निकायों की तर्ज़ पर सांस्थानिक प्रबंध करने पड़े जिसके जरिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) लागू किया गया। यह एक चुनौती भरा काम था और इसके अंतर्गत अनेक ग्रामीण रोज़गार परिषदों और क्षेत्र रोज़गार परिषदों का गठन करना था। धीरे-धीरे इनका सशक्तीकरण किया गया और उन्हें अधिनियम लागू करने, योजनाएं बनाने, हिसाब-क़िताब रखने तथा सतर्कता और मॉनिटरिंग यूनिटों का सामना करने के योग्य बनाया गया।

मेघालय में नरेगा लागू करने के लिए ये संस्थागत प्रबंध अन्य राज्यों में किए गए प्रबंधों से अलग थे। आइए, हम उन ग्राम रोज़गार परिषदों, क्षेत्र रोज़गार परिषदों, ब्लॉक रोज़गार परिषदों और जिला रोज़गार परिषदों के गठन, अधिकारों, कार्यों और जिम्मेदारियों पर एक नज़र डालें। इसके बाद हम उनके कामकाज़ की चर्चा करेंगे।

ग्राम रोज़गार परिषद (वीईसी)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अनुच्छेद 7ए के अंतर्गत गठित किसी ग्राम रोज़गार परिषद में हर परिवार के एक पुरुष या स्त्री प्रमुख को शामिल किया जाता है। हर वीईसी से निर्वाचित 3 सदस्यों को एईसी में अपने वीईसी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन सदस्यों में परंपरागत ग्राम प्रमुख और परिषद की स्त्री सदस्य शामिल की जाती है। वीईसी के सदस्य एक सचिव चुन लेते हैं। किसी गांव के प्रमुख को इस पद का पात्र नहीं माना जाता। वीईसी की आम बैठक में इन पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। शर्त यह है कि वीईसी की इस बैठक में कम-से-कम 70 प्रतिशत सदस्य मौजूद हों। चुनाव प्रोग्राम ऑफिसर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में होता है। वीईसी के पदाधिकारी स्वैच्छिक आधार पर काम करते हैं। हर वीईसी को इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को दिए गए अधिकार प्राप्त होते हैं। एक कंयुनिटी को-ऑडिनेटर इनकी सहायता करता है।

क्षेत्र रोज़गार परिषदें (एईसी)

किसी क्षेत्र के ढाई किमी परिधि में बसे गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र रोज़गार परिषद का गठन किया जाता है। एक क्षेत्र रोज़गार परिषद के क्षेत्राधिकार में एक या कई परिषदें हो सकती हैं। इन परिषदों का कार्य क्षेत्र ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीईसी से परामर्श करके तय करता है। यदि इस संबंध में कोई विवाद हो तो उसे अंतिम फ़ैसले के लिए डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाता है।

क्षेत्र रोज़गार परिषद में क्षेत्राधिकार में आने वाली वीईसी के तीन-तीन निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं लेकिन किसी भी एईसी में कुल सदस्यों की संख्या के 30 प्रतिशत के बराबर अथवा 20 महिला सदस्य होनी चाहिए।

एईसी के पदाधिकारियों में एक निर्वाचित अध्यक्ष, एक सचिव और सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि की मौजूदगी में चुना जाता है। परिषद अपने प्रमुख अथवा सचिव को एक संयुक्त बैंक खाता संचालित करने का अधिकार देती है जो उसके कार्याधिकार वाले इलाक़े के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। हिसाब-किताब रखने के लिए सभी रसीदें और सवितरण का विवरण रखना पड़ता है। एईसी के सदस्य स्वैच्छिक आधार पर काम करते हैं। हर एईसी को जिला कार्यक्रम अधिकारी वही अधिकार, कार्य, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपता है जो ग्राम पंचायतों को मिलती हैं।

ब्लॉक रोज़गार परिषद (बीईसी)

वर्तमान ब्लॉक निर्वाचन समितियों ने हर क्षेत्र के लिए ब्लॉक रोज़गार परिषदों को अधिसूचित किया है। हर ब्लॉक रोज़गार परिषद को ब्लॉक पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह परिषद ब्लॉक स्तर की योजनाएं तय और अनुमोदित करती है जिनमें वे परियोजनाएं शामिल की जाती हैं जिन्हें शुरू करना होता है। ये परिषद इन परियोजनाओं की देखरेख करती है, उनकी प्रगति पर नज़र रखती है और वे सभी कार्य संपन्न करती है जो उसे सौंपे गए हों। ब्लॉक विकास अधिकारी और उसके समकक्ष विभाग बीईसी द्वारा अनुमोदित वे सभी निर्माण कार्य कराते हैं जो उन्हें सौंपे गए हैं और जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अनुरूप होते हैं।

नये संस्थान

जिले	गांव	वीईसी	एईसी	चरण
पश्चिमी गारो हिल्स	1501	1501	450	1
दक्षिणी गारो हिल्स	668	615	142	1
पूर्वी खासी हिल्स	849	849	239	2
जयंतिया	475	475	179	2
रीभोई	576	583	153	2
पूर्वी गारो हिल्स	938	930	284	3
पश्चिमी खासी हिल्स	1119	1119	347	3

ज़िला रोज़गार परिषद स्तर पर डीआरडीए के कार्यकारी निकाय ने जिला रोज़गार परिषदों की अधिसूचना ज़ारी की है और उन्हें ज़िला पंचायत के अधिकार दिए हैं। ज़िला रोज़गार परिषद वह प्रमुख प्राधिकरण है जो योजनाएं बनाता है और उन्हें लागू कराता है। ये परिषद ज़िला रोज़गार गारंटी योजना की उन योजनाओं को अनुमोदित करता है जिनमें ब्लॉक ईजीएस योजनाएं और खुद उसके प्रस्ताव तथा परियोजनाएं शामिल होती है। अन्य विभागों से प्राप्त प्रस्ताव भी शामिल किए जाते हैं। ये परिषद कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा भी करती है और जिला और ब्लॉक स्तरों पर शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखती है। ये वे सभी काम देखती हैं जो राज्य परिषद ने उसे सौंपे हैं।

28 जुलाई, 2006 को राज्य स्कीम अधिसूचित की गई थी। एईसी, वीईसी और बीईसी सदस्यों को जिला प्रोग्राम को-ऑडिनेटरों ने प्रशिक्षण देकर कार्यान्वयन के तौर-तरीक़ों की जानकारी दी। इन परिषदों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करना काफी बड़ा काम था।

प्रत्यक्ष एवं वित्तीय उपलब्धियां

मेघालय में इस ध्वजवाहक कार्यक्रम का

चित्र-1

सृजित कार्यदिवस

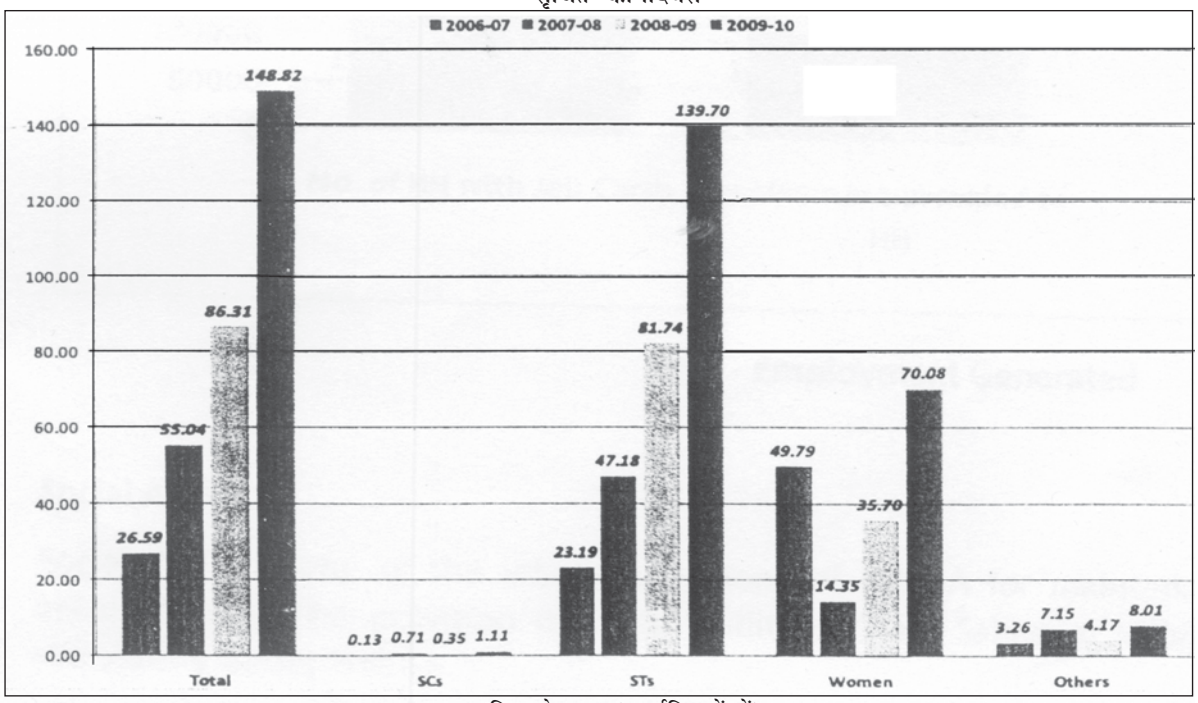

सृजित रोज़गार (कार्यदिवसों में)

चित्र-2

वित्तीय उपलब्धियां

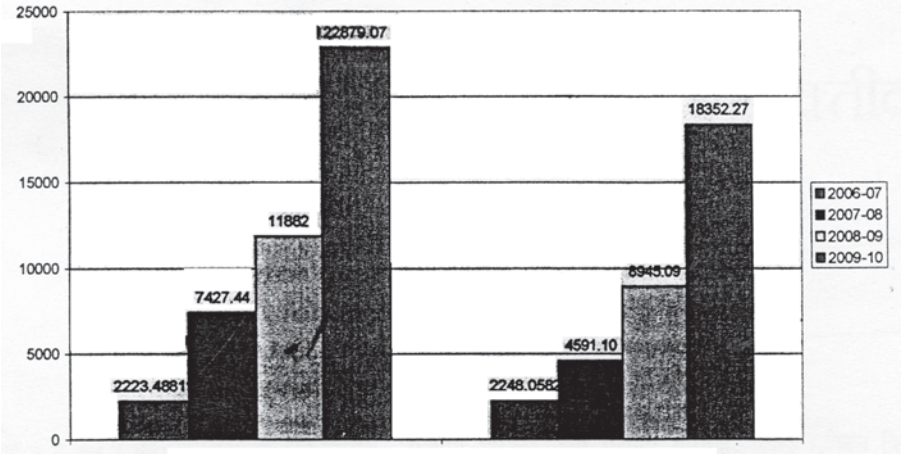

कुल निधियां (लाख रुपयों में)
व्यय (लाख रुपयों में)

कार्यान्वयन तीन चरणों में किया गया। पहले चरण के अंतर्गत वर्ष 2006 में दो जिलों पश्चिमी गारो हिल्स और दक्षिणी गारो हिल्स में काम शुरू किया गया। दूसरे चरण के अंतर्गत 2007 में पूर्वी खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और रीभोई जिलों में काम शुरू किया गया। तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत पूर्वी गारो हिल्स और पश्चिमी गारो हिल्स में वर्ष 2008 में काम शुरू किया गया। गांवों की स्थिति निम्नलिखित है :

वर्ष 2006-07 के दौरान जब यह कार्यक्रम दो ज़िलों में शुरू किया गया तो वर्ष में उपलब्ध ₹ 25.55 करोड़ में से सिर्फ़ ₹ 21.12 करोड़ ख़र्च किए जा सके। कुल मिलाकर 24.22 लाख कार्यदिवस के बराबर रोज़गार सृजन किया गया जो प्रति परिवार पीछे औसतन 25.07 कार्यदिवस बैठा।

वर्ष 2007-08 के दौरान जब सभी 7 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू हो गया तो वर्ष के लिए उपलब्ध कुल ₹ 74.27 करोड़ में से ₹ 56.34 करोड़ की रक़म ख़र्च की गई। इसके जरिये कुल 56.76 लाख कार्यदिवस के बराबर रोज़गार जुटाया गया जो औसतन हर परिवार के लिए 46.07 कार्यदिवस पड़ा।

वर्ष 2008-09 के दौरान वर्ष के लिए उपलब्ध कुल ₹ 118.82 करोड़ में से ₹ 89.45 करोड़ की रक़म ख़र्च की गई। इसकी सहायता से कुल 86.308 लाख कार्यदिवस के बराबर रोज़गार के अवसर पैदा किए गए जो औसत रूप से हर परिवार के लिए 38.49 कार्यदिवस के बराबर थे।

वर्ष 2009-10 के दौरान कुल उपलब्ध ₹ 183.52 करोड़ में से ₹ 217.50 करोड़ ख़र्च किए गए। इसकी मदद से कुल 148.82 लाख कार्यदिवस के बराबर रोज़गार सृजन किया गया जो औसतन 49.53 कार्यदिवस प्रति परिवार आया।

इन आंकडों के विवरण और अब तक की उपलब्धियां चित्र 1,2 और 3 में देखी जा सकती हैं।

चित्र-3

रोज़गार सृजन

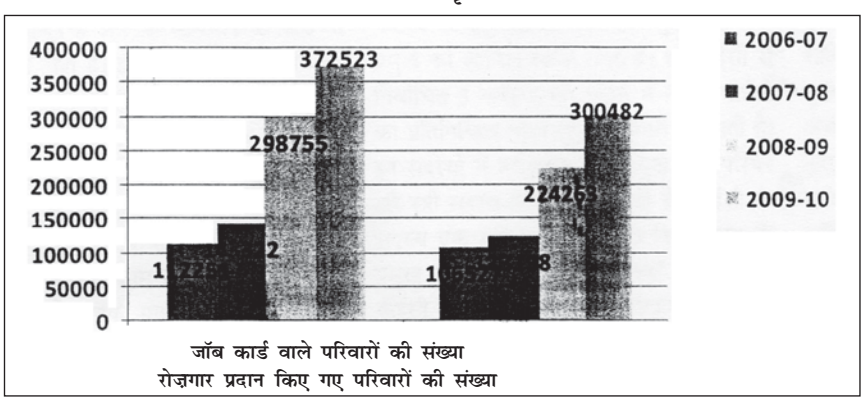

सृजित रोज़गार (कार्यदिवसों में)

शुरू-शुरू में गारो हिल्स में इस योजना के लिए लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही। इसका कारण था लोगों को जॉब कार्ड जारी करने में प्रशासन द्वारा देरी अथवा पैसे की अनियमित उपलब्धता। दक्षिणी गारो हिल्स ज़िले में इस कार्यक्रम के प्रति नरेगा कार्यकर्ताओं में जागरुकता स्तर शुरू-शुरू में 14.71 प्रतिशत था। लेकिन बाद के वर्षों में यह योजना लोकप्रिय होती गई। शुरू-शुरू में कम मज़दूरी के चलते भी यह योजना लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाई।

सामाजिक लेखा परीक्षा

पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बनाए रखने के उद्देश्य से नरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई। हर ग्राम सभा या वीईसी को इस प्रावधान के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य है।

पश्चिमी गारो हिल्स जिले में 1,500 वीईसी के सामाजिक लेखा परीक्षा के दो दौर किए गए। ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा की सार्वजनिक सुनवाई की गई और इसका पहला दौर मार्च 2007 से अप्रैल 2007 तक चला। सामाजिक लेखा परीक्षा का दूसरा दौर सितंबर 2009 से फरवरी 2010 तक चलाया गया। सार्वजनिक सुनवाई के दूसरे दौर के नतीजे निम्नलिखित रहे-

- पांच वीईसी के सचिवों से पैसे का दुरुपयोग करने/हिसाब-क़िताब न दे पाने के चलते ₹ 6.38 लाख की वसूली की गई।
- चार वीईसी के सचिवों ने ₹ 12.41 लाख की राशि उन निर्माण कार्यों में लगा दी जो नरेगा के अंतर्गत अनुमोदित नहीं थे।
- अपर चिगीजांगरे, टिकरीकिला वीईसी के सचिव ने जॉब कार्डधारकों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ₹ 4.20 लाख का घपला किया।

- चार व्यक्तियों को खाताबही नष्ट करने के बदले जेल भेजा गया और जॉब कार्डधारकों के स्थान पर काम करने के अपराध में पांच व्यक्तियों हिरासत में लेने के आदेश जारी किए गए।

सीमाएं

इस योजना को लागू करने में जिला और ब्लॉक स्तरों पर निधियों की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा है। आमतौर पर निधियों की मंजूरी मिलने में काफी समय लग जाता है और जिलाधिकारियों द्वारा मांग की गई निधियां जारी करने में विलंब होता है जिसका नतीज़ा है– परियोजना लागू करने में देरी। इसके चलते रोज़गार सृजन में काफी बाधा आती है क्योंकि ख़ासतौर से फ़सली मांग बढ़ने के समय निधियां मिलने में देर लगती है। निधियों का प्रवाह पर्याप्त और सामान्य होना चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन दिनों फ़सली मांग बढ़ती है, उन दिनों अन्य कारकों का ध्यान रखते हुए मांग पूरी की जानी चाहिए।

मेघालय में बैंकिंग और डाक तंत्र ठीक नहीं है जिससे बैंकों/डाकघरों के जरिये मज़दूरी वितरण में बाधा पड़ती है। आंतरिक स्थानों पर तो बैंकों/डाकघरों की पहुंच बहुत सीमित है और दूर होने के चलते उन्हें पारिश्रमिक बांटना असंभव-सा हो जाता है।

अन्य चुनौतियों में हर गांव में मौके पर जाकर हर निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी जनशक्ति की कमी शामिल है। इसके कारण एस्टिमेट बनाने, नाप-जोख करने और मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने के काम में देर लगती है। सूचना तकनीकी समर्थित तंत्र के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों से निर्माण कार्यों संबंधी विवरण ऑनलाइन नहीं भेजे जा सकते जिसके कारण और आईसीटी मूल सुविधाओं की खराब हालत के चलते इंटरनेट कनेक्शन मिलने में देर लगने से ब्लॉक स्तर के आंकड़े अपलोड करने में भी विलंब होता है। अगर ऐसे आंकड़े राज्य और केंद्र को ठीक समय पर पहुंचा दिए जाए तो ज़िला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को समय पर और जल्दी माकूल जवाब मिल जाता है।

नरेगा का समाज पर प्रभाव

ग्राम विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग को मेघालय में नरेगा संबंधी मूल्यांकन अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके ब्यौरे पर ध्यान देने से ज़ाहिर होता है कि राज्य सरकार को यह कार्यक्रम लागू करने में चार स्तरों पर हितधारकों का सामना करना पड़ता है। ये स्तर हैं श्रमिक, एईसी और बीईसी तथा एनजीओ और अन्य संस्थान एवं ज़िला तथा ब्लॉक स्तर के सरकारी संगठन। आईआईएम, शिलांग ने विश्लेषण के बाद अपने निष्कर्षों में संकेत दिए हैं कि चार प्रकार के हितधारकों में से श्रमिक 55 प्रतिशत, एईसी/बीईसी 65 प्रतिशत, तृतीय पक्षकार 60 प्रतिशत और ज़िला/ब्लॉक अधिकारी 95 प्रतिशत नरेगा के प्रावधानों से अवगत हैं।

अब तक दो महत्वपूर्ण हितधारक यानी श्रमिक और एईसी/बीईसी सदस्य गांवों के लिए स्वीकृत बजट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि नरेगा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है।

72 प्रतिशत लोग काम की मांग के बारे में आश्वस्त हैं। 95 प्रतिशत को काम करने का विकल्प है और वे मानते हैं कि जो कुछ काम किया जा रहा है वह उपयोगी है।

मस्टर रोल सही ढंग से तैयार किए जाते हैं और मस्टर रोल में जो भी प्रविष्टियां की जाती हैं वे सभी जॉब कार्डों की प्रविष्टियों से मेल खाती हैं। 62 प्रतिशत से ज्यादा श्रमिक इस बात से सहमत हैं कि उन्हें नरेगा कार्यक्रम से अतिरिक्त आय हुई है और इसके कारण उनकी प्रारंभिक और द्वितीयक गतिविधियां सुधारी हैं।

नरेगा में काम करने वाले लगभग 67 प्रतिशत श्रमिकों की राय है कि इसकी मदद से वे अपनी दिन-प्रतिदिन की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं।

इस कार्यक्रम ने श्रमिकों को एक मंच प्रदान किया है जहां इकट्ठे होकर वे राज्य, देश और आस-पास के माहौल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इससे उनमें सामान्य जागरुकता बढ़ती है। 81 प्रतिशत सहमत हैं कि इस कार्यक्रम के चलते उनकी सूचना का आधार बढ़ गया है। जिन महिला श्रमिकों ने सर्वेक्षण में भाग लिया वे सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी अपने साथ काम करने वालों से बात करके हासिल कर लेती हैं।

82 प्रतिशत से ज्यादा तृतीय पक्षकारों ने खबर दी है कि इस कार्यक्रम के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रहन-सहन के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आया है। इस कार्यक्रम के कारण जनता और सरकारी प्रशासन के बीच बेहतर सहयोग पैदा हुआ है। 50 प्रतिशत से ज्यादा तृतीय पक्षकारों की राय है कि इस कार्यक्रम के शुरू होने से काम की तलाश में लोगों का गांवों से शहरों की तरफ जाने का सिलसिला नियंत्रित हुआ है। पश्चिमी गारो हिल्स और पूर्वी गारो हिल्स के सभी 100 प्रतिशत तृतीय पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इस कार्यक्रम के जरिये उन लोगों को आय का बेहतर स्रोत मिल रहा है जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता।

सौ दिनों के रोज़गार के आश्वासन से ग्रामीण लोगों को अपनी आय का एक नया स्रोत प्राप्त करने और बालश्रम पर रोक लगाने में मदद मिली है। इस कार्यक्रम ने स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद की है क्योंकि उन्हें आय बढ़ाने के लिए परिवार के लोग काम करने को मज़बूर नहीं करते। आईआईएम शिलांग के अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम से मेघालय ग्रामवासियों के दृष्टिकोण और जीवनशैली में परिवर्तन लाने में सहायता मिली है। लेकिन सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इस काम में लगे अधिकारी अब भी जिम्मेदारी और जवाबदेही से काम नहीं लेते। इसका कारण यह है कि एक उपयुक्त कानून पारित करके वीईसी और एईसी पदाधिकारियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने की व्यवस्था नहीं है।

इसलिए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि एईसी/बीईसी के सदस्यों को ज़रूरतों, व्यवहारों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में लगातार प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता वृद्धि करने की ज़रूरत है तभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम सफल हो सकेगा। ❑

(लेखक मेघालय सरकार, शिलांग के सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास विभाग में सचिव हैं।

ई-मेल : freeman@ias.nic.in)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला एवं आजीविका मुद्दे

मेघालय के विशेष संदर्भ में

● पैट्रीसिया मुखिम

विश्वभर में महिलाएं ही रोज़मर्रा के आधार पर परिवार के गुज़ारे का इंतजाम करती हैं। यह बात पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी लागू होती है, जहां अभी भी खेती का अधिकांश काम महिलाएं ही देखती हैं। बीज की बुवाई से लेकर धान की रोपाई और अन्य फ़सलों की पैदावार का ज्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं। जहां मशीनों से फ़सल की कटाई और कुटाई संभव नहीं है, वहां महिलाएं और पुरुष फ़सल की कटाई, कुटाई और उड़ावनी करते हैं। धान के दानों से चावल और भूसे को अलग करने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी का प्रसंस्करण और उनकी पैकेजिंग का काम ऐसा है जिसे इस क्षेत्र की महिलाएं बहुत अच्छी तरह से करती हैं।

कृषि कार्य में महिलाओं के इस योगदान को उचित महत्व नहीं दिया गया है। अधिकांश महिला कृषकों को न तो प्रशिक्षण मिला है और न ही बीज। कृषि विभाग द्वारा बीजों का वितरण प्राय: उस समय किया जाता है, जब बुवाई का समय निकल जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं स्थानीय संसाधनों की सबसे परिश्रमी परिचारिका और प्रबंधक होती हैं, उन्हें कृषि पद्धतियों, बीजों और बीज बैंक की निर्णय-प्रक्रिया में कोई निर्णायक भूमिका नहीं सौंपी जाती। बदले में किसी लाभ की इच्छा किए बगैर, महिलाएं प्रकृति का संतुलन बनाए रखने और उसके संरक्षण के कठिन कार्य में लगी हुई हैं। वे केवल इतना चाहती हैं कि उन्हें खेती के लिए इतनी भूमि मिल जाए, जिस पर वे बहु-फ़सली खेती कर सके ताकि पूरे परिवार के लिए भोजन मिल सके।

बाज़ार के लिए बड़े पैमाने पर फ़सलें और सब्ज़ियां पैदा करने के कृषि कार्य में बहुत कम महिलाएं लगी हैं। देश के इस भाग में महिलाएं मशरूम, जड़ी-बूटियां, औषधीय पौधों आदि जैसे गैर-इमारती वनोपज पर ही अधिकतर निर्भर करती हैं। वन यदि हरे-भरे रहते हैं और वे कुछ पैदा करते रहते हैं, तो इससे महिलाओं को ही लाभ होता है। यहीं पर आदिवासी समुदायों के बीच हितों का संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि वे खड़े हुए वृक्षों को केवल इमारती लकड़ी की सामग्री के रूप में ही देखते हैं। इस तरह के शोषणकारी स्वार्थी व्यक्ति जैव-विविधता और सभी जीवों की परस्पर निर्भरता का महत्व और अर्थ नहीं समझते।

महिलाएं यदि घरेलू उपयोग के लिए ईंधन इकट्ठा करती भी हैं तो वे उसे बड़े न्यायसंगत तरीक़े से करती हैं। वे पेड़ों की शाखाओं को तो काटती हैं, परंतु कभी भी पूरा पेड़ नहीं काटती हैं। महिलाएं यह अच्छी तरह से जानती हैं कि वन हमारे जल संसाधनों की रक्षा करते हैं और वे हमें जल देते हैं। मेघालय के जयंतिया, पश्चिम खासी और गारो पर्वतीय क्षेत्रों के कोयला खानों में चूहे के बिल वाली खनन प्रक्रिया के कारण पेयजल का स्तर काफी नीचे गिर गया है। एक बाल्टी अथवा घड़ाभर पानी लाने के लिए महिलाओं को दो किमी से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। मैंने यह अध्ययन कोयला खनन क्षेत्रों में किया है। रोज़ के इस काम में उनका अधिकांश उत्पादक समय व्यर्थ चला जाता है। केवल इतना ही नहीं है, जयंतिया पर्वतीय जिले की कम-से-कम दो प्रमुख नदियों- लुखा और वैखिरवी का जल कोयला खानों से निकलने वाले गंधक के अम्ल के कारण विषैला हो गया है। इन नदियों से कृषि गतिविधियां चलाने में मदद मिलती थी। परंतु वे अब निर्जीव हो चुकी हैं और जो लोग खेती के लिए

उन पर निर्भर थे, उन्हें दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ा है। इस प्रकार इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

सरकार जब पीने योग्य पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और क़चरा इकट्ठा करने का इंतज़ाम करने में असफल रहती है, तो इससे सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को ही होता है। अत: पर्यावरण-क्षरण, प्रदूषण आदि की सीधी शिकार महिलाएं ही होती हैं।

जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, लघु वनोपज और जड़ी-बूटियों के संग्रहण से महिलाओं और उनके परिवारों को हमेशा से ही वर्षभर अतिरिक्त आय, मूल्यवान पोषण और चिकित्सकीय मदद मिलती रही है। चूंकि महिलाएं अधिकतर श्रमसाध्य और गैर-मुद्रा (नकदी) वाली अर्थव्यवस्था में काम करती हैं, वे मुनाफ़ाखोरों, बिचौलियों और अपने परिवारों के पुरुष सदस्यों की शिकार बनती हैं। वनों की अंधाधुंध निर्मम कटाई का अर्थ है, आय और पोषण दोनों की कमी।

जब भी खेती में मशीनों का उपयोग होने लगता है, महिलाएं हाशिये पर चली जाती हैं और यह इसलिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को शामिल करने की बजाय उनको दूर ही रखा जाता है। महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों, रसोई के उपस्करों के साथ-साथ समय और ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के नियोजन में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। पर्यावरण शिक्षा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाना चाहिए और महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण बलों के तौर पर लामबंद किया जाना चाहिए।

सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पूर्वोत्तर की जनजातीय भूमि, जो शेष देश के अधिकांश लोगों के लिए 'कार्बन सिंक' के तौर पर काम कर सकती है, उसका दोहन कोयले और चूना पत्थर के खनन के लिए किया जा रहा है। और केंद्र सरकार अब यहां यूरेनियम का खनन करना चाहती है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में हम सभी जानते हैं कि यूरेनियम से जो विकिरण निकलता है उसका लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जलस्रोत प्रदूषित होते हैं और अन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। धनलोलुप व्यापारियों, सरकार और स्थानीय आबादियों के बीच जारी इस खींचतान और लड़ाई से लोगों की आजीविका के साधन नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उत्पादक भूमि कम होती जा रही है।

सरकार और अब तक अछूती रही इन पहाड़ियों पर हज़ारों बांध बनाने का इरादा रखने वाली विद्युत उत्पादन इकाइयों जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की संख्या या तो है ही नहीं, और है भी तो बिल्कुल नगण्य। इस एक सच्चाई के कारण महिलाओं के अनुकूल एजेंडा को आगे बढ़ाना कठिन हो जाता है। इन संस्थाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण से विचार-विमर्श का सर्वथा अभाव है। ऊर्जा उद्योग अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विनाश और परिणामों की चिंता किए बगैर केवल विद्युत उत्पादन के बारे में ही बातें करते हैं।

इसीलिए यह ज़रूरी है कि विकास और पर्यावरणीय नीतियों का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए सभी स्तरों पर कोई तंत्र स्थापित किया जाए और उसे सुदृढ़ बनाया जाए। जैसाकि हम जानते हैं, ग़रीबी और पर्यावरण के बीच आपसी संबंध बड़े ही जटिल हैं। जितनी अधिक ग़रीबी होगी, पर्यावरण का विनाश भी उतना ही अधिक होगा। ग़रीबी में रहने वाले लोगों के पास अपने प्राकृतिक पर्यावरण का विनाशकारी दोहन करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। ईंधन और खेती के लिए वृक्षों और वनों की कटाई, इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह वह क्षेत्र है जहां शीघ्र विवाह और किशोरावस्था में ही गर्भधारण के कारण प्रजनन दर काफी ऊंची है। दो वर्ष पूर्व मेघालय के एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि ने एक ऐसी महिला को पुरस्कार दिया था जिसके 16 बच्चे हैं। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी उसके पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे यह संकेत मिलता है कि जन्म देने के अधिकार शब्द का मेघालय में कोई महत्व नहीं है, उसे स्वीकार्यता नहीं मिली है। किशोर विवाह के कारण इस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। यहां मातृ मृत्युदर भी काफी ऊंची है। प्रति 1,000 जीवित जन्मों के लिए 53 माताएं दम तोड़ देती हैं जबकि पैदा होने वाले 1,000 बच्चों में से 61 की प्रसव के दौरान या उसके तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है (एनएफएचएस-3)। ये कारक भी महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नगण्य हैं। शिलांग के मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार गांवों के क़रीब 70 प्रतिशत लोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर ही निर्भर करते हैं। संयोगवश देसी चिकित्सा पद्धति से इलाज

करने वालों में अधिकांश महिलाएं ही हैं।

अत: महिलाएं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि आगे जाकर यही उनके काम आता है। बहुत सारी महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अनेक महिलाओं ने मालिश करने का व्यवसाय अपनाया हुआ है। वे जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों की पहचान कर सकती हैं। परंतु इन पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है और न ही महिलाओं को इसे लिपिबद्ध कराने का अवसर और संसाधन प्रदान किया जाता है ताकि भविष्य में उपयोग के लिए वे इस ज्ञान को सुरक्षित रख सके। ज्ञान का यह समृद्ध स्रोत है और यह एक ऐसी बौद्धिक संपदा है, जिसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

जलवायु की अनिश्चितताओं ने यहां के कृषक समुदायों को भी उसी प्रकार प्रभावित किया है जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में। परंतु महिलाओं ने कोई शिकायत नहीं की है। वे तो केवल एक फ़सल से अगली फ़सल की ओर बढ़ती रही हैं। उदाहरणार्थ, हाल के वर्षों में बेमौसम वर्षा से कुछ साग-सब्ज़ियों की उत्पादकता में कमी आई है तो कुछ सब्ज़ियों और फलों की बढ़ी भी है। महिलाओं ने अधिक उत्पादन देने वाली सब्ज़ियों और फलों को अपनाकर परिस्थितियों से निपटने का तरीक़ा सीख लिया है। उन्होंने स्ट्रॉबेरी और किवी जैसे फलों की खेती भी शुरू की है, जिनका राज्यों के बाहर अच्छा बाज़ार है। कुछ अन्य लोगों ने पुष्पोत्पादन का व्यवसाय अपनाया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाएं धान और अन्य बीजों की देसी प्रजातियों की संरक्षक भी बनी हुई हैं। अनिश्चित जलवायु की आज की परिस्थितियों में, खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे देसी बीजों का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वे बहुत पक्के होते हैं; जलवायु की विविधताओं और मौसम के उतार-चढ़ाव को सहने में वे अधिक सक्षम होते हैं। परंतु यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर नियामकों का पर्याप्त ध्यान नहीं गया है। देसी बीजों के संरक्षण के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। स्थायी बीज बैंकों के निर्माण का भी प्रयास नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि इस धरती पर जीवन को बनाए रखने में महिलाएं जो योगदान करती हैं, उसकी स्वीकार्यता की प्रक्रिया कितनी सुस्त है। परंतु बीज संरक्षण का अर्थ यह भी होता है कि साल-दर-साल उसकी बुवाई की फ़सल ली जाए। यदि धान की देसी प्रजातियों की खेती व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो सरकार उन प्रजातियों का उत्पादन खेती करने के लिए महिला कृषकों को विशेष अनुदान दे सकती है।

अनेक गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों के साथ तालमेल बिठाकर इन प्रक्रियाओं के विस्तार में मदद कर रही हैं। जीन कैंपेन नाम की संस्था, इस तरह के बीज बैंक की स्थापना के लिए मेघालय के एक स्थानीय विश्वविद्यालय से गठजोड़ की संभावनाओं के बारे में विचार कर रही है। महिलाओं की आवाज़ को सही जगहों पर पहुंचाने के लिए इस तरह की नेटवर्किंग आवश्यक भी है, क्योंकि भयावह तेज़ी और ताक़त के साथ बढ़ी चली आ रही विनाशकारी प्रक्रियाओं का मुख मोड़ा जा सके। ❑

(लेखिका शिलांग टाइम्स की संपादक होने के साथ-साथ राजनीतिक समीक्षक भी हैं। वे स्त्री-विमर्श तथा उपभोक्ता अधिकारों के आंदोलनों से भी जुड़ी हुई हैं। ई-मेल : patricia17@rediffmail.com)

YH-12/10/14

नैसर्गिक सौंदर्य में गिरावट का दौर

● राजू दास

मेघालय में अवैज्ञानिक खनन के कारण राज्य के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ एक बढ़ती चिंता का विषय है

संस्कृत में मेघालय का अर्थ 'बादलों का घर' है। इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर नोबल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने ही इस नाम की परिकल्पना की थी। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित इस राज्य की राजधानी शिलांग को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्योंकि स्कॉटलैंड की जलवायु और परिदृश्य शिलांग से काफ़ी मिलते-जुलते हैं।

मेघालय भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 22.429 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य के प्रति प्रकृति काफी उदार रही है और उसने पहाड़ियों, झरनों, गुफाओं और वनों से इसकी झोली भरी है। इसके वनों में उप-कटिबंधीय देवदार के पेड़, सदाबहार और अन्य अस्थायी पेड़ पाए जाते हैं।

मेघालय भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल राज्य है। देश का संविधान यहां के स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर इसकी असाधारण पारिस्थितिकी के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान की छठी अनुसूची के अधीन राज्य के वन और उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन के लिए राज्य के खासी, जयंतिया और गारो हिल्स में तीन स्वायत्त जिला परिषद हैं। प्रत्येक परिषद में खासी, जयंतिया और गारो के स्थानीय समुदायों से 30 सदस्य शामिल किए गए हैं।

बावजूद इसके राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र कई कारणों से घटते जा रहे हैं। इन कारणों में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन प्रमुख है। राज्य में चारकोल का निर्माण होना तथा स्थानीय लोगों द्वारा खेती के स्थान को बदलना, वनों की कटाई करना तथा उसे जलाने की विधि का प्रयोग वनाच्छादित क्षेत्रों के ह्रास के अन्य कारण हैं। सरकार ने चारकोल के उत्पादन पर रोक लगा दी है और अब स्थानीय समुदायों से यह उपेक्षा कर रही है कि खेती के स्थान को बदलने के कारण वनों का कम-से-कम नुक़सान हो।

दूसरी ओर यहां स्थानीय लोगों द्वारा वन संरक्षण की वर्षों पुरानी परंपराओं के कई उदाहरण भी मिलते हैं। शिलांग से लगभग 25 किमी दूर मावफ्लांग में सेक्रेड ग्रूव्स नामक परंपरा इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। स्थानीय खासी समुदाय इस पवित्र वन का संरक्षण करता है जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले औषधीय और सुगंधित पेड़-पौधों का अकूत खजाना है। दक्षिण गारो हिल्स में स्थित बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार का दूसरा उदाहरण है और गारो समुदाय के लोग इस विश्वास के साथ इस उद्यान की रक्षा करते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं इसमें निवास करती हैं।

मेघालय राज्य खनिजों के मामले में भी समृद्ध है। कोयला, चूना-पत्थर, यूरेनियम, सिलिमिनेट और अन्य खनिज पूरे राज्य में प्रचुरता से पाए जाते हैं। वर्षों से मेघालय अपने खनिज पदार्थों और खनन गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहा है। राज्य के कोयला खदानों में कुल 64 करोड़ टन कोयले का भंडार है। इस कोयले में गंधक की अधिक मात्रा पाई जाती है। इन कोयला भंडारों के अधिकांश हिस्से का खनन व्यक्तियों अथवा स्थानीय समुदायों द्वारा अवैज्ञानिक तरीक़े से किया जाता है। अवैज्ञानिक तरीक़े से कोयले के खनन के कारण कई नदियों के जलस्रोत, विशेषकर जयंतिया हिल्स जिले में अम्लीय हो गए हैं।

राज्य में कोयले का खनन उसी प्रकार किया जाता है, जैसे कि चूहे द्वारा बिल खोदे जाते हैं। कोयला खदान के मज़दूर और बच्चे इन बिलों में काफी गहराई तक जाकर पारंपरिक औज़ारों की सहायता से कोयला निकालते हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों के अनुमान के अनुसार, नेपाल, असम और यहां तक कि बांग्लादेश के कई हज़ार बच्चे इन खदानों में काम करके प्रतिदिन लगभग 300-400 रुपये कमा लेते हैं और इन अस्वास्थ्यकर तथा ख़तरनाक खदानों में कई घंटों तक रहते हैं।

एक बार कोयला निकाल लेने के बाद यहां खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है। कभी अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी नामक स्थान आज पर्यावरण संबंधी अनियमितताओं के कारण लगभग बंजर के रूप में बदल गया है। इस क्षेत्र को अब उपेक्षित कोयला खदानों और वीरान पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। जयंतिया हिल्स जिले में भी ऐसा ही नज़ारा है।

खनन संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारी धातु जब अवशेष के रूप में रह जाते हैं तो बाद में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अनेक रसायन बनाते हैं। वर्षा और भू-गर्भीय जल इन रसायनों के साथ मिलकर दूषित होने के बाद शुद्ध जल स्रोतों तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं।

कोपिली पनबिजली परियोजना मेघालय और असम राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। जयंतिया पहाड़ियों में कोयले के अवैज्ञानिक खनन के कारण 275 मेगावाट क्षमता वाली इस पनबिजली परियोजना के अस्तित्व पर ख़तरा मंडराने लगा है। जयंतिया पहाड़ियों में खुले खदानों से बहते प्रदूषित जल के कारण कोपिली नदी का जल अम्लीय हो गया है। भारत में यह पहला मामला है जब किसी पनबिजली परियोजना का जल अम्लीय हो गया हो। कोपिली नदी के जल का पीएच स्तर सात से घटकर चार तक पहुंच गया है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रदूषण मुक्त जल का पीएच स्तर सात होता है। जल में मौजूद अम्लीय घटकों के कारण महत्वपूर्ण मशीनों के साथ ही तटबंध का ढांचा भी ख़राब होने लगा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इस नदी से जीव-जंतु गायब हो गए हैं। इस संयंत्र को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का नुक़सान होने का अनुमान है। इस परियोजना का निर्माणकर्ता उत्तर-पूर्वी बिजली निगम (एनईपीसी) इस संकट पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जापान से विशेषज्ञों को बुला रहा है। इनके सुधार के लिए कोपिली नदी को एक वर्ष के लिए भी अगर बंद किया जाए तो बिजली की कमी से जूझ रहे असम, मेघालय तथा इसके आसपास के इलाक़े के लिए कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं।

कोयला खदानों के साथ ही चूना-पत्थर का खनन और सीमेंट उद्योग ने विशेषकर जयंतिया पहाड़ियों में पर्यावरण संबंधी गिरावट में अपनी भूमिका निभाई है। राज्य के पास चूना-पत्थर का कुल 500 करोड़ टन का भंडार है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जहां-तहां चूना पत्थर पाया जाता है, जो विशेषकर बांग्लादेश की सीमा से लगे दक्षिणी क्षेत्र और जयंतिया हिल्स जिले में उपलब्ध हैं। सीमेंट उद्योग की एक बड़ी फ्रांसीसी कंपनी लाफार्ज का संयंत्र पूर्वी खासी पहाड़ी ज़िले के शेल्ला में स्थित है, जो राज्य की सबसे बड़ी सीमेंट परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना विश्व में अपने तरह की परियोजनाओं में से एक है और यह नोंगतराई के आसपास के गांवों और पूर्वी खासी हिल्स में शेल्ला से चूना-पत्थर का खनन करके एक 17 किमी लंबे कॉनवेयर बेल्ट के माध्यम से बांग्लादेश में 15 लाख टन क्षमता वाले अपने चातक सीमेंट संयंत्र को कच्चा माल भेजती है।

इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस मुद्दे को उठाया कि इस परियोजना से जुड़े लोगों ने वन क्षेत्र को गैर-वन क्षेत्र के रूप में दर्शाकर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त की है। इसके बाद से यह परियोजना कानूनी विवादों में उलझ गई है। पहले ग्राम परिषद और जिला परिषद ने कंपनी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया था। इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने लाफार्ज कंपनी द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पाने के तरीक़े पर आपत्ति जताते हुए खनन कार्य को स्थगित कर दिया था। बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौता होने तथा दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के हस्तक्षेप के कारण इस आदेश को वापस ले लिया गया। लाफार्ज पर्यावरण की क्षति के बदले ग्रामीणों को मुआवज़े के तौर पर विकास परियोजनाओं के माध्यम से 60 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई है।

जयंतिया हिल्स में नोंगखलीह की एक अन्य परियोजना भी विवादों में है। लाफार्ज ग्रीनफील्ड इंटिग्रेटेड सीमेंट संयंत्र में 1,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ इसकी क्षमता 11 लाख टन की होगी। कंपनी को स्थानीय ग्राम परिषद और जयंतिया हिल्स जिला परिषद से स्वीकृति मिल गई है किंतु स्थानीय ग्रामीण यह कहते हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि यह परियोजना इस क्षेत्र में पर्यावरण के ह्रास का कारण बनेगी।

सैकड़ों ग्रामीणों ने इस माह जिला परिषद और लाफार्ज कंपनी के अधिकारियों को उस स्थान का सर्वेक्षण करने से रोक दिया, जहां इस संयंत्र को स्थापित किया जाना है। जयंतिया हिल्स जिला मुख्यालय के एक चर्च नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हामखेन हेल्पमे मोहरमेन ने 10 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण और वनमंत्री के पास आवेदन कर यह मांग की है कि इस परियोजना को पर्यावरण-संबंधी स्वीकृति न दी जाए, क्योंकि नारपुह और सैपुंग संरक्षित वनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चूना-पत्थर से समृद्ध जयंतिया हिल्स और मेघालय के दक्षिणी भाग में कई गुफाएं मौजूद हैं। जयंतिया हिल्स में स्थित क्रेम उम लावान दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे लंबी और गहरी गुफा है। इसकी लंबाई 6,381 मीटर है और विशेषज्ञों का कहना है कि इसका संबंध आदिनूतन युग से है। क्रेम कोटसाती गुफा (3,650 मीटर लंबी), क्रेमलाशिंग (2,650 मीटर लंबी) गुफा के साथ ही कई अन्य गुफाएं इस जिले में मौजूद हैं जो सीमेंट संयंत्रों के निकट स्थित हैं। ये गुफाएं प्रागैतिहासिक होने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। गुफाओं से संबंधित भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से बने मेघालय एडवेंचर एसोशिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल करके इस समृद्ध पारिस्थितिकी में चूना-पत्थर के खनन पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने आवेदन ख़ारिज कर दिया है।

यूरेनियम का खनन एक अन्य विवादास्पद मुद्दा है। आणविक खनिज निदेशालय ने पश्चिमी खासी हिल्स और गारो हिल्स के विभिन्न हिस्सों में कई दशक पहले इस खनिज का पता लगाया किंतु यहां के सामाजिक संगठनों के विरोध के कारण अब तक इसका खनन नहीं किया गया है। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में 1,100 करोड़ रुपये की लागत वाली किलेग

पिंडेंग सोहिओंग मौथावाह यूरेनियम खनन परियोजना इस प्रकार की परियोजनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न हितधारकों के विरोध के कारण यह भी अब तक शुरू नहीं हुई है।

यूसीआईएल ने मेघालय में एक ओपन कास्ट यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य में 92.20 लाख टन कच्चा यूरेनियम भंडार होने का अनुमान है। राज्य के पास प्रतिवर्ष 3,75,000 टन यूरेनियम के उत्पादन और प्रतिदिन 1,500 टन यूरेनियम के प्रसंस्करण की भी योजना है। पिछले वर्ष भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (यूसीआईएल) ने दक्षिणी मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स के यूरेनियम से समृद्ध 442 हेक्टेयर क्षेत्र में अपनी खनन-पूर्व विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए 209 करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया है। यूसीआईएल ओपन-कास्ट खनन के माध्यम से वैज्ञानिक तरीक़े से कच्चा यूरेनियम निकालना चाहता है, किंतु झारखंड के जादूगुड़ा में अपने घटिया प्रदर्शन के कारण वह इसके खनन में समर्थ नहीं हो पाया है। कई गैर-सरकारी संगठन जादूगुड़ा में प्राप्त अनुभव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि रेडियो-सक्रिय खनिज स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति गंभीर ख़तरा बन सकता है।

पश्चिमी खासी हिल्स के अलावा गारो हिल्स में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान के निकट भी यूरेनियम भंडार होने का पता चला है। किंतु इसकी खोज के बाद गैर-सरकारी संगठनों के विरोध के कारण पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसके लिए अगला क़दम उठाने की अनुमति नहीं दी है। इस उद्यान में कुछ दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं।

मेघालय में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि अवैज्ञानिक खनन के कारण राज्य के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राज्य के पर्यावरणविद इस प्रकार के खनन को रोकने की मांग करते आ रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने एक खनन नीति तैयार की है। इस मसौदे को सभी हितधारकों के पास भेजा गया है किंतु अब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। सरकार इस क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहती है और यह पर्यावरण को बचाने के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के प्रति वचनबद्ध भी है। राज्य सरकार का कहना है कि उसे यह आशा है कि इस वर्ष के अंत तक खनन नीति लागू हो जाएगी और इससे मेघालय के नैसर्गिक सौंदर्य को स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी। ❑

(लेखक शिलांग में असम ट्रिब्यून **के संवाददाता हैं।**
ई-मेल : rajudas99@gmail.com)

IAS 2011-12 || विश्वसनीय, प्रासंगिक एवं सफलता उन्मुखी मार्गदर्शन हेतू

प्रारंभिक परीक्षा
सामान्य अध्ययन
ऐप्टिट्यूड

मुख्य परीक्षा
सामान्य अध्ययन
लोक प्रशासन

विशेषज्ञों के समूह द्वारा

राजीव रंजन सिंह द्वारा

आगामी सत्रः
⇨ 20th Nov '10
⇨ 15th Jan '11
⇨ 25th Feb '11

आगामी सत्रः
⇨ 20th Nov '10
⇨ 15th Jan '11
⇨ 25th June '11

अखिल भारतीय कार्यशाला

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नये पाठ्यक्रम एवं प्रारूप पर

राजीव रंजन सिंह द्वारा

केंन्द्रः- जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इंदौर, पटना एवं राँची

अवधिः- नवम्बर-दिसम्बर 2010

निःशुल्क पंजीकरण/जानकारी हेतू सम्पर्क करे- ए. के. बोस # (0) 9911268138

INTERFACE IAS ACADEMY

2244, Hudson Lane, Kingsway Camp (near G.T.B. Nagar Metro Station), Delhi-9
 # 011-27121867; 27247894; 9911268138;9711604497

POSTAL GUIDANCE IS ALSO AVAILABLE

YH-12/10/2

मातृ सत्तात्मक समाज का उदाहरण है मेघालय

● चंद्रभान यादव

मेघालय अपनी कई खूबियों के कारण प्रसिद्ध है। मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था। 21 जनवरी, 1972 को इसे असम से अलग कर दिया गया। यहां की राजधानी शिलांग है, जिसे भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन कहा जाता है। इसका निर्माण सन् 1874 में कर्नल हेनरी होपिडेसन ने कराया था। इसका क्षेत्रफल 22,424 वर्ग किमी. तक फैला है तथा यहां की कुल आबादी (2001 की जनगणना अनुसार) 21,75,000 है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस राज्य की झोली में एक से बढ़कर एक खासियत है। इस राज्य में विश्व में सबसे अधिक बारिश भी होती है। मेघालय की एक और खासियत यह है कि पूरे देश में जहां पितृ सत्तात्मक समाज है वहीं यह एक ऐसा प्रदेश है जहां मातृ सत्तात्मक समाज है। यहां के लोगों की आंखें गोल व छोटी, चेहरे पर नाममात्र की मूंछें होती है।

यहां चलता है बेटियों का वंश

मेघालय में बेटों का नहीं बल्कि बेटियों का वंश चलता है। बेटियां ही पैतृक संपत्ति की मालकिन होती हैं। इसके पीछे कई किवदंतियां है। लोककथाओं में इस बात का जिक्र है कि यहां खासी और गारों जनजातियों पर हमला हुआ था। पुरुषों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि युद्ध में मारे जाने के बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा? उन्होंने तय किया कि महिलाओं को ही संपत्ति का उत्तराधिकार दे दिया जाए। इस व्यवस्था के अनुसार विवाह होने के बाद लड़की के बजाय लड़का ही पत्नी के घर पर रहता है। घर की संपत्ति की देखरेख मामा करता है और परिवार के भरण-पोषण का अधिकार पिता का होता है। अगर परिवार में एक से अधिक बेटियां हैं तो संपत्ति की उत्तराधिकारी सबसे छोटी बेटी को माना जाता है। मामा उसका सलाहकार होता है। उत्तराधिकारी को नोकना नामक पदनाम दिया जाता है।

जलवायु

मेघालय की जलवायु उपोष्ण (उष्ण और शीत के मध्य) तथा आर्द्र है। वार्षिक वर्षा 1200 सेंमी तक होती है। इसी राज्य में अवस्थित चेरापूंजी को विश्व में सबसे अधिक बारिश वाले प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। जबकि इसी शहर के पास के गांव मावसिनराम के नाम सर्वाधिक सालाना बारिश का रिकॉर्ड दर्ज़ है। राज्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा वनाच्छादित है। 1966 मीटर की ऊंचाई के साथ ही शिलांग शिखर को सर्वोच्च शिखर का ख़िताब मिला हुआ है। कई गुफाओं में चूने जल की विभिन्न आकृतियां हैं जिनमें स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट जैसी आकृतियां प्रसिद्ध हैं।

इस राज्य की 85 फीसदी आबादी जनजातीय हैं। जिसमें 50 फीसदी खासी जनजाति के लोग हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर गारो जनजाति है। यहां क़रीब 15 प्रतिशत अन्य जाति के तथा शेख़ हैं। यह देश के उन तीन राज्यों में से एक है जहां ईसाइ बहुमत है। अन्य दो ईसाइ बहुल राज्य- नगालैंड और मिज़ोरम भी पूर्वोत्तर भारत में ही है। खासी जनजाति कैथोलिक हैं जबकि गारो बाप्टिस्ट।

उद्योग-धंधे

यहां के लोगों का प्रमुख उद्योग-धंधा शिकार करना है। ये विभिन्न जानवरों के अलावा मछलियों का शिकार करते हैं। मछलियों को पकड़ने का इनका तरीक़ा भी अन्य स्थानों से हट कर है। ये पेड़ की लता और छाल नदी में डालकर पीटते हैं। छाल से निकलने वाले रस को खाने के बाद मछलियां सुस्त हो जाती है और ये आसानी से उसे पकड़ते हैं। इसके अलावा यहां संतरा, शहद उत्पादन कुटीर उद्योग है। यहां के लोग बांस से टोकरी, चटाई बनाने

का काम भी करते हैं। कुछ लोग सुनारी, बढ़ईगिरी और दर्जी के काम से भी जुड़े हुए हैं।

सांस्कृतिक परंपरा

यहां के लोगों की सांस्कृतिक परंपरा बहुत समृद्ध है। ये अतिथियों का स्वागत सुपारी से करते हैं। अवसर विवाह का हो या किसी के मृत्यु का वहां संगीत ज़रूर मौजूद होगा। गीत के साथ नृत्य के जरिये ये लोग अपने भावों का उद्गार करते हैं। यह अलग बात है कि हर अवसर का गीत एवं नृत्य अलग-अलग होता है। ये आमतौर पर नगाड़े, ढोल, बेसली आदि का प्रयोग करते हैं। खासी जाति का प्रमुख त्योहार नोंगक्रेनौ पांच दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान जमकर नृत्य एवं गीत का धमाल होता है। पहली रात को ढोल और बांसुरी बजाकर सभी लोगों को सूचना दी जाती है। यह नृत्य बहुत ही धीमी गति से होता है।

इसी तरह गारो जनजाति का प्रमुख त्यौहार वाग्ला नृत्य होता है। इसे धान की फ़सल आने के बाद मनाया जाता है। यह पर्व पूरे सप्ताहभर मनाया जाता है। यहां का पुराना खेल तीरंदाजी है, लेकिन खासी जाति के बीच बैल युद्ध का खूब चलन है। इसके अलावा कुश्ती की तरह ही ये गौग्रिपा खेल भी खेलते हैं।

मेघालय की राजधानी शिलांग तो खूबसूरत है ही यहां से क़रीब 50 किलोमीटर दूर चेरांपूंजी भी दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसके अलावा शिलांग शहर में स्थित गोल्फ मैदान, एलीफेंट जलप्रपात, लेडी हैदरी पार्क आदि भी मनोरम स्थल हैं। मेघालय की मिट्टी एवं जलवायु को खेती के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। यहां प्रमुख रूप से चावल एवं मक्के की खेती होती है। इसके अलावा संतरे, अनानास, केला, कटहल, नाशपाती, हल्दी, पान, आलू, कपास, सरसों, तोरिया, चाय, मशरूम सहित अन्य फ़सलों की भी खेती होती है। जिले में रेशम एवं कपास की पैदावार सबसे अधिक होती है।

जाति आधारित भागीदारी

यहां की कुल जनसंख्या में से खासी 49 फीसदी, गारो 34 फीसदी, बंगाली 2.5 फीसदी, नेपाली 4 फीसदी, शेख 2.3 फीसदी, हाजोंग 1.8 फीसदी, अन्य की 10.4 फीसदी भागीदारी है।

धर्म पर आधारित जनसंख्या का प्रतिशत

यहां इसाई 64.6 फीसदी, प्रकृतिवादी 16.7 फीसदी, हिंदू 14.7 फीसदी तथा मुसलमान 4 फीसदी हैं।

मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थल

मेघालय की राजधानी शिलांग पर्यटन की दृष्टि के काफी महत्वपूर्ण है।

यहां के पर्यटन स्थलों को पैदल ही घूमकर देखा जा सकता है। हालांकि बस एवं टैक्सी की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पैदल घूमने का आनंद ही कुछ और है। कुछ खास पर्यटन स्थलों की जानकारी नीचे दी जा रही है :

शिलांग पीक: यह शिलांग का सबसे ऊंचा स्थल है। इसकी ऊंचाई 1,965 मीटर है। यहां से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है।

लेडी हैदरी पार्क : इसे सबसे खूबसूरत पार्क के रूप में जाना जाता है। यहां आपको हर तरह के फूल मिल जाएंगे। इसमें एक छोटा चिड़ियाघर और अनेक प्रजातियों की तितलियों का संग्रहालय भी है। इसलिए यहां जाने पर बच्चों को खूब आनंद आता है।

कैलांग रॉक : मेरंग-नोखला रोड पर ग्रेनाइट की ऊंची चोटी को कैलांग रॉक के नाम से जाना जाता है। यह एक गोलाकार गुंबदनुमा चट्टान है जिसका व्यास लगभग 1,000 फुट है।

वार्डस झील : यह कृत्रिम झील है जो घने जंगलों से घिरा है। चारों तरफ जंगल और जंगल के बीच में झील में नौकायन करना बहुत ही अद्भुत लगता है।

हाथी झरना : हाथी के चेहरे के समान नज़र आने की वजह से अंग्रेज़ों ने इस वाटर फॉल का नाम एलिफेंट फॉल रख दिया था। एलिफेंट वाटर फॉल अपर शिलांग में स्थित है। यहां इस झरने के पास ही वायुसेना का ईस्टर्न एयर कमांड भी है। यहां हमेशा पर्यटकों की भीड़ रहती है।

चेरापूंजी : शिलांग से क़रीब 60 किलोमीटर दूर स्थित चेरापूंजी दुनियाभर में प्रसिद्ध है। इसे सोहरा नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान दुनियाभर में सर्वाधिक बारिश के लिए जाना जाता है। इसके नज़दीक ही नोहकालीकाई झरना है, जिसे पर्यटक ज़रूर देखने जाते हैं। यहां कई गुफाएं भी हैं।

उमियाम : शिलांग से 20 किलोमीटर दूर स्थित यह एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो उमियाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से बनी झील पर स्थित है। यहां कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है।

मौसिनराम : यह मनोरम पहाड़ियों के बीच अवस्थित एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा के मध्य बिल्कुल गौ थन के आकार की शिला से लगातार नीचे बने प्राकृतिक शिवलिंग पर बूंद-बूंद पानी गिरता रहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानों जैसे भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। कुल मिलाकर हिंदू धर्म के अनुसार यह स्थल एक शक्तिपीठ बनने का सामर्थ्य रखता है।

मोस्वाई केव : यह गुफा प्रकृति का अनुपम खज़ाना है। गुफा में पत्थरों की सुंदरता व कटाई को देखकर लगता है कि कभी यहां समुद्र होगा। स्थानीय लोगों बताते हैं कि यह गुफा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर तक जाती है।

सेवन सिस्टर फाल्स : यह सात झरनों का एक समूह है यह इसलिए इसका नाम सेवन सिस्टर फॉल पड़ा। यह पहाड़ों की घाटी के बीच में स्थित है। यहां के दृश्य बहुत ही सुंदर है।

थेंग गार्डन : यह मेघालय सरकार द्वारा बनाया गया एक छोटा-सा उद्यान है। इसमें अनेक प्रकार के फूल लगाए गए हैं। उद्यान के अंत में एक ऐसा स्थान बनाया गया है, जहां से खड़े होकर बांग्लादेश की सीमा को साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

ई-मेल : ychandrabhan@yahoo.com)

मेघालयवासियों का सौंदर्यबोध और मानवाधिकार

● कन्हैया त्रिपाठी

कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारत का विस्तृत क्षेत्रफल नाना प्रकार की विविधता को अपने में समाहित किए हुए है। इसकी विविधता ही सही मायने में इसकी तस्वीर पेश करती है, जिसे दुनियाभर के सैलानी देखने आते हैं। स्वदेश लौटने पर वे अपनी-अपनी भाषा में अपने ग्रंथों के ज़रिये इसके सौंदर्य का वर्णन धर्म, दर्शन और इतिहास में करते हैं। हम ऐसा वर्णन मैक्समूलर, ह्वेनसांग, फाह्यान और अन्य कई विदेशी पर्यटकों के साहित्य में देख सकते हैं। भारत के इसी नक्शे का एक भाग है– मेघालय जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है। यहां का सौंदर्य भी अनुपम है। यह एक ऐसा राज्य है जिसकी विविधता अपनी निजी भी है और अगर हम भारत को समुच्चय में प्रदर्शित करें तो भी दिखेगी।

यहां जनसंख्या बहुत कम है लेकिन यह खास महत्व रखने वाला राज्य है। पूर्वोत्तर के हिस्से से अगर इसे निकाल दिया जाए तो संभव है वह पूर्ण पूर्वोत्तर न कहा जाएगा।

गारो, खासी, रिभोई और जयंतिया यहां की प्रमुख जनजातियां हैं जो कृषि से अपना जीवनयापन करती हैं। यहां के लगभग 80 प्रतिशत लोग कृषि से ही अपना गुज़ारा करते हैं। यहां की संस्कृति और सभ्यता की अपनी एक अलग पहचान है। मेघालय के अद्भुत दृश्य को देखकर कोई भी वहां रहकर उनकी संस्कृतियों का लुत्फ लेना चाहेगा। विभिन्न जनजातियों के अपने-अपने त्यौहार, नृत्य, रहन-सहन, पहनावे और परंपराएं हैं। यथा- वांगला, डारगेटा तथा कांबली मेसराया पोमेलो नृत्य करते हैं। खासी जनजाति नागकेरम धार्मिक नृत्य करते हैं तो शैद सुक मिनेसियम एवं जयंतिया जनजाति के लोग बेहड़ीखेल्लम और लाहू नृत्य करते हैं। जन्म, शादी, जातीय कारोबार के गीत, पहनावे भी इसी प्रकार विविधता का अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते है। चावल से तैयार मदिरा इनका सबसे प्रिय पेय है। खासी, जयंतिया,भोई, वार आदि के इस समुच्चय पहचान को हाईन्नीवटर्प के नाम से जाना जाता है।

अकिक भाषी जातियों के खान-पान में थोड़ा-सा फर्क़ होता है। सभी मेघालयी जनजातियों को एकसूत्र में बांधने का प्रयास 21 जनवरी, 1972 को मेघालय को राज्य का दर्ज़ा देकर किया गया और तब से मेघालय अपनी निजी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज़ और वैशिष्ट्य लेकर जी रहा है। यहां के वातावरण और समाज इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भारत की संस्कृति को हम समृद्ध करके एक सांस्कृतिक भारत का निर्माण कर सकते हैं।

कहते हैं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत के रूप में इंदिरा गांधी ने जनजातियों के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई थी और वे पूर्वोत्तर को लाभान्वित करना चाहती थीं। जैसाकि हम जानते हैं कि पं. जवाहरलाल नेहरू ने नगालैंड को राज्य का दर्ज़ा दिया था तो इंदिरा गांधी ने मणिपुर, मेघालय को राज्य की गरिमा प्रदान की थी। वह तत्कालीन केंद्रशासित राज्य मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी आर्थिक लाभ प्रदान करने से नहीं चूकीं थीं।

सरकार अब भी मेघालय का संपूर्ण विकास का दावा कर रही है। परंतु क्या वह एक कल्याणकारी राज्य की भांति मेघालय को संपूर्ण अधिकार देने के लिए जागरूक है?

पूर्वोत्तर के अन्य भागों की तरह यहां के लोगों की समस्याएं भी कम नहीं हैं। यहां के आदिवासी अन्य आदिवासी समुदायों की तरह रोजी-रोटी एवं अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। मेघालय की इस विवेचना के बाद उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान जाना लाज़िमी है।

यों तो आदिम या जंगलवासी काफी जुझारू होते हैं। किंतु अगर समस्याओं से जूझती आदिवासी जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी संसाधन भी मुहैया न हो तो ऐसे में मनोबल टूटना निश्चित है, ऐसा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑफ मेघालय 2008-09 की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें यह स्पष्ट है कि यहां मात्र 9 अस्पताल और 12 डिस्पेंसरी हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां इतनी सुविधा भी नहीं है। यथा– पश्चिमी खासी हिल्स में डिस्पेंसरी नहीं है तो दक्षिणी गारो हिस्से में अस्पताल नहीं है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोज़गार का अभाव साफ़ झलकता

तालिका-1

जनसंख्या एक दृष्टि में					
क्रम सं.	संपूर्ण/ग्रामीण/शहरी	कुल जनसंख्या	गृहस्थ	पुरुष	महिला
1.	संपूर्ण	23,18,822	4,18,850	11,76,087	1,142,735
2.	ग्रामीण	18,64,711	3,33,119	9,46,999	9,17,712
3.	शहरी	4,54,111	85,731	2,29,088	2,25,023

स्रोत: एनएसएसए 2001

तालिका-2

मेघालय की सामाजिक स्थिति				
क्रम सं.		मेघालय	पूर्वोत्तर	भारत
1.	जनसंख्या घनत्व	103	134	313
2.	लिंग अनुपात (संपूर्ण)	972	936	933
3.	लिंग अनुपात (0-6 वर्ष)	973	965	927
4.	साक्षरता दर	62.6	64.8	64.8
5.	पुरुष	65.4	72.3	75.3
6.	महिला	54.6	56.8	53.7
7.	साक्षरता में लैंगिक अंतर	5.8	15.8	21.6

स्रोत: स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑफ मेघालय 2008-09 की रिपोर्ट

है। केवल 22,27,100 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जिस पर उन्हें कृषि उत्पादन करके सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू आय में समन्वय करना होता है।

यहां के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की भांति बाड़ लगाने की ज़रूरत है। गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 470.23 किमी बाड़ लगाने की एक परियोजना की स्वीकृती मिली है जो अभी पूरी नहीं हो सका है। अभी मात्र 380.06 किमी बाड़ कार्य ही पूरे किए गए हैं। सुरक्षा के मसले को लेकर यहां के लोगों में हमेशा आशंकाएं बनी रहती है।

किसी भी देश के नागरिक अपने राष्ट्र से यही अपेक्षा करते हैं कि उन्हें उनकी तरफ से सुरक्षा, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय मिले। मानवाधिकार की भाषा में यही उपलब्धियां व्यक्ति के मानवाधिकार के रूप में निरूपित होती हैं। किंतु विडंबना यह है कि मेघालय आज की तारीख में भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा ही है। मेघालय का नैसर्गिक सौंदर्य भी ख़तरे में है। जब लोग संघर्ष कर रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह अपने पर्व, त्यौहार, रीति-रिवाज और परंपरा को कायम नहीं रख पाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणपत्र में कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से बराबर प्रतिष्ठा का हक़दार है और प्रत्येक राज्य उन्हें उनके मानवाधिकार उपलब्ध कराने में मदद करे। जनजातियों को विशेष अधिकार मार्टिंज कोबो की रिपोर्ट में दी गई थी, उन्हीं शर्तों के आधार पर उन्हें अधिकार मिलने के प्रावधान हैं। लेकिन मेघालय राज्य के मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता अपने मानवाधिकार के लिए पत्र लिख रहे हैं और अपना सुख-चैन वापस पाने की कोशिश में हैं। यह स्थिति कल्याणकारी राज्य के लिए शर्मनाक है। मेघालय के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए तथा उनके विस्थापन को रोकने और पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने की ज़रूरत है।

वहां के लोग रेडियोधर्मी प्रभावों से बचने के उपाय चाहते हैं। उनका मानना है कि इन सभी कारणों से उनका स्वास्थ्य काफी ख़राब होता जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद का बिल्कुल मामूली प्रतिशत स्वास्थ्य पर ख़र्च किया जा रहा है। इसकी प्रतिशतता क्यों नहीं बढ़ायी जा रही है, इस पर संसद में न कोई हंगामा है और न ही राज्य सरकार के सदन में। इससे तो यही लगता है कि सरकार आम जनता के हितों को दरकिनार कर केवल अपने हितों पर ध्यान दे रही है।

मानवाधिकार आयोग इस पर कोई नयी पहल स्वयं क्यों नहीं कर रहा है, यह गौर करने की बात है। अगर मुख्यधारा के लोगों के हितों की बात होती तो अब तक सब जागरूक होकर एक सुर हो गए होते। ऐसे में भोलीभली जनता का ध्यान सरकार की तरफ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों का उच्चायोग कहता है कि हम सबके लिए न्याय चाहते हैं लेकिन मेघालय की जनता का सच दुनिया के सामने है। मेघालय में शिक्षा एवं रोज़गार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने के सभी प्रयास विफल होने के पीछे कारण क्या हैं, इसकी खोज-ख़बर लेने पर ही कोई राह उभरकर सामने आएगी। यहां आतंकवाद, उग्रवाद, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा साभ्यतिक स्तर पर बदलाव ज़रूर हुआ है। सभी को इस नये परिदृश्य में नये तरीक़े से सोचने का अधिकार है। दुनिया की सभी लोकतांत्रिक सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा करे। मेघालय के लोग भी यही चाहते हैं। उनकी इच्छा भी यही है कि किसी प्रकार से उन्हें उपेक्षित न किया जाए और उनकी गरिमा तथा निजता को बरकरार रखते हुए उन्हें भी अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

वैसे, मानवाधिकार का लक्ष्य ही यह है कि प्रत्येक मनुष्य की गरिमा बरकरार रहे। महात्मा गांधी ने आज़ादी का सपना सिर्फ़ मुख्यधारा के लोगों के लिए नहीं देखा था बल्कि उसमें ग़रीब, दलित और आदिवासी समाज के विकास, उन्नति का सपना भी था। लेकिन आज़ादी के बाद की स्थिति हम सबके समक्ष है। ऐसे आंकड़ों को मिटाने के लिए आवश्यकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार तथा स्थानीय सरकार एक साझा रणनीति बनाकर क़दम उठाए ताकि मेघालय की जनता के मानवाधिकार को सार्वभौम मानवाधिकार के रूप में देखा जा सके। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में मेघालय की जनजातियों के सपनों का भारत निर्मित हो सकेगा और जनजातीय समुदाय के लोग अपनी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और अपने क्षेत्र के नैसर्गिक सौंदर्य के माहौल में जी सकेंगे। ❑

तालिका-3

मेघालय में सुरक्षा स्थिति									
क्र.सं.	घटना	वर्ष 2003	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006	वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009	वर्ष 2010
1	मारे गए/आत्मसमर्पित उग्रवादी	85	147	37	38	28	16	12	02
2	मारे गए सुरक्षाबल कार्मिक	152	150	108	112	85	88	67	18
3	मारे गए नागरिक	07	08	0	0	01	02	-	-

स्रोत: गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट:2009-2010(31 जनवरी, 2010 तक)

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से संबद्ध और स्वतंत्र लेखन तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं।
ई-मेल : kanhaiyatripathi@yahoo.co.in)

SYNERGY

लोक प्रशासन + CSAT

by

ABHAY KUMAR

Academic Enquiry : 9650682121

E-mail : abhaykumarindia@yahoo.co.in

इस वर्ष के परिणाम से भी यह कहा जा सकता है, कि सिनर्जी लोक प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। इस वर्ष 100 से अधिक विद्यार्थी अन्तिम रूप से चयनित हुए हैं जिनमें 30वाँ, 31वाँ, 41वाँ, 50वाँ, 53वाँ, 66वाँ, 120वाँ, 123वाँ, 236वाँ, 269वाँ, 429वाँ, 525वाँ रैंक हमारे संस्थान के विद्यार्थीयों के रहे हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट श्रृंखला कार्यक्रम एवं प्रश्न उत्तर फॉरमेटिंग कार्यक्रम से अन्य 20 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

आइये, आप भी सिनर्जी के साथ अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित कीजिए.....

लोक प्रशासन की परिचर्चा के साथ स्वतंत्र बैच प्रारम्भ...

6 दिसम्बर- प्रातः 10 बजे/सायं 5 बजे

सामान्य अध्ययन प्रारम्भिक परीक्षा + CSAT

अभय कुमार एवं विशेषज्ञों की टीम के साथ....

कार्यशाला के साथ कक्षा प्रारम्भ... 21 नवम्बर (दोपहर 01:45 PM)

H.O. : 301/305, Jyoti Bhawan, Comm, Comp., (Near Post Office), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

CLASS ROOM ADDRESS : A/14, 201, Bhandari House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

Ph: 01127654518,27653494,9990188537,9350366651

YH-12/10/9

पूर्वोत्तर भारत में मानव विकास : समीक्षात्मक मूल्यांकन

● पुरुषोत्तम नायक
शांतनु रे

मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मानवीय विकास को मापने के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रयास को प्राय: अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण (कैपेविलिटी अप्रोच) को अमल में उतारने के प्रथम प्रयास के रूप में देखा जाता है। उनका यह दृष्टिकोण मानव-कल्याण और उसके फलस्वरूप होने वाले विकास की अवधारणा को तैयार करने का व्यापक खांचा बनाने का काम करता है। अमर्त्य सेन विकास को एक ऐसी वास्तविक स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में देखते हैं जिसमें लोग अपने आर्थिक कल्याण, सामाजिक अवसरों और राजनीतिक अधिकारों का आनंद उठा सकते हैं। वास्तव में इस दृष्टिकोण से तो विकास नीतियों को मुख्यत: स्वतंत्रता पर अथवा परतंत्रता के उन प्रमुख स्रोतों को नष्ट करने पर ही केंद्रित होना चाहिए, जिनका लोग प्राय: अपने जीवन में सामना करते हैं। निरक्षरता, बीमारी, संसाधनों का सुलभ न होना आदि ऐसे ही स्रोत हैं जो नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के मार्ग के बाधक स्रोत माने जाते हैं। वर्ष 1990 में यूएनडीपी की पहली मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और यहां तक कि जिला स्तर पर भी उपलब्धियों को मापने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। भारतीय संदर्भ में भी काफी समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जोकि आय आधारित विचारों के स्थान पर क्षमताजनित विकास को अपनाने के प्रयास को समर्थित है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय संदर्भ : भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सात छोटे-छोटे राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एक बड़े राज्य असम का क्षेत्रीय समूह है। राष्ट्रीय क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत होने के साथ ही इस क्षेत्र की जनसंख्या कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 4 प्रतिशत है। क्षेत्र की जनसंख्या का 68 प्रतिशत से अधिक अकेले असम में ही निवास करती है (जनगणना 2001)। क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, प्रजातीय-राजनीतिक आकांक्षाओं और भौगोलिक जनसंख्यात्मक वास्तविकताओं में व्याप्त व्यापक भिन्नताओं और उल्लेखनीय विविधताओं को देखते हुए समूचे क्षेत्र को वैज्ञानिक उपलब्धियों के संदर्भ में एक समांगी और समरूप इकाई के रूप में देखना संभवत: भ्रामक और सोचा-समझा प्रयास होगा। राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त गौण सूचना के आधार पर प्रस्तुत आलेख में क्षेत्र के राज्यों में मानव विकास की कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है और साथ ही प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग कुछ नीतिगत उपाय सुझाए गए हैं ताकि क्षेत्र के लोगों के लिए समावेशी मानव विकास का मार्ग तैयार किया जा सके।

क्षेत्र के राज्यों में मानव क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए इस आलेख में दो प्रमुख रिपोर्टों की छानबीन की गई है। ये दोनों रिपोर्टें केंद्र सरकार की एजेंसियों की हैं– प्रथम है, योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002 में जारी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट-2001, और दूसरी है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009 में जारी प्रकाशन *जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज : रिकास्टिंग दि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेज़र फॉर इंडिया।* योजना आयोग ने वर्ष 2002 में 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर वर्ष 1981 और 1991 के लिए देश की सभी संघीय इकाइयों का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), मानव निर्धनता सूचकांक (एचपीआई) और स्त्री-पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई) का निर्धारण किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2009 में, स्त्री-पुरुष समानता को आधार बनाते हुए सन् 1996 और 2006 के लिए देश की सभी 35 संघीय इकाइयों की एचडीआई, जेंडर विकास सूचकांक (जीडीआई) और जेंडर सशक्तीकरण (जीईएम) उपायों को मापने का काम किया था। पूर्वोत्तर के राज्यों ने राष्ट्रीय संदर्भ में विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में जो स्थान और अंक हासिल किए, उनका ब्यौरा क्रमश: तालिका 1 और 2 में दिया गया है।

योजना आयोग के वर्ष 2002 के निष्कर्षों के अनुसार पूर्वोत्तर के चार राज्यों मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और मेघालय ने वर्ष 1981 में राष्ट्रीय

तालिका-1

पूर्वोत्तर राज्यों में मानव विकास का विस्तार

राज्य	मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)				मानव निर्धनता सूचकांक (एचपीआई)				जेंडर समानता सूचकांक (जीपीआई)			
	1981		1991		1981		1991		1981		1991	
	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम
अरुणाचल प्रदेश	.242	31	.328	29	59.86	32	49.62	30	.537	28	.776	18
असम	.272	26	.348	26	56.00	29	48.95	27	.462	32	.575	30
मणिपुर	.461	4	.536	9	50.82	21	41.63	21	.802	3	.815	3
मेघालय	.317	21	.365	24	54.02	26	49.19	28	.799	12	.807	12
मिज़ोरम	.411	8	.548	7	47.97	18	32.20	14	.502	18	.770	6
नगालैंड	.328	20	.486	11	49.37	19	42.07	22	.783	16	.729	21
सिक्किम	.342	18	.425	18	52.76	25	34.84	17	.643	23	.647	20
त्रिपुरा	.287	24	.389	22	51.86	22	44.89	24	.422	31	.531	29
अखिल भारत	.302	–	.381	–	47.33	–	39.36	–	.620	–	.676	–
सर्वोत्तम निष्पादक	चंडीगढ़ (.550)		चंडीगढ़ (.674)		चंडीगढ़ (17.28)		चंडीगढ़ (14.49)		केरल (.872)		अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (.857)	

नोट :

- मानव विकास सूचकांक, मानव विकास के तीन आयामों यथा– आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों को अंकित करने वाले वैरियेबल्स (चर संख्याओं) का मिश्रित अंक होता है।
- मानव निर्धनता सूचकांक, मानव विकास के तीन आयामों– आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य की हानि को अंकित करने वाली चर संख्या (वैरियेबल्स) का मिश्रित अंक होता है। इनका अंकन ग़रीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात, सुरक्षित पेयजल/स्वच्छता/बिजली, जन्म पर स्वास्थ्य की देखभाल/टीकाकरण की सुविधा विहीन जनसंख्या के अनुपात और कच्चे घरों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात, निरक्षर जनसंख्या और विद्यालयों में न पढ़ने वाले बच्चों के अनुपात और 40 की आयु के बाद जिनके जीवित रहने की अपेक्षा नहीं होती है, वैसी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।
- जेंडर (स्त्री-पुरुष) समानता सूचकांक का मूल्यांकन एक जैसे चरों (वैरियेबल्स) के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों के अनुपात के रूप में किया जाता है। मूल आलेख में इसका उल्लेख जेंडर असमानता के सूचकांक के रूप में किया गया है, परंतु इसके अध्ययन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया गया है, उसे देखते हुए जेंडर समानता सूचकांक (जीपीआई) अधिक उपयुक्त शब्दावली प्रतीत होती है।
- स्थान क्रम का निर्धारण 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से किया गया है।

स्रोत : *योजना आयोग 2002 (तालिका 1.1, 1.2, 1.3 एवं 1.4 से संकलित)*

औसत की तुलना में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जोकि उनकी स्थिति में परिलक्षित होती है। एक दशक के बाद मेघालय को छोड़कर इन सभी शेष राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन बनाए रखा। त्रिपुरा भी वर्ष 1991 में इस सूची में शामिल हो गया। मणिपुर और मिज़ोरम, जिन्होंने वर्ष 1981 और 1991 में क्रमशः सर्वोत्तम प्रदर्शन किया था, राष्ट्रीय औसत से 150 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। इसके विपरीत, एचपीआई, जोकि एचडीआई से सकारात्मक रूप से जुड़ा होता है, की कहानी कुछ अलग ही सच्चाई बयान करती है। केवल सिक्किम (1981) और मिजोरम (1991) एचपीआई के मामले में राष्ट्रीय औसत से बेहतर अंक हासिल कर सके। कुछ अन्य राज्यों विशेषकर अरुणाचल और असम के अंक वंचना (निर्धनता) की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। इन दो राज्यों में किए गए उपायों की अन्य राज्यों के साथ साधारण तुलना से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश राज्यों में मानवीय क्षमताओं के विस्तार से सभी लोगों को समावेश इतना नहीं हो सका है कि एचपीआई में उनके समानांतर स्थिति हासिल कर सके। इस संबंध में एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 1980 के दशक में अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में मानव विकास अंकों की वृद्धि ने शहरी-ग्रामीण खाई को और चौड़ा कर दिया है। यहां तक कि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी बढ़ती असमानता से उनकी उपलब्धियां धुंधली पड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी उपलब्धियां अधिकतर उपभोग-जनित होती हैं, जोकि मुख्यतः केंद्र के भारी धनराशि हस्तांतरन के कारण होती हैं, न कि प्राकृतिक-आर्थिक संसाधनों की अंतर्क्रियाओं के कारण।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक अन्य कार्यविधि का अनुसरण करते हुए वर्ष 2009 में भारत के राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मानव विकास के स्त्रियोचित (जेंडर) पहलुओं के बारे में हमारी जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की। जहां तक एचडीआई अंकों का प्रश्न है, सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने (2006 में असम को छोड़कर), राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। नगालैंड ने 1996 में और नगालैंड तथा मणिपुर ने 2006 में 35 संघीय इकाइयों में से इकाई संख्या में स्थान (एक से लेकर नौ तक) हासिल किया था जबकि मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा भी कोई ज्यादा पीछे नहीं रहे। इसी दशक में मेघालय का 13वें स्थान से 24वें स्थान पर खिसक जाना ज़रूर चिंता का विषय है। परंतु क्षेत्र की सबसे

तालिका-2

पूर्वोत्तर राज्यों में मानव विकास का विस्तार

राज्य	मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)				जेंडर विकास सूचकांक				जेंडर सशक्तीकरण उपाय			
	1996		2006		1996		2006		1996		2006	
	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम	मूल्य	क्रम
अरुणाचल प्रदेश	.549	24	.647	20	.544	23	.642	18	.307	30	.469	17
असम	.543	25	.595	26	.523	26	.585	26	.313	28	.417	26
मणिपुर	.610	12	.702	7	.600	12	.699	6	.380	21	.418	27
मेघालय	.595	13	.629	24	.592	13	.624	23	.231	34	.346	34
मिज़ोरम	.618	11	.688	12	.612	10	.687	9	.312	29	.374	32
नगालैंड	.653	8	.700	8	.626	8	.697	7	.165	35	.289	35
सिक्किम	.582	16	.665	17	.566	17	.659	15	.300	31	.447	23
त्रिपुरा	.579	17	.663	18	.546	21	.626	21	.335	23	.382	30
अखिल भारत	.530	–	.605	–	.514		.590	–	.416	–	.497	
सर्वोत्तम निष्पादक	केरल (.736)		चंडीगढ़ (.784)		केरल (.721)		चंडीगढ़ (.763)		गोवा (.494)		दिल्ली (.564)	

नोट :

- मानव विकास सूचकांक मानव विकास के तीन आयामों-आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धियों को अंकित करने वाले वैरियेबल्स (चर संख्या) का मिश्रित रूप होता है।
- जेंडर विकास सूचकांक एचडीआई के उन्हीं तीन आयामों की अंकित उपलब्धियों का समायोजन करता है ताकि स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता का कारण स्पष्ट किया जा सके।
- जेंडर सशक्तीकरण उपाय तीन क्षेत्रों– राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने का अधिकार, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने का अधिकार तथा आर्थिक संसाधनों पर अधिकार में स्त्री-पुरुष असमानता पर फ़ोकस करता है।
- स्थानक्रम का निर्धारण 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची से दिया जाता है।

स्रोत : *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2009 (तालिका 4.5, 4.8 एवं 5.3 से संकलित)*

अधिक जनसंख्या वाले राज्य असम का दयनीय प्रदर्शन कहता है कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जीडीआई भी लगभग यही प्रवृत्ति दर्शाता है। देश के एकमात्र मातृवंशावली वाले राज्य का प्रदर्शन कोई विशेष विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि एचडीआई में अपेक्षाकृत प्रदर्शन मेघालय में जीडीआई के ह्रास के लगभग समानांतर ही है।

जेंडर सशक्तीकरण उपाय तीन क्षेत्रों– राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने का अधिकार, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने का अधिकार तथा आर्थिक संसाधनों पर अधिकार में स्त्री-पुरुष असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार, समूचा देश ही, महिला सशक्तीकरण के एजेंडे को पूरा करने के लिए, लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है। इस निर्णायक मुद्दे पर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का रिकॉर्ड दयनीय रहा है। नगालैंड का प्रदर्शन न केवल सबसे ख़राब रहा है, इस दशक में उसकी प्रगति की दर भी समान रूप से निराशाजनक रही है। एचडीआई, जीपीआई और जीडीआई के क्षेत्रों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य मणिपुर और मिज़ोरम भी अपने-अपने क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण में फिसड्डी साबित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की 13 अंकों की उन्नति जोकि दशक में आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने के अधिकार के सूचकांक मूल्य में हुई उत्साहजनक वृद्धि के कारण ही संभव हो सकी है, ने समूचे क्षेत्र की आशाओं को जीवित बनाए रखा है।

राज्य के अंदर की असमानता पर फ़ोकस : नयी सहस्राब्दी के पहले दशक में, मणिपुर और मिज़ोरम को छोड़कर, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों ने राज्य की सीमाओं के भीतर निर्धनता को मापने और उपलब्धियों को आंकने के लिए राज्य मानव विकास रिपोर्टों का प्रकाशन किया था। चूंकि मानव विकास के तीन विभिन्न आयामों की जिला स्तरीय उपलब्धियों के मूल्यांकन की कार्यविधियां प्रत्येक राज्य की अलग-अलग थीं और उनमें काफी अंतर भी था, इसलिए इन सभी राज्यों की परस्पर तुलना सीधे-सीधे नहीं की जा सकती। परंतु राज्यों के अंदर ही जो असमानताएं हैं, उनका विश्लेषण पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की पद्धति को समझने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तालिका-3 में मानव विकास से संबंधित सभी राज्यों की विशेषताओं को दर्शाया गया है। केरल के संदर्भ से उपलब्धियों में आई कमी को समझा जा सकेगा। सबसे अच्छा

तालिका-3

पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यान्तर्गत असमानताएं

राज्य	आंकड़ा संदर्भ	ज़िलों की संख्या	सभी ज़िलों में सूचकांक मूल्यों का दायरा				सभी ज़िलों में चर संख्याओं का गुणांक (प्रतिशत में)			
			आर्थिक	स्वास्थ्य	शिक्षा	एचडीआई	आर्थिक	स्वास्थ्य	शिक्षा	एचडीआई
अरुणाचल प्रदेश (2005)	2001	13	दिबांग घाटी : .942 लोअर सुबन सिटि: 191 राज्य : .495	पापुम पारे : 613 पूर्व कामेंग : .306 राज्य : .484	पापुम पारे : .729 तिरप : 428 राज्य : .566	पूर्व सियांग : 1660 पूर्व कामेंग : .362 राज्य : 515	43.25	17.56	16.72	18.37
असम (2003)	2003	23	कामरूप : 573 धेमाजी : 0.26 राज्य : .286	जोरहाट : 664 धुबरी : .086 राज्य : .343	जोरहाट : .722 धुबरी : .454 राज्य : .595	जोरहाट : 650 धुबरी : .214 राज्य : .407	76.63	45.42	12.22	28.00
मेघालय*	2006	7	दक्षिण गारो हिल्स : .513 जयंतिया हिल्स : .194 राज्य : .334	जयंतिया हिल्स : .412 पश्चिमी गारो हिल्स : .150 राज्य : .262	दक्षिण गारो हिल्स : .834 जयंतिया हिल्स : .427 राज्य : .615	दक्षिण गारो हिल्स : .544 पं. खासी हिल्स : .336 राज्य : 404	15.99	38.64	21.66	19.00
नगालैंड (2004)	2003	8				दीमापुर : .733 मीन : .450 राज्य : .623				15.90
त्रिपुरा (2007)	2001	4	पश्चिम : .26 ढलाई : 19 राज्य : .25	पश्चिम : .82 ढलाई : .74 राज्य : .79	पश्चिम : .77 ढलाई : .60 राज्य : .72	पश्चिम : .61 ढलाई : .51 राज्य : .59	13.23	4.68	10.23	7.58
केरल (2005)	2001	14	एरणाकुलम: .600 मलप्पुरम: .490 राज्य: .502	अल्पूयुजा: .868 इदुक्की: .791 राज्य: .827	कोट्टायम: .963 इदुक्की: .878 राज्य: 930	एरणाकुलम: .801 मलप्पुरम: 749 राज्य: .773	4.70	2.51	3.58	2.38

नोट : चूंकि मेघालय सरकार (2008) विभिन्न आयामों हेतु ज़िलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती (एचडीआई के घटक), हमने नायक और रे (2010) के अनुमानों का उपयोग किया है।

स्रोत : *विभिन्न राज्यों की मानव विकास रिपोर्टें*

और ख़राब प्रदर्शन जिलों द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर सभी राज्यों में काफी अलग है। केरल में सर्वोत्तम इकाई ने राज्य के औसत की तुलना में 103 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तो एचडीआई के संदर्भ में जिस इकाई का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा है वह भी राज्य औसत के 97 प्रतिशत से नीचे नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, सबसे अधिक अंतर असम (107 प्रतिशत) में पाया जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (58 प्रतिशत), मेघालय (51 प्रतिशत), नगालैंड (46 प्रतिशत) और त्रिपुरा (17 प्रतिशत) का स्थान आता है। सभी राज्यों में उपलब्धियों में भी जो अंतर है, वह भी चिंता का विषय है। विभिन्न राज्यों की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राज्यों के अंदर ही जो असमानताएं मौजूद हैं, उनको दूर करने के लिए उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है।

निष्कर्ष : मानव विकास कोई एक घटना नहीं है बल्कि यह तो मानवीय क्षमताओं के विस्तार की एक स्थायी प्रक्रिया है। इसके लिए दोनों लिंगों (स्त्री और पुरुष) सभी वर्गों और समाज के सभी क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसरों का समानांतर विस्तार समान रूप से महत्वपूर्ण है। अन्यथा उपलब्धियां अस्थायी होंगी। राज्यों के साथ-साथ समूचे देश के लिए एक समावेशी, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान अवसरों और विकास को स्थायी स्वरूप देने वाले मार्ग को प्रशस्त करने के लिए राज्यों को इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। ❑

(प्रोफेसर पुरुषोत्तम नायक वर्तमान में शिलांग स्थित नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी के अर्थशास्त्र प्रबंधन और सूचना विज्ञान संकाय में डीन हैं।

ई-मेल : nehu_pnayak@yahoo.co.in

डॉ. शांतनु रे शिलांग स्थित नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी के नियोजक एवं सांख्यिकी प्रकोष्ठ विभाग में कार्यरत हैं।

ई-मेल : santnurayeco@yahoo.co.in)

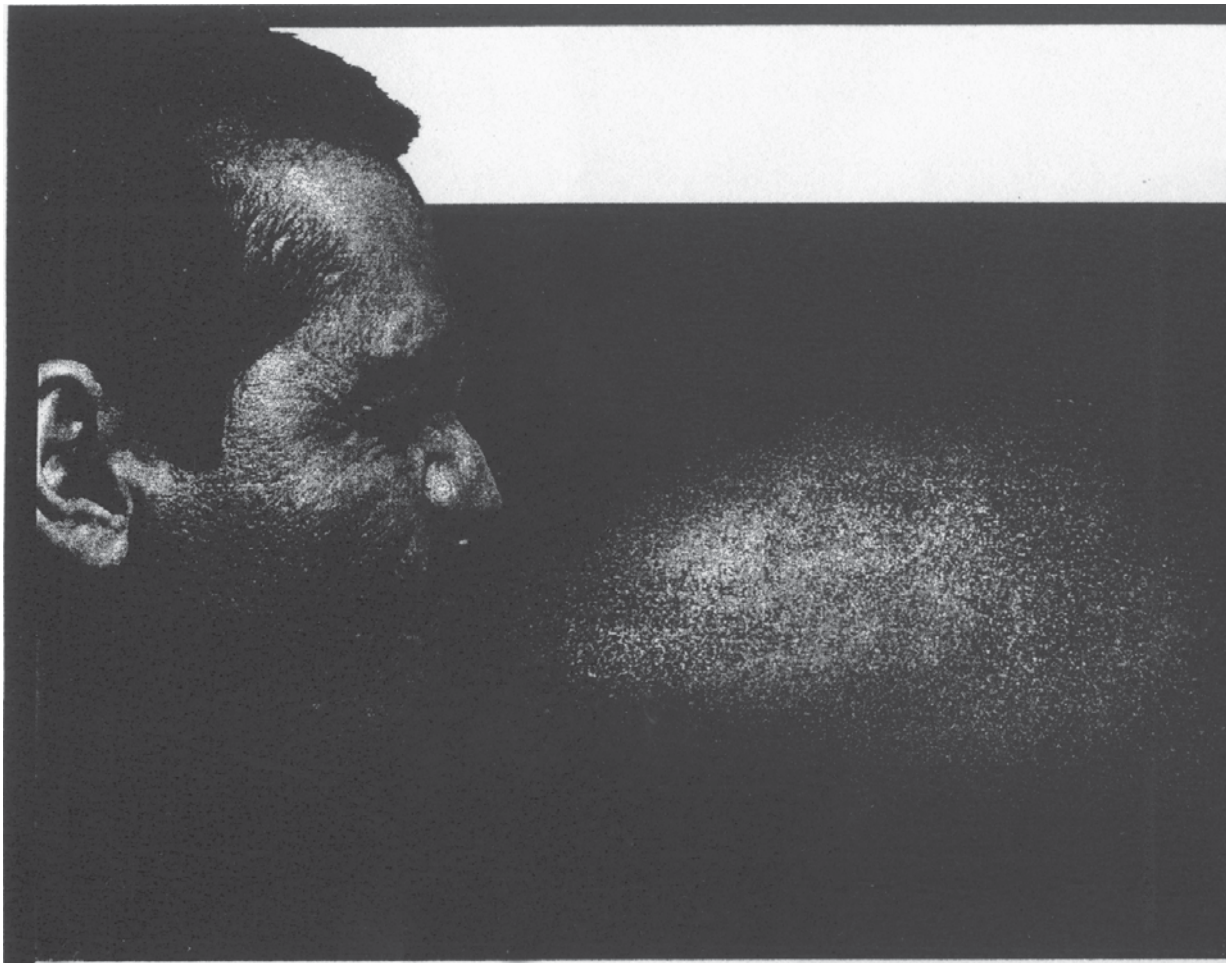

क्या करें

- खांसते एवं छींकते समय रूमाल या कपड़ा से अपने मुंह व नाक को ढक लें।
- अपने नाक, आंखों या मुंह को छूने से पहले तथा बाद में साबुन व पानी से बार-बार अच्छी तरह से अ हाथों को धोएं।
- सार्वजनिक स्थलों से दूर रहें एवं अगर आप में फ्लू का लक्षण है तो स्वास्थ्य जांच केन्द्र या चिकित्सक संपर्क करें। चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ होने तक घर में ही ठहरें।
- पूर्व चेतावनी संकेतों को देखें तथा निम्न से ग्रसित होने पर निर्दिष्ट अस्पताल में तुरंत संपर्क करें।
    - लगातार तेज बुखार • खांसी के दौरान खून आना
    - असामान्य व्यवहार • होंठ एवं त्वचा का बैंगनी या नीले रंग में परिवर्तन

क्या न करें

- सामाजिक रूप से हाथ मिलाना, आलिंगन तथा चुंबन लेना या मिलने का अन्य संस्पर्श।
- डाक्टर से परामर्श के बिना दवाएं लेना।

सत्यमेव जयते

स्वयं एवं अपने परिवार को
एच1 एन1 फ्लू (स्वाइन फ्लू)
फैलने से बचाएं

लक्षण

- बुखार
- कफ
- गले में सूजन
- सांस लेने में कठिनाई

davp 17161/13/0014/1011

सम्पर्क :
प्रकोप निगरानी प्रकोष्ठ या कॉल करें
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण **011-23921401**

YH-12/10/3

पूर्वोत्तर भारत में परिवहन तंत्र

● अरविंद कुमार सिंह

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सभी को प्रकृति ने बेशुमार उपहार प्रदान किया है। इन राज्यों में सांस्कृतिक संपन्नता भी खूब है

पूर्वोत्तर भारत में परिवहन के साधनों में काफी विविधताएं देखने को मिलती हैं। पूर्वोत्तर के राज्य वैसे तो मुख्यतया सड़क परिवहन पर ही निर्भर है पर अंतरदेशीय जल परिवहन भी यहां कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काफी अहम भूमिका निभा रहा है।

क़रीब 2,55,083 वर्ग किमी के विशाल दायरे में विस्तारित पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न स्थलों के साथ विश्वविख्यात काजीरंगा तथा मानस जैसे राष्ट्रीय अभयारण्य भी आते हैं। यही नहीं गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर, बोमडिला, गंगटोक, हाफलंग, औरंग, जाटिंगा, तवांग तथा चेरापूंजी जैसे इलाक़े देसी-विदेशी पर्यटकों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। इन विख्यात जगहों के अलावा भी तमाम जगहें हैं जो विभिन्न सोच वाले पर्यटकों को प्रभावित करती हैं। लेकिन काफी समय तक पूर्वोत्तर के कई इलाक़ों में उचित संचार साधनों का अभाव बना रहा है। इस वजह से चाहकर भी पर्यटक कई इलाक़ों तक जाने से कतराते थे, वहीं कुछ इलाक़ों में कानून व्यवस्था की समस्या भी बाधा पैदा करती रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सभी को प्रकृति ने बेशुमार उपहार प्रदान किया है। इन राज्यों का जनजीवन तथा सांस्कृतिक संपन्नता भी खूब है। ये सुरक्षा-संरक्षा के लिहाज़ से भी संवेदनशील राज्य हैं क्योंकि इनकी सीमाएं चीन, म्यामां, भूटान तथा बांग्लादेश से लगती हैं।

सड़क परिवहन

पूर्वोत्तर भारत में क़रीब 82,000 किमी से अधिक सड़कों का जाल बिछा है। लेकिन इनमें बहुमत ऐसी सड़कों का है जो कच्ची हैं या सभी मौसम में काम नहीं आती हैं। क़रीब 56,000 किमी सड़कें ऐसी हैं जिन पर भारी माल परिवहन नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर असम को छोड़कर रेलवे नेटवर्क अन्य राज्यों में अभी बहुत विकसित नहीं हो सका है। केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे

तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में पूर्वोत्तर राज्यों में काफी काम होना शेष है। यह क्षेत्र आज भी देश के कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है और खासतौर पर आवागमन के साधनों में अभी और विकास अपेक्षित है। परंतु खासतौर पर वर्ष 2004-05 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत तेज़ी से विकास कार्य चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी पांच-छह वर्षों में पूर्वोत्तर भारत का नक्शा बदल जाएगा और सड़कों के साथ विमान, रेल और अंतरदेशीय जल परिवहन चारों क्षेत्रों में सफ़लता की कई कहानियां हमारे सामने होंगी। हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आठ राज्यों की 449 किमी लंबी 10 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 704 करोड़ रुपये है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विकास प्रयासों में गति लाने के मक़सद से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नयी सड़कों के निर्माण के साथ कई विद्यमान सड़कों की मरम्मत तथा सुधार संबंधी कार्य अपने हाथ में लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम इस क्षेत्र में चलाए जा रहे अब तक के विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे बड़े हैं। ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस समय पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न स्तर की सड़क तथा पुल परियोजनाओं के लिए सभी राज्यों और संस्थाओं की ओर से जो तैयारी की गई है, उसके पूरे होने पर पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर पर सड़क परिवहन क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी और व्यापक कायाकल्प दृष्टिगोचर होगा। विभिन्न राज्यों के लिए इस बाबत भारत सरकार द्वारा पैकेज़ भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार की योजना है कि गंगटोक को छोड़कर सभी राज्यों की राजधानियों के साथ चार लेन सड़कें संपर्क स्थापित हो जाए। सरकार की योजना यह भी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के 85 जिला मुख्यालयों पर भी कम से कम दो लेन सड़क सुविधा प्रदान की जाए। इससे केवल पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों भूटान, म्यामां तथा बांग्लादेश में भी सीमा क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था में सुधार होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-2 के तहत दूसरे चरण में भी अच्छी प्रगति हो रही है। इस पर क़रीब 6,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। समग्र रूप से पूर्वोत्तर की सभी सड़क संबंधी परियोजनाओं पर क़रीब 70,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश अनुमानित है। इन परियोजनाओं से इस इलाक़े में जहां लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा वहीं आर्थिक गतिविधियों के विकास के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलताएं मिलेंगी।

पूर्वोत्तर में रेल संपर्क

पूर्वोत्तर दृष्टिकोण-2020 दस्तावेज़ के तहत रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी राजधानियों को वर्ष 2017 तक रेल मार्गों से जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। इस काम में रेल मंत्रालय को क़रीब 17,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ख़र्च करनी होगी।

1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद देश के पूर्वोत्तर भारत की परिवहन प्रणाली ध्वस्थ हो गई थी। उस समय जो रेल लाइन बची रह गई थी वह न तो एक सी थी न ही पूरी तरह संबद्ध। तीनों प्रमुख संपर्क मार्गों के साथ पूर्वी बंगाल (बांग्लादेश) के भारत से अलग हो जाने के बाद पूर्वोत्तर भारत देश के शेष हिस्सों से कट गया था। इस नाते असम में शेष भारत को जोड़ने के लिए 1947 में असम रेल लिंक परियोजना बनी जो रिकॉर्ड समय में पूरी हुई। पर यह लाइन अमीनगांव पर ब्रह्मपुत्र द्वारा कट जाती थी और यहां आए यात्रियों और माल डिब्बों को नौकाओं पर लादकर दूसरी तरफ पहुंचाया जाता था। इस नाते ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने का फ़ैसला लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रेल पुल का उद्घाटन 7 जून, 1962 को यात्री यातायात खंड खोलकर किया। पूर्वोत्तर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सन् 1971 में भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का गठन किया। इसके बाद भारतीय रेल ने भी परिषद की मांग के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हाथ में लिया। इसी के तहत वर्ष 1979 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की निर्माण परियोजनाओं को रेल परिचालन से अलग कर महाप्रबंधक निर्माण संस्था के अधीन कर दिया गया। वहीं से मज़बूत बुनियाद बनी पर संसाधन की किल्लत फिर भी बनी रही। भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं में पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल कर अतिरिक्त संसाधन प्रदान किया जिससे उनकी रफ्तार तेज़ होती चली गई। पूर्वोत्तर राज्यों को रेल सेवाएं प्रदान करने का काम पूर्वोत्तर सीमा रेलवे करती है। कार्यनिष्पादन के हिसाब से यह देश की पांच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय रेलों में गिनी जाती है।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि एक अरसे तक पूर्वोत्तर में क़रीब सभी मीटर लाइनें ही थीं। 60 के दशक में पूर्व रेलवे से आ रही बड़ी लाइन का विस्तार का काम शुरू हुआ और इसके साथ ही एक नया दौर शुरू हुआ। आज पूर्वोत्तर सीमा रेल के अधीन रेल लाइनों की कुल लंबाई 3,767 किमी से अधिक हो गई है। इस बीच पूर्वोत्तर की 10 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है और उसके लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जा रहा है। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में कई रेल परियोजनाओं को गति प्रदान की गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय बन जाने के बाद परिवहन तंत्र और खासतौर पर रेलों के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभार्थ योजनाओं व परियोनजाओं पर अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत ख़र्च करना अपेक्षित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री की पहल के तहत वर्ष 1996 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास को नयी दिशा प्रदान की गई थी। 13 जुलाई, 1996 को पूर्वोत्तर के सांसदों के साथ हुई बैठक के बाद कई रेल परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया। इस समय घाटे का सौदा होने के बावजूद पूर्वोत्तर में 7 नयी लाइन तथा 5 आमान परिवर्तन परियोजनाएं चालू हैं। सिक्किम में पहली रेल संपर्कता रेंगपो-स्थित सिवोक के मध्य नयी बड़ी लाइन की आधारशिला भी बीते वर्ष उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी द्वारा रखी जा चुकी है। क़रीब 52.7 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 1339.48 करोड़ रुपये का व्यय होना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इसके लिए 75 प्रतिशत राशि रेल मंत्रालय तथा 25 प्रतिशत राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जाएगी। ऐसी कई विकास परियोजनाएं तेज़ी से रंग ला रही हैं।

अंतरदेशीय जल परिवहन

पूर्वोत्तर में कई छोटी-बड़ी नदियों का

जाल बिछा है और इस नाते इस प्राकृतिक हाइवे का अपना विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही ये नदियां माल व यात्री यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। पूर्वोत्तर में नौवहन लायक नदियों की कुल लंबाई 4,191 किमी हैं और इस नाते अगर केवल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो का ही समुचित उपयोग शुरू हो जाए तो यहां से जल परिवहन की असीम संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग-2 को समर्पित माल ढुलाई गलियारे के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस पहल की है। इन पर तेजी से काम चल रहा है। इससे माल परिवहन क्षेत्र में ही नहीं रात्रि नौकायन, नदी पोत विहार, जल क्रीड़ा तथा पर्यटन संबंधी कार्यकलापों को और गति प्रदान की जा सकेगी। अतीत में अगर इतिहास के लंबे कालखंड का अवलोकन करें तो पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम और अन्य बड़े शासकों ने सड़कें बनाईं पर प्रौद्योगिकी के अभाव में उनके साथ कई दिक्क़तें आती रहीं। ख़ासतौर पर बरसात में ये मार्ग बेकार हो जाते थे। इस वजह से यात्रियों का सबसे विश्वनीय जलमार्ग ही बना रहा। आम आदमी के लिए भी यही परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन रहा। यहां चाय का कारोबार लंबे समय तक जलमार्गों से ही संचालित होता रहा था। 1950 में भूकंप के फलस्वरूप कई परिवर्तन हुए और नौचालन के लिहाज़ से यह मार्ग बिगड़ गया। इन परिवर्तनों के नाते जलसेवाओं पर भी असर पड़ा फिर भी जलमार्गों का महत्व बना रहा।

जहां तक असम का सवाल है तो जल परिवहन के क्षेत्र में यह राज्य आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ असम सरकार का अंतरदेशीय जल परिवहन निदेशालय भी काफी कार्य कर रहा है। असम पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेशद्वार होने के साथ ही इन इलाक़ों के लिए काफी समय से संचार और परिवहन का केंद्र बना रहा है। असम के विभिन्न इलाक़े रेल सेवा से भी जुड़े हुए हैं। इन पर केंद्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग निगम और अंतरदेशीय जलमार्ग निदेशालय वाणिज्यिक आधार पर जल परिवहन सेवाएं संचालित करता है। इन सेवाओं का उपयोग यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन में किया जाता है। यहां से कोयला, उर्वरक, वनोत्पाद, कृषि उत्पादों और मशीनरी आदि की आवाजाही होती है। यहां से चिटगांव बंदरगाह (बांग्लादेश) तथा कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह के मध्य भी सीधा संपर्क है। असम सरकार के अंतरदेशीय जल परिवहन निदेशालय की ओर से ब्रह्मपुत्र में 50 तथा बराक नदी पर 24 फेरी सेवाएं चलाई जाती है। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों और माल की ढुलाई की जाती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 के विकास के साथ भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस क्षेत्र में विकास की नयी गाथा लिख रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, सदिया और धुब्री के मध्य क़रीब 891 किमी के लंबे दायरे को 26 दिसंबर, 1988 को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था। इसका नियंत्रण और प्रबंधन भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। इस जलमार्ग पर विकास कार्य जारी है और प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के तहत वर्ष 2011-12 तक यह पूर्णतया विकसित हो जाएगा। इस राष्ट्रीय जलमार्ग में साल में 330 दिन धुब्री-डिब्रूगढ़ के मध्य 2 मीटर तथा डिब्रूगढ़-सदिया के बीच 1.5 मीटर न्यूनतम गहराई उपलब्ध है। पांडु में कंटेनर वहन सुविधा सहित स्थायी टर्मिनल की व्यवस्था भी की गई है, जबकि जोगीघोंपा, तेजपुर, सिलघाट, सैखोवा और सदिया में स्थायी टर्मिनल है। वहीं धुब्री, नियामाती, जामूगुड़ी तथा डिब्रूगढ़ में फ्लोटिंग टर्मिनल। पूरे जलमार्ग में दिन में नौचालन सुविधा के साथ धुब्री-सिलघाट के मध्य 24 घंटे नौचालन सुविधा है। इस खंड पर 30 जोड़ी से अधिक फेरी घाट भी हैं जहां से लोगों के आवागमन के साथ सामानों की ढुलाई भी की जाती है।

इस जलमार्ग पर सालाना कार्गो संभाव्यता 1.2 मिलियन टन आंकी गई है। इसमें सीमेंट, कोयला, डीएपी, डोलोमाइट, जूट, संगमरमर, मेघालय कोयला, चाय और नमक आदि का परिवहन शामिल है ख़ासतौर पर लंबी दूरी के माल परिवहन को लेकर काफी उत्साहजनक संभावनाएं दिखने लगी हैं। इस समय कोलकाता-पांडु के बीच में कोयला, लोहा और इस्पात, जिप्सम और चाय, जोगीघोपा-कोलकाता के बीच मेघालय कोयला, तेजपुर तथा डिब्रूगढ़ से कलकत्ता के बीच चाय, सिलघाट से पेट्रोलियम पदार्थ तथा नामरूप से यूरिया आदि का परिवहन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए काफी समर्थन प्रदान किया जा रहा है। अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी चल रही है जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए शत-प्रतिशत सहायता अनुदान की व्यवस्था है। योजना आयोग ने यह योजना 2007-08 से पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए बंद कर दी है। पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 को छोड़कर बाकी अधिकांश जलमार्गों पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इस क्षेत्र का अगर सलीक़े से और विकास हो जाए और जलमार्गों को आधुनिकीकरण के साथ सभी सुविधाओं से संपन्न कर दिया जाए तो काफी संख्या में रोज़गार की संभावनाएं भी विकसित हो सकती हैं और कुल माल और यात्री परिवहन में इसकी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ सकती है। प्रतिरक्षा के लिहाज़ से भी पूर्वोत्तर के जलमार्ग काफी महत्व रखते हैं।

बराक नदी भी इस क्षेत्र का प्रमुख और व्यापक संभावनाओंभरा जलमार्ग है। सिलचर और करीमगंज जैसे महत्वपूर्ण नगरों में यह जल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सदियों से प्रमुख जलमार्ग के रूप में उपयोग में आती रही है। बराक नदी पर बदरपुर और करीमगंज महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह हैं। बराक नदी को भी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 के रूप में घोषित करने के लिए प्रयास जारी हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित, धनश्री और सुबनश्री, त्रिपुरा की गुमटी और हौरा, नगालैंड की तिजू और मिज़ोरम की कोलोडीन नदियां भी माल और यात्री यातायात में प्रमुख भूमिका निभाने की संभावनाएं रखती हैं। पूर्वोत्तर परिषद के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन (गुवाहाटी 9 से 11 मार्च, 2007) में भी अंतरदेशीय जल परिवहन पर विशेष चर्चा की गई थी और इसके कार्यकरण की समीक्षा के साथ केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि बराक नदी को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की प्रक्रिया तेज़ की जाए। ❑

(लेखक भारतीय रेल परामर्शदाता में हैं और परिवहन तथा संचार मामलों के जानकार हैं।

ई-मेल : arvindksingh@email.com, consultantbhartiyarail@gmail.com)

लैंड ऑफ राइजिंग सन को जानने का वक्त

● रहीस सिंह

लैंड ऑफ राइजिंग सन और लैंड ऑफ सेवेन सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के कुल भू-भाग का 7.8 प्रतिशत और कुल आबादी का 3.73 प्रतिशत अपने आप में समेटे हुए है। इसकी नृजातीय (एथनिक), भाषायी, सांस्कृतिक, धार्मिक और फिजियोग्राफिकल विविधता जहां इसे विशेष बनाती हैं वहीं इसका एक ऐसे वृहत अप्रयुक्त उभरते हुए बाज़ार के रूप में प्रस्तुत होना, जहां बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेशक आकर्षित किए जा सकते हैं, इसकी आर्थिक और वैश्विक महत्ता की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस दृष्टि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को यदि यथोचित गतिशील और शांत वातावरण उपलब्ध करा दिया जाए तो यह भारत की 'पूरब की ओर देखो' नीति (लुक ईस्ट पॉलिसी) को तार्किक परिणामों तक पहुंचाने में काफी मदद कर सकता है। अब विचार करने योग्य तथ्य यह है कि अभी तक हमारी सरकारी मशीनरी ने ऐसे प्रयास किए हैं या नहीं? यदि किए हैं तो क्या वे इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे?

भारत का यह हिस्सा प्राकृतिक संसाधन व जैवविविधता, हाइड्रो-एनर्जी की पर्याप्त संभावनाओं से युक्त, तेल व गैस, कोयला, चूना, वन संपदा, फल और वनस्पति, फूल, हर्ब्स और सुगंधित पौधों, विरल और धनी 'लोरा और फौना' (प्रादेशिक वनस्पतियां और पषुवर्ग) के वरदान से परिपूर्ण है। यही नहीं भारत के इस क्षेत्र के पास वे सभी संभाव्यताएं हैं जो उसे वाणिज्यिक धुरी (हब) और पयर्टक स्वर्ग में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण पूर्वोत्तर के सभी भारतीय राज्य अकेले ही या मिल-जुलकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आर्थिक और व्यापार के विशेष अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ होते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मणिपुर ऊर्जा, एग्रो-आधारित उद्योग आदि के क्षेत्र में विशिष्ट और पर्याप्त क्षमताओं से संपन्न है। असम हाइड्रोकार्बन, तेल और प्राकृतिक गैस, बांस, हथकरघा और चाय उद्योग के क्षेत्र में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं रखता है। मिज़ोरम के पास 90 प्रतिशत से अधिक साक्षरता की विशेषता तो है ही साथ ही वह कुशल शिक्षित और कठोर परिश्रमी युवा जनसंख्या जैसे मानव संसाधन से संपन्न है, जो विदेशी और घरेलू कारपोरेट को सक्रिय सुविधा प्रदान कर सकता है। पूर्वोत्तर की विशिष्ट सापेक्षिक महत्ता दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए बहुत-सी शुभकामनाओं का कार्य कर सकती हैं, जो भारत के साथ पारस्परिक लाभ के लिए निकट आने की भरसक कोशिश कर रहा है। पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया का निकटतम सांस्कृतिक संबंध इस दिशा में और अधिक मदद करेगा। अगर पूर्वोत्तर अपने संसाधनों को सही तरह से सक्रिय कर लेता है तो व्यावसायिक पक्ष दक्षिण एशिया को आकर्षित करने में त्वरक की तरह कार्य करेगा। अगर सतही तौर पर ही देखें तो भी पता चल जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत थर्मल और गैस आधारित ऊर्जा से अलग 40,000 मेगावाट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर निर्मित करने की भी क्षमता रखता है। उसकी इस क्षमता का दोहन करने में भारत सफल हो जाता है तो यह क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया का एक प्रमुख पावर हाउस बन सकता है। पूर्वोत्तर की विशाल स्थायी जल व्यवस्था भी एक वरदान की ही तरह है जिसे केवल एग्रो आधारित उद्योग तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि परिवहन तंत्र के हिस्से के रूप में भी देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नदी मार्गों को ठीक प्रकार से विकसित कर लिया जाए तो इस क्षेत्र से परिवहन तंत्र अनुकूल और सुविधाजनक हो जाएगा जिससे न केवल आंतरिक बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी गतिशील होने का अवसर मिलेगा। यह बात इसलिए भी कही जा सकती है, क्योंकि भारत का तिब्बत और बर्मा या अन्य दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ होने वाले व्यापार में इस क्षेत्र के दर्रे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर दिफू दर्रा भारत, चीन और बर्मा तीनों की सीमाओं को जोड़ता है और पूर्वी असम के लिए तो यह अति रणनीतिक महत्व का है, दोंग्खा या दोंकिया दर्रा (सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है), गोएचा दर्रा (रणनीतिक महत्व का, सिक्किम), जेलेप दर्रा (भारत और तिब्बत के मध्य, सिक्किम), नाथूला (सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा है, जो आज भी भारत-चीन व्यापार के लिए सर्वाधिक अनुकूल है), कोंगका दर्रा और पांगसाउ दर्रा (भारत-म्यामां सीमा पर स्थित) आदि दर्रे सामरिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो सक्रिय स्थिति में भारत के अनुकूल भूमिका निभाते रहे हैं और आगे इससे बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।

इस क्षेत्र की कुछ अन्य विशेषताएं भी वरदान जैसी लगती हैं जैसे– एग्रो खाद्य प्रसंस्करण और आर्गेनिक एग्रो हार्टिकल्चर, बहुरंगी हथकरघा, प्राकृतिक रबर आदि। ये क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया तथा पूर्वोत्तर को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। इन विशेषताओं के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की मुख्यधारा में पूरी तरह से नहीं आ सका है। आखिर इसकी वजह क्या रही? अधिकांश बुद्धिजीवियों और विचारकों की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है कि आर्थिक विस्तार की कहानी में पूर्वोत्तर को हाशिए पर छोड़ दिया गया। यानी भारत पूरब की ओर देख रहा है लेकिन निकटतम पूर्वोत्तर क्षेत्र पर उसकी निगाह पड़े बिना ही दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंच जाती है, जिससे यह क्षेत्र हमेशा उपेक्षा का शिकार रहता है। इस बात को पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता लेकिन पूरी तरह से स्वीकार करना भी उचित प्रतीत नहीं होता। हालांकि यह सच है कि हाल के वर्षों में क्षेत्र ने आर्थिक विकास की त्वरित गति की वंचना को महसूस किया है। शायद यही कारण है कि पूर्वोत्तर की विकास दर अभी तक नीची बनी हुई है। सकल प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 30 प्रतिशत नीची है। यही नहीं पूरे क्षेत्र में यह स्थिति एक जैसी नहीं है, बल्कि वहां भी काफी विषमताभरा वातावरण है। इस दृष्टि से 13वें वित्त आयोग के आंकड़ों को देखा जा सकता है जिसमें उसने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आर्थिक विकास की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है (चित्र-1)। इसमें देखा जा सकता है कि आने वाले समय में असमान विकास की स्थिति इस क्षेत्र में विषमता पैदा करेगी। इसी तरह की कुछ अन्य कमज़ोरियां भी हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करती हैं।

इस क्षेत्र में भी पूरे भारत की तरह ही कृषि क्षेत्र में पर्याप्त गिरावट है साथ ही सेवाओं तथा विनिर्माण में विविधताएं भी अपर्याप्त है जिससे रोज़गार की संभावनाएं काफी कमज़ोर हैं। ग़रीबी दर उच्च हैं और स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त। साथ ही प्रत्येक उस संसाधन में गिरावट की स्थिति है जिसके जरिये विकास को 'इंटरनेशनल लिंकेज' से संबद्ध किया जा सकता है।

इन कमियों के कारण आलोचना के तमाम साधन हमारे पास मौजूद हैं लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत सरकार की ओर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने और उसे मुख्यधारा में लाने की कोशिश नहीं की गई। संघ सरकार ने इस क्षेत्र में विकास के लिए विशेष एप्रोच वाले 'रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट मॉडल' अपनाए, जिसका मुख्य पहलू था– एक क्षेत्र के अधिशेष को दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित करने की अनुमति ताकि न्यूनतम संसाधन आवंटन के जरिये सकल राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था के विकास की संरचना तैयार की गई जिसमें पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्राइबल एरिया सब-प्लान और ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। लेकिन इस प्रकार की जो भी योजनाएं बनी वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकीं बल्कि संसाधनों के आवंटन, औद्योगीकरण के स्तर और अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के असमान वितरण के कारण असंतुलित विकास का पोषण हुआ जिससे इन राज्यों के मध्य एक फ़ासला पैदा हो गया। दरअसल, पूर्वोत्तर राज्यों की ये अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर औद्योगिक क्षेत्र और स्फीतिक सेवा क्षेत्र के साथ कृषि विशेषताओं वाली अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं ही थीं। शायद विकासीय संरचना सुनिश्चित करते समय इस विशेषता का अधिक ध्यान नहीं रखा गया। औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतया असम में चाय, तेल और टिम्बर(टीओटी) के इर्द-गिर्द और क्षेत्र के अन्य भागों में माइनिंग, सॉ मिल्स और प्लाइवुड फैक्ट्रियों तक ही सीमित रहा। राज्य द्वारा प्रायोजित औद्योगीकरण, जिनमें चीनी मिलें, जूट मिलें, कागज़ मिलें अथवा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां आदि शामिल हैं, सफल नहीं रहा। यहां पर लघु उद्योग क्षेत्र विकसित करने की पर्याप्त संभावनाएं थीं लेकिन वह लगातार बीमार होता गया। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अभी भी प्राथमिक तौर पर कृषि आधारित ही है लेकिन उसकी भी संपूर्ण क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र पर अभी भी झूम, टेरेस और स्थानांतरित खेती ही होती है जबकि मैदानी क्षेत्र में प्रमुख रूप से परंपरागत एकल फ़सल ही होती है। इससे अपेक्षित खाद्यान्न आपूर्ति भी संभव नहीं हो पाती। चूंकि औद्योगिक क्षेत्र रोज़गार दे पाने में अक्षम है इसलिए सारा भार सेवा क्षेत्र पर पड़ता है। अल्प आर्थिक गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में राज्य वृहत संसाधन घाटे की स्थिति बनी हुई है।

इस दिशा में मूलभूत क़दम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की 2 जुलाई, 2008 को घोषणा, 'पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पैरिटी इन द नार्थ ईस्टर्न रीजन : विज़न 2020, को माना जा सकता है जिसमें प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को 'लैंड ऑफ राइजिंग सन' कहकर संबोधित करते हुए इस बात पर विशेष ज़ोर दिया था कि यह क़दम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बेहतर साबित होगा। इस विज़न में बहुत हद तक वही बात थी जो प्रधानमंत्री ने सन 2004 में भारत - आसियान कार रैली के उद्घाटन भाषण में कही थी। उस भाषण में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर

चित्र-1

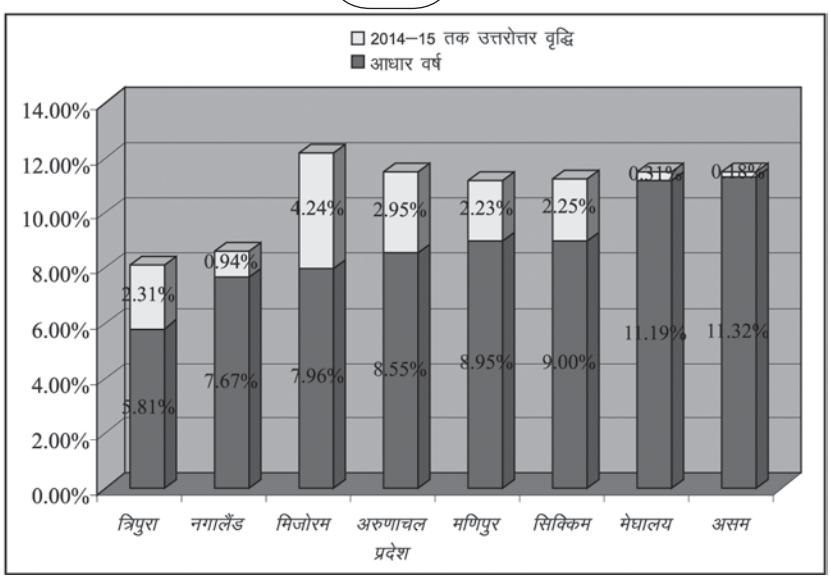

स्रोत : 13वां वित्त आयोग आयोग

राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण-पश्चिम चीन और इससे भी दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाले 'इकोनॉमिक स्प्रिंगबोर्ड' की संज्ञा दी थी। दरअसल, पूर्वोत्तर राज्यों का 98 प्रतिशत परिधीय क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में अवस्थित है और इसके साथ ही इसकी अत्यधिक आर्थिक संभाव्यता चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए एक बेहतर स्थान प्रदान कर सकता है। दुर्भाग्यवश अब तक यह क्षेत्र बहुत हद तक विलगाववादी नजरिये का शिकार रहा जिसके कारण यह अविकसित स्थिति का सामना कर रहा है। विज़न वक्तव्य में जो रूपरेखा सुनिश्चित की गई है उसमें तीन प्रमुख तथ्य हैं- प्रथम, जमीन आधारित विकास (ग्रासरूट बेस्ड डेवलपमेंट) प्रक्रिया की रूपरेखा, द्वितीय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पूर्वोत्तर की भूमिका में इज़ाफ़ा और तृतीय, भारत की विदेश नीति, विशेषकर लुक ईस्ट की नीति, के लिहाज़ से इस क्षेत्र की आधारभूत संरचना महत्ता स्पष्ट करना।

तालिका-1

कर जीएसडीपी अनुपात

राज्य	आधार वर्ष	2014-15 तक लक्षित सुधार
असम	4.7 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	2.8 प्रतिशत	0.3 प्रतिशत
मणिपुर	2.7 प्रतिशत	0.3 प्रतिशत
नगालैंड	2.8 प्रतिशत	0.3 प्रतिशत
मिज़ोरम	2.8 प्रतिशत	0.3 प्रतिशत
त्रिपुरा	4.3 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत
सिक्किम	6.7 प्रतिशत	0.1 प्रतिशत
मेघालय	3.9 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत

स्रोत : *13वां वित्त आयोग*

रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में संचार की कमी ही न्यूनतम विकास का महत्वपूर्ण कारण रही है, इसलिए विज़न में आधारभूत संरचना का विकास कर एक-दूसरे के साथ संबद्धता को ज्यादा तरजीह दी गई। रेल और सड़क के निर्माण की भूमिका में सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ना महत्वपूर्ण रहा। हालांकि यह क्षेत्र इस मामले में अब तक काफी पीछे है। उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर राष्ट्रीय मार्ग का 6 प्रतिशत और राष्ट्रीय राजमार्ग का 13 प्रतिशत हिस्सा ही रखता है, दुर्भाग्यवश ख़राब रखरखाव के कारण यह हिस्सा भी गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। रेलवे भी इस क्षेत्र में वास्तविक अस्तित्व में नहीं। अगला सुझाव था कि मानव संसाधन को विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सलेंस निर्मित किए जाएं ताकि इस क्षेत्र को एकीकृत होने में मदद मिल सके, साथ ही इसे आज के भूमंडलीकरण की ज़रूरतों के अनुसार बनाया जा सके। इसके अनुरूप विकसित करने के लिए ज़रूरी निर्माण क्षमता बढ़ाई जाए, गवर्नेंस में लोगों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित हो, आर्थिक अवसरों का निर्माण और संसाधनों का प्रयोग उचित स्तर और स्थानीय जनता के लाभानुकूल हो। इस उद्देश्य से विज़न रिपोर्ट में विशेष क्षेत्र और उद्योग आधारित रणनीति अपनाने का सुझाव दिया गया है जिसमें फ़सल विविधता, कृषि आधारित उत्पादों, हार्टिकल्चर और फ्लोरीकल्चर को प्रोत्साहन देने तथा इसके लिए ग्रामीण ऋण, बैंकिंग तथा भूमि सुधार लाने पर बल दिया गया था। इसके साथ-साथ हरित क्रांति की वायु संरचना भी निर्मित की गई थी। लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष फ़ोकस को विज़न का अगला विषय बनाया गया, ख़ासकर खादी और ग्राम्य उद्योगों पर, ताकि इस क्षेत्र में ग़रीबी और बेरोज़गारी को दूर किया जा सके। विकास की तेज़ी और गतिशीलता बहुत हद तक अधोसंरचना के स्तर पर निर्भर करती है इसलिए विज़न परिवहन, संचार और उद्योग की ओर भी आकर्षित हुआ। लेकिन असल बात यह है कि पूर्वोत्तर में अभी भी 80 प्रतिशत रोज़गार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में से ही पैदा होते हैं। ऐसे में यदि कृषि और संबद्ध क्षेत्र को उद्यम में परिवर्तित किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाकर रोज़गार के अवसरों को बढ़ाया जाए, तो प्रगति हो सकती है। हालांकि इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी तक सतही लक्ष्य तक ही पहुंचा जा सका है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर में 'शैक्षिक अधिसंरचना' को विकसित करने के लिए सार्वजनिक- निजी सहभागिता पर आधारित 'नॉलेज हब' विकसित करने की योजना बनाई जा चुकी है जिसका कार्य न केवल असम और पूर्वोत्तर के शेष भाग में ज्ञानात्मक योग्यता को बेहतर बनाना है बल्कि इसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तक विस्तृत करना है।

बहरहाल, इस क्षेत्र की संभाव्यता को देखते हुए यह आकलन करना ग़लत नहीं होगा कि यदि इसे उचित प्रकार से विकसित किया जाए तो यह दक्षिण-पूर्व एशिया से हमें जोड़ने में एक शक्तिशाली पुल का कार्य कर सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तो तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था उसके मुक़ाबले बहुत धीमी है। चूंकि इस क्षेत्र का कर जीएसडीपी (कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद) अनुपात औसत से कम है (तालिका-1) इसलिए इन्हें सक्रिय करने के लिए वायु ऊर्जा (वित्त के रूप में) की अत्यधिक ज़रूरत है। यह स्थिति खासकर पहाड़ी राज्यों के मामले में बहुत ही ख़राब है। यही कारण है इन राज्यों में आपसी संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि जो भी योजनाएं पूर्वोत्तर में कार्यरत हैं उन्हें अतिरिक्त बल प्रदान किया जाए। अगर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम चीन में एक बेहतर प्रतिस्पर्धी के रूप एवं सक्रिय भागीदार की भूमिका में आना चाहता है तो उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को वैश्वीकरण के अनुरूप ढांचा प्रदान करना ही होगा। यह न केवल पूर्वोत्तर के सामाजिक-आर्थिक सरोकारों की दृष्टि से लाभदायक रहेगा बल्कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने और सशक्त सामरिक रणनीति को निर्मित करने में भी सहायक होगा। निष्कर्ष यह है कि वक़्त अपेक्षा करता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन की क्षमता को सही से पहचाना जाए। ❑

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।
ई-मेल : rahissingh@gmail.com)

अन्य चिकित्सकीय समस्याओं के साथ फ्लू खतरनाक हो सकता है नजदीकी निर्दिष्ट अस्पताल में जाएं और तुरंत एच1एन1 फ्लू (स्वाइन फ्लू) की जांच करवाएं।

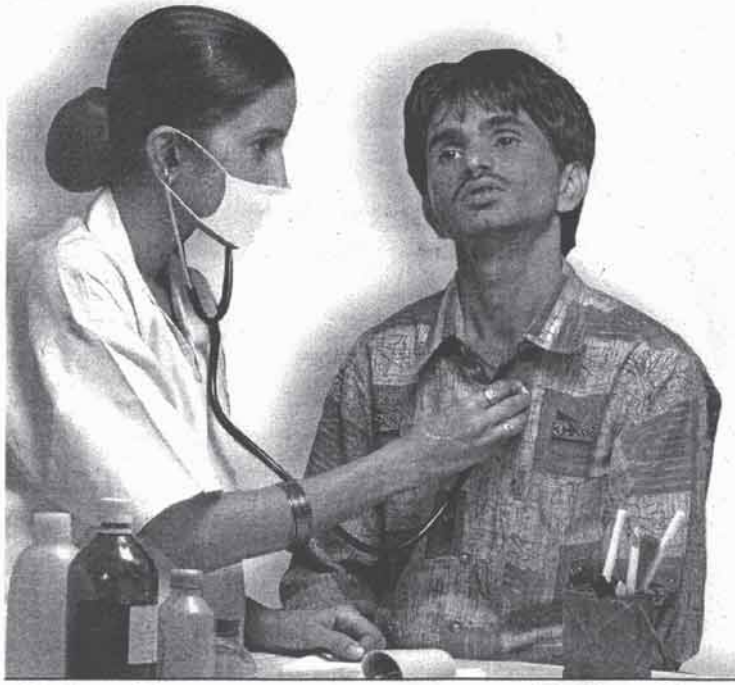

जिन व्यक्तियों में निम्नलिखित स्थितियों का पता चला है उनको एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि वे संक्रमण के लिए अति संवेदनशील हैं

- पुरानी सांस की बीमारियां जैसे ब्रॉन्कियल अस्थमा, पुराना श्वसनी शोथ, क्रॉनिक-आब्सट्रक्टिव एयरवे डिसीजेज एवं ब्रॉनकाइटिस
- हृदय रोग
- पुरानी गुर्दे की बीमारियां
- उच्च रक्त चाप
- मधुमेह
- प्रतिरक्षा की कमी (एचआईवी) के साथ मरीज
- गर्भवती महिला

बच्चे एवं जो 60 वर्ष से अधिक के हैं, उनको भी एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है।

फ्लू जैसे लक्षणों जैसे बुखार, बदन दर्द, नाक बहना, कफ एवं गला-शोथ, सांस लेने में कठिनाई के प्रारंभिक चरणों में नजदीकी निर्दिष्ट अस्पताल या इसके ओपीडी जांच केन्द्र में चिकित्सा सहायता लेने से आगे की जटिलताओं को रोका जा सकता है।

अपने पड़ोस में समान लक्षणों वाले लोगों (3 या 4 से अधिक) के प्रति सावधान रहें और टोल फ्री नंबर 1075 या 1800-11-4377 पर सूचित करें।

अधिक स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय हेल्प लाइन नं. 011-23921401 से सम्पर्क करें

अधिक जानकारी के लिए http://www.mohfw-h1n1.nic.in देखें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

davp 17161/13/0013/1011

YH-12/10/4

पर्यावरणीय विकास सुनिश्चित करने की पहल

● देवेन्द्र उपाध्याय

संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र में सुदृढ़ पर्यावरणीय विकास को सुनिश्चित करने, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार और समेकित रणनीतियों को विकसित करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में उनकी क्षमता के प्रदर्शन हेतु पिछले दो दशक से लगातार प्रयास जारी हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत गोविंद वल्लभ पंत हिमालय एवं पर्यावरण संस्थान की वर्ष 1988-89 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में स्थापना की गई थी।

संस्थान का मुख्यालय अल्मोड़ा जिले के कोसी-कटारमल में है। संस्थान की चार क्षेत्रीय इकाइयों में दो पूर्वोत्तर इकाई और सिक्किम इकाई है। इन इकाइयों में जैव-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विश्लेषण और प्रबंधन, जलागम प्रविधियां और प्रबंधन, ज्ञान उत्पाद और क्षमता निर्माण, जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जो तीन क्रियाशील समूहों और छह विषय क्षेत्रों में पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

संस्थान के निदेशक डॉ. एल.एम.एस. पालनी ने बताया कि इकाइयों की अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। पूर्वोत्तर इकाई ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) और सिक्किम इकाई पांगथांग, गंगटोक में अलग-अलग वैज्ञानिक प्रभारी के अधीन कार्यरत हैं।

पूर्वोत्तर इकाई की स्थापना सन 1989 में नगालैंड में हुई थी और 1997 में इसे ईटानगर में स्थापित किया गया जो लगातार उस क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के कार्यों में सकारात्मक योगदान कर रही है। इस क्षेत्र में अन्य समुदायों सहित 145 जनजाति समूह निवास करते हैं जो क़रीब 220 बोलियां बोलते हैं। *इंडिया रेड डाटा* पुस्तक के अनुसार इस क्षेत्र में देश की 55 प्रतिशत फूलों की प्रजातियां हैं। यह क्षेत्र जैविक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। दुर्भाग्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता विभिन्न ख़तरों से जूझ रही है। वनों के कटाव, भूमि कटाव और भू-स्खलन, बसावट का विस्तार, अंधाधुंध शिकार आदि तमाम ख़तरों का सामना कर रही जैव-विविधता को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन की रणनीतियों पर संस्थान की इकाई सक्रियता से कार्य कर रही है।

पूर्वोत्तर इकाई के वैज्ञानिक प्रभारी डॉ. प्रसन्ना के. सामल ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैविक संसाधनों तथा सांस्कृतिक रूप से संपन्न अनूठे जातीय समूहों के विकास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से पहल की गई है। इस समूची प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए 35 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

झूम खेती के क्षेत्र में जनकेंद्रित भू-उपयोग मॉडल अपनाने, जनजातीय समुदायों में देशज ज्ञान प्रणालियों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के विकल्प, जैव विविधता, संरक्षण और समग्र विकास तथा आजीविका सुधार हेतु कम लागत की उपयुक्त तकनीकी पर पूर्वोत्तर इकाइयां सतत् कार्यरत हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यूनेस्को मैक ऑर्थर, जीओयू-यूएनडीपी-सीसीएफ-II, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि की प्रायोजित क़रीब आधा दर्जन परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चल रही हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के 15 से भी अधिक राज्य सरकारों के विभाग, संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज, केंद्र सरकार के दस संस्थान तथा 30 से भी अधिक गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र में विभिन्न रचनात्मक कार्यों में भागीदारी निभा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की मछलियों की 84 प्रजातियों (एसपीपी) को *रेड डाटा* में सूचीबद्ध करने के लिए आईयूसीएन के परामर्श सेवाएं, सांस्कृतिक लेंडस्केप हेतु कार्य के लिए यूनेस्को से संपर्क तथा काठमांडू स्थित आईसीआईएमओडी से राष्ट्रीय पार्कों के लिए अनुसंधान करने की दिशा में पूर्वोत्तर इकाई काम कर रही है।

डॉ. सामल ने बताया कि राज्य सरकारों की भागीदारी एवं सहयोग से संस्थान की पूर्वोत्तर इकाई द्वारा किए जा रहे कार्यों को बेहतर तरीक़े से पूरा करने के प्रयासों को बल मिला है।

दो नयी मछली प्रजातियों की खोज : संस्थान की पूर्वोत्तर इकाई ने मछली की दो नयी प्रजातियों को खोज निकाला है। यह कैट फिश की नयी प्रजातियां वैज्ञानिकों के लिए भी नयी हैं।

संस्थान की पूर्वोत्तर इकाई एकीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पांच राज्यों के 49 गांवों और 11 जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। इन राज्यों के 4 हज़ार से भी अधिक जनजाति किसान कई प्रौद्योगिकों का उपयोग कर रहे हैं तथा 1,500 परिवारों ने कम लागत की 17 तकनीकों में से कई तकनीकों को अपनाया है। इन राज्यों में 69 स्व सहायता समूह, एक मार्केटिंग कमेटी तथा तीन किसान क्लब काम कर रहे हैं। कम लागत की तकनीकें अपनाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को उच्च उत्पादकता, उद्यमिता और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसर मिल रहे हैं, जिससे जनजातीय पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार दिखने लगा है।

घरेलू वाटिका हेतु जालियां

पूर्वोत्तर राज्यों में देश के अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह छोटे और मझोले किसान हैं जिनके पास सीमित कृषि भूमि है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती के लिए जालियों का इस्तेमाल परंपरागत तरीक़े से होता आया है लेकिन वे दो से अधिक फ़सलों का

बोझ सहन नहीं कर सकती। इन जालियों के आकार और डिज़ाइन को संशोधित कर उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया गया है। साधारण जालियों में कच्चे माल के रूप में बांस का उपयोग किया जाता है जिससे कम क्षेत्र में एक से अधिक फ़सलें लेना संभव तो होता है, साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है। कई जालियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं कि दूर से ही आकर्षित करती हैं।

जीबीपीआईएचईडी की पूर्वोत्तर इकाई ने पांच किस्म की जालियां विकसित की हैं। जिनमें बांस को चार कोनों पर एक-डेढ़ मीटर की दूरी पर लगा दिया जाता है और फिर उन पर तीन-तीन मीटर की छत डाल दी जाती है। वर्गाकार जाली के अलावा टी-आकार जाली, टेबल टॉप जाली, अर्द्ध चंद्राकार जाली और वेब आकार जाली सब्ज़ियां उगाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गृह-वाटिका के लिए जाली का इस्तेमाल उत्पादन और मुनाफ़ा बढ़ाने में किसानों के लिए बेहतर होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक सिद्ध हुई है।

सिक्किम में मुख्य उपलब्धियां

संस्थान की सिक्किम इकाई ने भू-आपदाओं का भू-गर्भीय पर्यावरणीय आकलन, बचाव रणनीतियां, कंचनजंगा जैव-आरक्षण और दूसरे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय आयाम संकेंद्रित जैव-विविधता संरक्षण संबंधी अध्ययन तथा समेकित जलागम प्रबंधन अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताएं कार्यान्वित करने की दिशा में उपलब्धियां अर्जित की।

सिक्किम इकाई के वैज्ञानिक प्रभारी डॉ. के. के. सिंह ने बताया कि सिक्किम में पारि-पर्यटन को प्रोत्साहन देकर, संस्थान मुख्यालय में ग्रामीण तकनीकी परिसर की स्थापना प्रमुख उपलब्धि है। संस्थान ने भारतीय हिमालय की जैव-विविधता के संरक्षण हेतु कार्ययोजना और राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना के अंतर्गत वन्य पादप विविधता के लिए रणनीति एवं कार्ययोजना बनाई है।

पिछले डेढ़ दशक के दौरान एकीकृत जलागम प्रबंधन, सिक्किम जैव विविधता एवं ईको-पर्यटन परियोजना, बायोस्फेयर रिज़र्व, सिक्किम की कृषि वानिकी में मृदा उर्वरकता उत्पादकता, ऊर्जायन एवं रखरखाव, कृषि आधारित सरल प्रौद्योगिकी का पहाड़ी किसानों एवं महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी सूचना के कृषि संभाव्यता पर प्रौद्योगिकी विजन 2020 मिशन प्रोजेक्ट, समुदाय वन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन संकाय, जीन बैंक स्थापना आदि परियोजनाओं को पूरा किया गया। वर्तमान में सिक्किम इकाई बाहरी एवं आंतरिक एक दर्जन परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

डॉ. सिंह ने बताया कि प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के मामले में भी सिक्किम इकाई ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। पंगथांग में दस एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में नर्सरी का विकास, कृषि-वानिकी मॉडल विकास, दक्षिणी सिक्किम के नौ विकास खंडों के 30 गांवों में एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना का संचालन, प्रौद्योगिकी पैकेज़ का विस्तार, बायोस्फेयर रिज़र्व परियोजना के अंतर्गत 8 गांवों का सामाजिक-आर्थिक तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से कवर करना, गंगटोक में दुर्लभ एवं संकटापन्न पौध संरक्षण पार्क का विकास आदि समेत डेढ़ दर्जन से भी अधिक प्रौद्योगिकी उपलब्धियां हैं।

हिमालय के बारे में विभिन्न पहलुओं पर संस्थान के वैज्ञानिकों की देखरेख में अनेक शोध किए जा रहे हैं। पहाड़ी खेती प्रबंधन में अनेक प्रौद्योगिकियां संस्थान द्वारा प्रयुक्त की जा रही हैं। इनमें बायोग्लोब्युल्स; अनचाहे घास एवं खरपतवार से जैविक मल, जल-संचायिका टैंक (जलाशय), इलायची सुखाने के लिए उन्नत किस्म की भट्टी, बांस प्रजनन प्रौद्योगिकी, पालिहाउस व पालिबेड, पोलिपीट, ढालू ज़मीन में कृषि प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख हैं।

भू-स्खलन तथा उनकी रोकथाम

भू-स्खलन व भू-क्षरण सिक्किम हिमालय में पूरे वर्ष घटित होने वाली सामान्य-सी घटना है। कमज़ोर चट्टानें, असंगठित मिट्टी, तेज़ वर्षा व तीव्र ढलान आदि भू-स्खलन के मुख्य कारण हैं। सिक्किम का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए है जो सिक्किम को अन्य राज्यों से जोड़ता है। भू-स्खलन के कारण यह सड़क जगह-जगह से बंद हो जाती है जिसकी वज़ह से सिक्किम का पूरे देश से संपर्क कट जाता है।

भू-स्खलन रोकने के लिए सिक्किम में अभियांत्रिकी एवं जैव-अभियांत्रिकी विधियां बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। इन तकनीकों को अपनाने से कई स्थानों पर भू-स्खलन रोकने में सफ़लता मिली है। चांदमारी, बी-टू और नौ माइल (पूर्व सिक्किम) तथा दोनक सेती खोला (दक्षिण सिक्किम) इन स्थानों में प्रमुख हैं। भू-स्खलनों से बचाने के लिए अनेक क़दम उपयुक्त बताए गए हैं जिनमें तीव्र ढलानों पर निर्माण कार्यों से बचने, पानी की उपयुक्त निकासी एवं संवेदित स्थानों पर पानी का रिसाव रोकने, जंगलों को कटने से बचाने एवं संवेदित स्थानों पर उचित वृक्षारोपण करने, भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से बचने, किसी भी विकास कार्य से पूर्व वहां के भू-स्खलनों की तकनीकी जानकारी हासिल करने तथा निर्माण एवं विकास कार्य करने से पहले तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श करना आदि शामिल है।

सामुदायिक सहभागिता

अरुणाचल के तवांग जिले और कमेंग जिले के पश्चिमी भाग को विश्व शांति पार्क के रूप में नामांकित किया गया है। इसे उच्च तापमान वाले बायोस्फेयर रिज़र्व तथा विश्व विरासत स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। इसका एक हिस्सा टैलीवैली वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया जा चुका है। इस क्षेत्र के समृद्ध जैव विविधता को समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है।

बुरांश (होडोडेंड्रोन) के संरक्षण के प्रयास

भारत में बुरांश (होडोडेंड्रोन) की क़रीब 50 प्रजातियां हैं। जिनमें हिमालय क्षेत्र में इसकी क़रीब 98 प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 72 प्रतिशत प्रजातियां सिक्किम हिमालय में मिलती हैं और 36 में से 8 प्रजातियां ख़तरे में हैं। इसका कारण इन प्रजातियों के मानव बसाहट के बहुत क़रीब होना है। जंगलों के कटने, निर्माण कार्य होने तथा पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार होने से बुरांश पर ख़तरा बढ़ रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से प्रमुख अनुसंधानकर्ता के.के. सिंह एवं एल.के. राय ने बुरांश जीन के संरक्षण तथा जैव प्रौद्योगिकी साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करने के बारे में जनचेतना फैलाने हेतु चार वर्षीय परियोजना चलाई थी। जिससे बुरांश के संरक्षण और इसे सफलतापूर्वक उगाने एवं उसे अन्य खेतों में लगाने में सफलता मिली।

पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों में सरल ग्रामीण तकनीकों पर आधारित उद्यमिता विकास को आगे बढ़ाने, झूम कृषि प्रणाली के अंतर्गत तांगखुलस समुदाय की परती प्रबंधन प्रणाली आदि के माध्यम से आजीविका सुरक्षा में वृद्धि हुई है। भारतीय मध्य हिमालय में पारंपरिक बांस संसाधनों के उपयोग से ग्रामीणों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिली है। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

पूर्वोत्तर भारत में ढांचागत बुनियादी विकास

● सुदाम कोरडे

भारत विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित एक संघ राज्य है। देश के राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक व्यवहार्यता और विकास के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का संतुलित विकास आवश्यक है। हालांकि इसमें अत्यधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह विविधता आकार, प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या-घनत्व, सामाजिक परंपराओं, विकास के प्रारंभिक स्तरों, आर्थिक संगठन, ढांचागत सुविधाओं, औद्योगिक एवं व्यावसायिक ढांचे और संस्थागत वित्त की उपलब्धता, विकास दरों, निर्धनता स्तरों और सामाजिक विकास के सूचकांकों से संबंधित है। जैसाकि सभी जानते हैं राष्ट्रीय योजनागत विकास की संपूर्ण अवधि के दौरान व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय असमानताएं और अंतरराज्यीय अथवा राज्यों के आंतरिक अंचलों में भी असंतुलन की स्थिति लगातार दिखाई देती रही है। विकास सूचकांकों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है।

एस.पी. शुक्ल आयोग ने ठीक ही कहा था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र चार अभावों का सामना कर रहा है। (बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, ढांचागत अभाव, संसाधनों की न्यूनता और शेष भारत के साथ मेल-मिलाप की द्विपक्षीय कमी, जोकि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और अन्य अभाव मिलकर उन्हें और बढ़ा देते है। इस क्षेत्र में ये अभाव बहुत लंबे समय से रहे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की विकास दर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से नीचे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर अखिल भारतीय स्तर की तुलना में नीचे है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर वर्ष 2007-08 में यह 25,585 रुपये था जोकि 33,283 रुपये के सभी राज्यों के औसत से 23 प्रतिशत कम है। इसके साथ ही विकास के अन्य सूचकांकों में भी असमानताएं बढ़ी हैं। हालांकि यह बेहद ज़रूरी है कि भूख और कुपोषण से आगे बढ़ा जाए और ग़रीबी की अवधारणा में कई अन्य विशिष्टताएं सम्मिलित की जाएं, जैसेकि वस्त्र, आवास, प्राथमिक स्वास्थ, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा इत्यादि।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां विकास की मंद गति के लिए केंद्रीय सहायता के अभाव को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मानव संसाधन विकास की विशेष सार्थकता है। यह भी सर्वविदित है कि निवेश के अनुसार वहां प्रगति नहीं हुई है। अत: हमें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होकर वास्तविक स्थिति, उपलब्धियों और खामियों का परीक्षण करना होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्य के रूप में लिया है और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बुनियादी ढांचे के विकास में अवरोधों को दूर करने, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के प्रावधान और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करने के लिए विशेष रणनीतियां तैयार की गई है।

दूसरे, देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वोत्तर में केंद्रीय सहायता का विकेंद्रीकरण कहीं अधिक उदारता से होता रहा है।

आइए, अब एक सरसरी नज़र पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विशेष क़दमों पर डाले। इन उपायों में अग्रलिखित शामिल हैं:

- गाडगिल फार्मूले से परे विशेष श्रेणी वाले राज्यों जैसा व्यवहार। उनकी योजना आवंटन का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में होता है और 10 प्रतिशत ऋण के तौर पर।
- गैरयोजना व्यय हेतु केंद्रीय सहायता के 20 प्रतिशत के इस्तेमाल की अनुमति।
- अंतरराज्यीय समस्याओं के निराकरण और इस तरह की परियोजनाओं का वित्त पोषण अपने ही बजट से करने के लिए वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का गठन।
- संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को अपने वार्षिक बजट की कम-से-कम 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु निर्धारित और व्यय करने के निर्देश की अनूठी व्यवस्था।
- नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिर्सोसेस (एनएलसीपीआर) के नाम से एक केंद्रीय कोष का गठन जिसमें बिना व्यय की गई राशि जमा हो जाती है और जिसका उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढांचागत विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नये विभाग का वर्ष 2001 में गठन हुआ।
- पूर्वोत्तर परिषद का स्तर एक सलाहकार संस्था से बढ़ाकर वर्ष 2005 में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए वैधानिक नियोजन संस्था के रूप में करना।

अब एक नज़र प्राकृतिक रूप से संपन्न पूर्वोत्तर क्षेत्र की अंतर्निहित शक्ति पर डालते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रकृति का उपहार

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.9 प्रतिशत

भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में निहित है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के प्राकृतिक भू-भाग और जलवायु के उदाहरण देखने को मिलते है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52 प्रतिशत वनाच्छादित है। देश की कुल जैव-विविधता वाली संपदा का एक तिहाई इसी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में संकेंद्रित है।

हमारे बहुमूल्य मानव संसाधन

पूर्वोत्तर के 2,62,179 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैले 200 के क़रीब भाषाएं बोलने वाले लगभग 400 समुदायों के 3.9 करोड़ लोग न केवल परिश्रमी हैं वरन जुझारू भी हैं। यही इस क्षेत्र का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विविधता में एकता का बेजोड़ उदाहरण है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास संबंधी चुनौतियां कुछ निम्न कारणों से सामने आती हैं:

भौतिक कारक : भू-जलवायु संबंधी कारक, दुर्गम इलाक़े, भारी वर्षा और खेतों में कामकाजी मौसम का छोटा होना इनकी प्रमुख समस्याएं हैं।

मनोवैज्ञानिक कारक : गुज़ारे के एकमात्र साधन जल, ज़मीन और जंगल पर नियंत्रण के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। चिरकाल से चली आ रही भावनाएं और पूर्वाग्रह अब भी बने हुए हैं जिसके कारण अंतरसामुदायिक और अंतरराज्यीय समन्वय और सहयोग का अभाव है। फलस्वरूप विकास प्रभावित होता है।

नियोजन प्रक्रिया से आम आदमी दूर हो गया है और इस पर अब संपन्न और अभिजात वर्ग का प्रभुत्व और प्रभाव है। इसीलिए लोग विकास योजनाओं को सरकारी मशीनरी द्वारा लागू की जाने वाली सरकारी योजना के रूप में ही देखते है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में समानता, ईमानदारी, पारदर्शिता, विश्वास, श्रम का सम्मान एवं सामूहिक निर्णय लेने की नीति ये पारंपारिक मूल्य अभी भी आम आदमी में जीवित है।

आम आदमी को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय साझीदारी के लिए शुरुआती चरण से शामिल किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नियोजन की प्रक्रिया से लेकर क्रियान्वयन और फिर उसके पर्यवेक्षण और मूल्यांकन तक सभी चरणों में आम आदमी को शामिल किया जाना चाहिए। केवल यही उपाय भ्रष्टाचार, अक्षमता, पक्षपात, सरकारी धन का दुरुपयोग, बुनियादी ढांचागत कार्यों में धन की बरबादी और घटिया गुणवत्ता को उजागर कर सकता है। जागरूक जनमत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।

बुनियादी मुद्दे स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक मुद्दा, विकास और शासन व्यवस्था में सक्रिय हिस्सेदारी निभाने के लिए आम आदमी को आमंत्रित करने की जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिये शुरू की गई थी।

दूसरा मुद्दा नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा के पुनर्गठन की लंबी प्रक्रिया हो चुकी है। इसका उद्देश्य बुनियादी स्तर से ही प्रबुद्ध प्रगतिशील नागरिक समाज का निर्माण करना है। सड़कों, रेलवे, विमान सेवाओं और अंतरदेशीय जलमार्ग के विकास की व्यापक योजना बनाते हुए अतिरिक्त संसाधन दिए गए थे।

पूर्वोत्तर में बैंकिंग

बैंकिंग क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे सुधारों के कारण इस क्षेत्र की पूरी दिशा और दशा ही बदल गई है। भारतीय बैंक अब किसी भी प्रकार के संकट का सामना करने में समर्थ है। परंतु देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि बैंकों ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया की चुनौती का डटकर सामना किया है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक मामलों में इनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। चूंकि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास बहुत कुछ बैंकिंग क्षेत्र पर ही निर्भर है। सरकारी नीतियों द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के समान ही क्षमता से बैंकिंग काम करें ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और इससे क्षेत्र के साथ-साथ समूचे देश को लाभ हो।

पूर्वोत्तर में रबड़ विकास योजना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास की योजना रबड़ बोर्ड द्वारा तैयार की गई जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना से लागू किया जा रहा है। इसमें 25 हज़ार हेक्टेयर भूमि में नये पौधे लगाने तथा 16,750 हेक्टेयर क्षेत्र के पुराने रबड़ के वृक्षों के स्थान पर नये पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में रबड़ विकास की योजना हेतु 11वीं योजना प्रारूप में 118.10 करोड़ की प्रस्ताविक राशि को बढ़ाकर 180.13 करोड़ रुपये कर दिया गया।

जल परिवहन

वर्ष 2004 के बाद पूर्वोत्तर के विकास को पंख लग गए है। यहां रेल सुविधाओं का विकास हो रहा है तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी विकसित हो रहा है। कुछ सालों से जल परिवहन क्षेत्र की दिशा में केंद्र और पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों ने ध्यान देना शुरू किया है। पूर्वोत्तर में कई छोटी-बड़ी नदियां है। खासकर ब्रह्मपुत्र तो अंग्रेज़ी राज में रेलों के विकास के बाद भी महत्वपूर्ण परिवहन का साधन रही। इस क्षेत्र के जलमार्गों सड़क मार्गों के साथ ही सर्वांगीण विकास के साथ सभी सुविधाओं से संपन्न कर दिया जाए तो काफी संख्या में रोज़गार की संभावनाएं भी विकसित हो सकती है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर परिषद की पहली बैठक में (12 अप्रैल 2005) प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।
- कार्यशील लोगों के कौशल विकास का कार्य, उनके लिए उपयोगिता के आधार पर, कार्यस्थलों के आसपास ही किया जाना चाहिए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को लाभप्रद रोज़गार के अवसर मुहैया कराना है तो शिक्षा और व्यावसायिक कौशल की समग्र योजना अनिवार्य है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के वास्ते विकास नीति में मॉडल संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन करके नियोजन बनाना चाहिए। यह परिवर्तन भारत के लिए आवश्यक है, जिसे वर्ष 2020 तक विश्व की एक महाशक्ति के रूप में देखने की उम्मीद की जा रही है। यदि हम पहले से कमज़ोर राज्य सरकारों की आर्थिक शक्ति मज़बूत करने में सफल हो जाते हैं, तो यह स्वप्न हक़ीक़त में बदल सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उपलब्ध संसाधनों के दोहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जुलाई 2008 में एनईआर विजन 2020 जारी किया था, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए है तथा चुनौतियों की पहचान कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रणनीति लागू करने के सुझाव शामिल है। ❑

(लेखक यशवंत महाविद्यालय, नांदेड़ (महाराष्ट्र) में अर्थशास्त्र विषय के व्याख्याता हैं।
ई-मेल : korde.sudam@gmail.com)

विकास हेतु सड़क संपर्क को बढ़ावा

● नन्दिनी

पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से है। इस क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने सन् 2002 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की, जिसे बाद में अलग मंत्रालय बना दिया गया। इसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, दोनों संपन्न होने के बाद भी प्रभावी ढंग से उनका दोहन नहीं किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष क़दम उठाए गए।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सन् 1988-99 में 3,211 करोड़ रुपये से सन् 2009-10 में 16,342 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सामरिक एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अधिकांश मानदंडों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क संपर्क राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, पुलों की तादाद भी काफी कम है लकड़ी से बने पुल बड़ी संख्या में हैं लेकिन वे भारी यातायात के अनुकूल नहीं है। इनकी मरम्मत के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। केंद्र इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा वहां के लोगों की भलाई के लिए सड़क संचार को बढ़ाने, तीव्रीकरण करने तथा उनको सुधारने पर ध्यान दे रही है।

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई 8,733 किमी. है। इन राज्यों का विकास एवं रखरखाव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इनमें संबंधित राज्यों की पीडब्ल्यूडी, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने इस क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की 10,141 किमी. लंबाई वाली सड़कों जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य की सड़कें तथा जीएस सड़कों, का विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है।

प्रमुख परियोजनाएं

पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर- इसके अंतर्गत असम को गुजरात के पोरबंदर से चार लेन वाले पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर से जोड़ना है। जो गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुज़रेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 3,300 किमी है जिसमें 678 किमी पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग 31-सी, 31,37,36 और 54 में आता है। 4-लेन वाला 18 किमी लंबा गुवाहाटी बाइपास 119 करोड़ रुपये लागत से तैयार हो चुका है तथा अन्य 629 किमी के लिए 5,217.30 करोड़ रुपये के अनुबंध किए जा चुके हैं। जिसमें औसत प्रगति 42.74 प्रतिशत की गति से हुई है सिवाय उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों के पांच पैकेज़ों का छोड़कर।

एनएचडीपी फेज-3 : इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों की राजधानियों को चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम

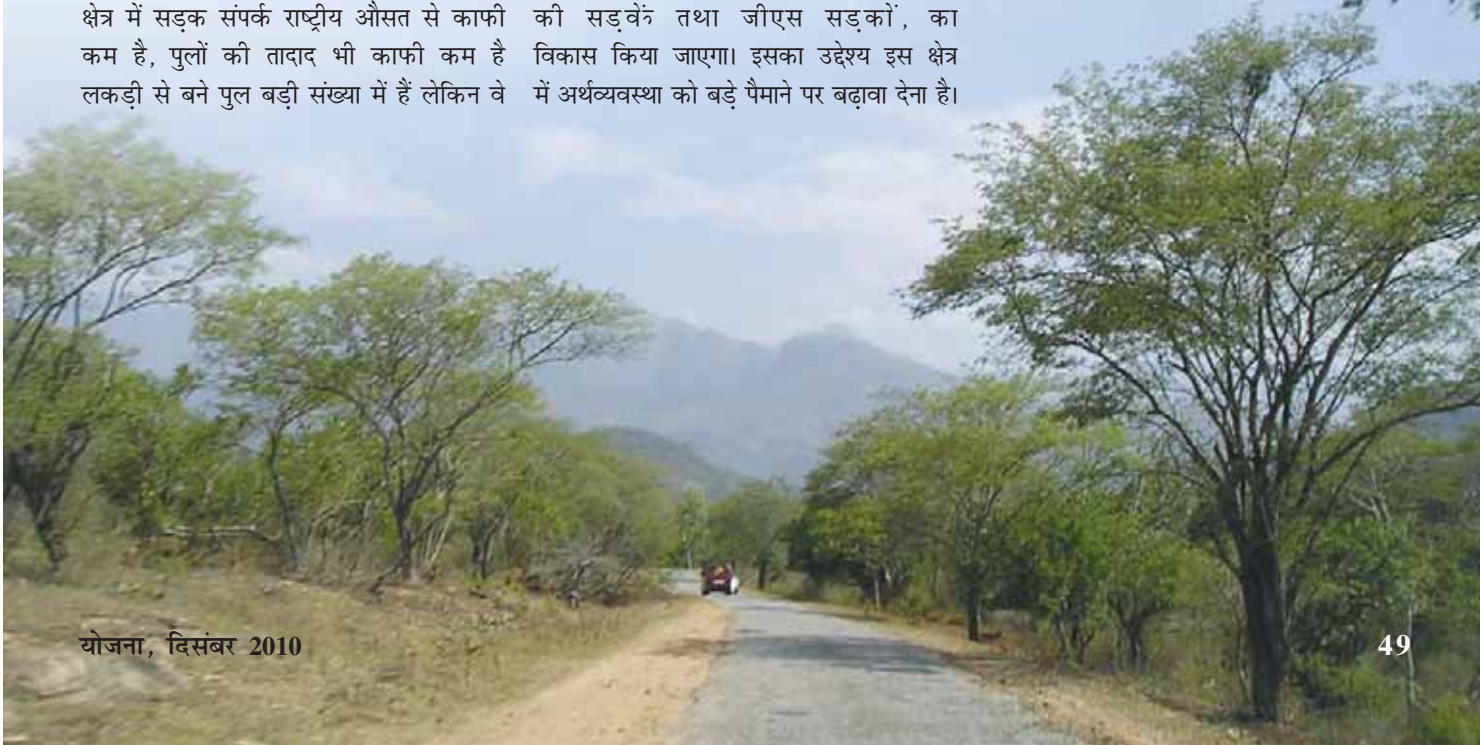

कॉरिडोर से जोड़ा जाना है। इसमें 506 किमी लंबे मार्ग हैं जिन्हें एनएचडीपी फेज-3 के अंतर्गत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 मेघालय में संबंधित राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी द्वारा (110 किमी लंबे मार्ग को) जोवाई-रतचेरा के बीच बनाया जाएगा।

एसएआरडीपी : एनई : पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क विकास विशेष कार्यक्रम में सभी राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़े जाने के अलावा सभी 88 जिला मुख्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ भी संपर्कों में और सुधार करना शामिल है।

फेज-ए कार्यक्रम में 1,310 किमी लंबी 17 सड़कों को शामिल किया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने 22 सितंबर, 2005 को मंजूरी दी थी। अब फेज-ए में 4,099 किमी को शामिल किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 21,769 करोड़ रुपये है। इस फेज का निर्माण 2013-14 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मार्च 2010 तक 546 किमी लंबे सड़क मार्गों का सुधार कार्य पूरा हो चुका है।

अरुणाचल प्रदेश पैकेज़ में 2,319 किमी सड़कें शामिल हैं, जिसकी अनुमानित लागत क़रीब 11,703 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्ष 2014-15 तक इस फेज के अंतर्गत सड़कों को पूरा किया जाने का लक्ष्य है।

फेज-बी में 4826 किमी लंबी 58 सड़कें हैं। जिनमें फेज-ए की 1199 किमी लंबी 22 सड़कें तथा मणिपुर की 202 किमी लंबी फेज-बी की सड़कें शामिल की गई हैं। फेज-बी में अब कुल मिलाकर 35 सड़कें शामिल की गई हैं जिनकी लंबाई 3,723 किमी है। इसकी अनुमानित लागत 11,703 करोड़ रुपये आंकी गई है तथा वर्ष 2015 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार तथा उन्नयन

वर्ष 2005-06 वर्ष 2009-10 तक 2175.37 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत किए कए। इनमें सिक्किम और नगालैंड को छोड़कर पूर्वोत्तर के अन्य सभी 6 राज्य शामिल हैं। इस राशि में 534.98 रुपये की मंजूरी सीमा सड़क विभाग संगठन के लिए दी गई।

वार्षिक योजना 2010-11

इस वार्षिक योजना के अंतर्गत 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2244.02 किमी असम में, 2,882 किमी, मणिपुर में 965 किमी सिक्किम में 41 किमी तथा त्रिपुरा में 462 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इन राज्यों के कुल मिलाकर 8,733 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों में 5,058 किमी राज्यों के पीडब्ल्यूडी के अधीन, 1764 एनएचएआई के अधीन तथा 2911 सीमा सड़क संगठन के अधीन हैं।

पूर्वोत्तर परिषद की परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2009-10 में यातायात तथा संचार के लिए पूर्वोत्तर परिषद की परियोजनाओं में 38 सड़क परियोजनाएं, 30 कुल परियोजनाएं, 6 आईएसबीटी तथा 10 हवाईअड्डा उन्नयन परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। चालू परियोजनाओं के लिए परिवहन तथा संचार क्षेत्र हेतु 450 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में तीन पुलों को पूरा कर लिया गया तथा 158.60 किमी के लिए बनावट कराई तथा 82.40 किमी का पेवमेंट तैयार किया जा चुका था। 5 जुलाई, 2008 तक लेंगपुई हवाईअड्डे के सुधार के लिए 14.92 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया था जबकि 5 करोड़ रुपये की राशि इससे पूर्व निर्धारित की जा चुकी थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10 हवाईअड्डे गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, दीमापुर, सिल्चर, तेजपुर, इंफाल, अगरतला तथा उमरोई (मेघालय) का सुधार कार्य शुरू किया जा चुका था तथा सिल्चर, डिब्रूगढ़ एवं उमरोई में विकास कार्य विभिन्न चरणों में है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिए (जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये)

❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें :.....

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर ***निदेशक, प्रकाशन विभाग*** के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-विविधता

पूर्वोत्तर भारत की जैव-विविधता का क्या महत्व है?

देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक जैव-विविधता वाला क्षेत्र है। यह हिमालय की पहाड़ियों से लेकर बाढ़ संभावित निचले मैदानों तक फैला हुआ है और इसकी पारिस्थितकीय-जलवायु परिस्थितियां ऊष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण हैं। इस क्षेत्र में 51 प्रकार के वन पाए जाते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 6 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे- ऊष्णकटिबंधीय नम क्षेत्रीय वन, ऊष्णकटिबंधीय अर्धा सदाबहार वन, ऊष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन, उप ऊष्णकटिबंधीय वन, नम क्षेत्रीय वन और अल्पाइन वन। ये क्षेत्र इंडो-मलायन और पैलेक्ट्रिक बायोजियोग्राफिक क्षेत्रों के बीच पड़ता है। इस कारण इस क्षेत्र में पर्यावरण-जलवायु प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसके चलते यहां तरह-तरह की वनस्पतियां हैं। इस क्षेत्र का जैविक स्तर बहुत ऊंचा है इसका मतलब यह है कि क्षेत्र में बहुत प्रकार की वनस्पतियां और अनोखे पशु पाए जाते हैं।

इस क्षेत्र का 1,67,000 वर्ग किमी क्षेत्र जंगलों से ढका है जहां भारत की 50 प्रतिशत वनस्पतीय नस्लें पाई जाती हैं। यहां लगभग 7,500 प्रकार के कीट-पतंगे मिलते हैं। अकेले सिक्कम में 5,000 प्रकार के फूल वाले पौधे पाए जाते हैं जिनमें से कुछ बहुत पुरानी नस्लें हैं। क्षेत्र की एक-तिहाई वनस्पतियां अनोखी हैं। उदाहरण के तौर पर कार्नीवोरस पिचर पौधे। यही नहीं कुछ अनोखे प्रकार के खट्टे फल वाले पेड़, केले, आम और धान की नस्लें इसी क्षेत्र से निकली हैं। भारत में 1,300 प्रकार के आर्किड पाए जाते हैं जिनमें से 700 किस्में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हैं। इनमें से भी 550 किस्में अकेले अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। इस क्षेत्र में देश में पाए जाने वाले कुल 136 प्रकार के बांसों में से 63 तरह के बांस उगते हैं। 28 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनमें बगैर फूल वाले पौधे शामिल हैं। अनेक जड़ी-बूटियां पाई जाती है जो औषधि बनाने और भोजन के काम आती हैं। ये क्षेत्र पशुओं की विविधता के लिए भी मशहूर है। एक अनुमान के अनुसार यहां 3,624 प्रकार के कीट-पतंगे, 236 प्रकार की मछलियां, 64 तरह के उभयचर, 137 किस्म के सरीसृप, 541 प्रकार के पक्षी तथा 160 किस्म के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कई प्रजातियां अन्यत्र दुर्लभ हैं। इनमें हूलक, गोल्डन लंगूर और कई प्रकार के बंदर, चितकबरे चीते, बर्फ़ में रहने वाले चीते, अनेक प्रकार के जीव-जंतु और चमगादड़ जैसे रात्रिचर पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले जंगली हाथियों की 33 प्रतिशत किस्में यहां मिलती है। कई प्रकार के दरियाई घोड़े, चीनी पंगोलिन अनेक प्रकार के हिरण इस क्षेत्र में मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो सिर्फ़ दुनिया के पूर्वी देशों में मिलती हैं।

इस क्षेत्र में जैव-विविधता की वर्तमान चिंताजनक बातें क्या हैं?

क्षेत्र की अनेक प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं जिन्हें लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। वन साफ करने, झूम खेती, खनन उद्योग, जंगल में लगने वाली आग, मिट्टी का कटान, अतिक्रमण, शहरीकरण, जलाशयों का लोप आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते इन प्रजातियों के रहने की जगह खत्म हो गई। उनकी नस्लें खत्म होने की आशंका पैदा हो गई और ये प्रजातियां ख़तरे वाले वर्ग में शामिल कर ली गईं।

अगर किसी प्रजाति की कम से कम आधी आबादी घट गई हो तो वो क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रजातियों के लिए ख़तरे वाला क्षेत्र मान लिया जाता है। भारत और बर्मा हॉट स्पाट पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है और यहां 25 प्रतिशत प्रजातियां ख़तरें में हैं। ये बात क्षेत्र की जैव विविधता बनाए रखने वालों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

क्षेत्र की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए क्या क़दम उठाए जा रहे हैं?

पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैव-विविधता ने इसे संरक्षण के काम में लगी दुनियाभर की एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने पूरे पूर्वी हिमालय क्षेत्र को ग्लोबल 2000 इकोरीजन की संज्ञा दी है और इसे प्राथमिकता प्रदान की है। इससे पहले भारत को दुनिया के उन 12 देशों की सूची में शामिल किया गया जो जैव-विविधता के लिए जाने जाते हैं। बाद में पूर्वी हिमालय क्षेत्र को इसका प्रमुख स्थान माना गया। इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल के कुछ इलाक़े आते हैं जिन्हें जैव-विविधता का हॉट स्पाट माना गया है। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां जैव-विविधता बहुत ज्यादा है, अनोखी किस्में पाई जाती हैं लेकिन वे विभिन्न कारणों से लोप होने के कगार पर हैं। वर्ष 2000 में इस क्षेत्र को वृहत्तर इंडो-बर्मा हॉट स्पाट क्षेत्र में शामिल किया गया। इसे दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जैव-विविधता हॉट स्पाट माना गया है। पहला स्थान मेडिटेरनियन बेसिन का है।

किसी क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय रूप से जैव-विविधता का हॉट स्पाट मानने का मतलब है कि संरक्षण कार्यों में लगी एजेंसियां उस क्षेत्र में जमकर काम करें। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर नस्लें बचाने के काम में 3 अंतरराष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजनाएं लागू की गई हैं। इनके अंतर्गत उन स्थानों और नस्लों की पहचान की गई जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। संरक्षण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और गलियारों की पहचान की गई है। असम के मैदानों और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों को पक्षियों की अनोखी किस्मों के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा पक्षियों की लुप्तप्राय नस्लों को बचाने के लिए 59 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान की गई है। विश्व वन्य जीवन प्रतिष्ठान (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने निम्नलिखित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण चिन्हित किया है- ब्रह्मपुत्र घाटी अर्द्धसदाबहार वन, पूर्वी हिमालय के चौड़ी पत्ती वाले वन, पूर्वी हिमालय के सब अल्पाइन कोनीफेरस वन और भारत-म्यामां पाइन वन। प्राथमिकता वाला पर्यावरण क्षेत्र उसे माना गया है जो तुलनात्मक रूप से ज़मीन या पानी का बड़ा क्षेत्र है और जहां

भौगोलिक रूप से स्वाभाविक तरीक़े से अनेक प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। ऐसे इलाक़ों में पर्यावरण संबधी परिस्थितियों और कार्यों में विविधता होती है। इस प्रकार के पर्यावरण क्षेत्र आमतौर पर बड़े क्षेत्र होते हैं। अत: इनके अंतर्गत उन छोटे इलाक़ों की पहचान कर ली जाती है जहां संरक्षण कार्य जोर-शोर से चलाया जाना है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने निम्नलिखित क्षेत्रों की इस दृष्टि से पहचान की है- अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी अरुणाचल का इलाक़ा, सिक्किम में खांगचेनडोंग और दार्जिलिंग, असम के काजीरंगा कर्बी अंगलोंग क्षेत्र को भी इसी वर्ग में रखा गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उदाहरण के लिए संरक्षित एवं सुदृढ़ तंत्र, जैव-विविधता संरक्षण प्राथमिकताकरण परियोजनाएं भी बनाई गई हैं जिनके अंर्तगत प्राथमिकता वाले इलाक़ों और नस्लों की पहचान की जाती है। उनके जीव वैज्ञानिक और सामाजिक आर्थिक महत्व को इसका आधार बनाया जाता है। राष्ट्रीय पैमाने पर इनके संरक्षण की कार्यनीतियां विकसित की जाती हैं।

भारत के वनस्पति शास्त्रीय सर्वेक्षण ने इंडियन रेड डाटा बुक्स प्रकाशित की हैं जिनमें दुर्लभ पौधों और लुप्तप्राय नस्लों का विवरण दिया गया है। ऊष्णकटिबंधीय वनस्पति शास्त्रीय अनुसंधान संस्थान ने भारत, भूटान और नेपाल के अनोखे पौधों वाले हॉट स्पाट की सूची प्रकाशित है। इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा नगा और मणिपुर पहाड़ियों और लुशाई-मिजो पहाड़ियों और खासी जयंतिया पहाड़ियों के विवरण शामिल किए गए हैं। बंगलुरु के फांउडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस ने इन संरक्षण अनुमानों और प्रबंधन प्राथमिकता अध्ययनों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में पाए जाने वाले औषधीय पादपों की सूची तैयार की है। इनकी संख्या 51 बताई गई है जिनमें से एक या अनेक राज्यों में 47 किस्में लोप होने के कगार पर पाई गईं। इनमें 6 ऐसी नस्लें शामिल हैं जो दुनियाभर में लुप्त हो रही है। ऐसे पौधों की 5 किस्में अरुणाचल प्रदेश में, 1 असम में, 2 मेघालय में, 2 सिक्किम में और 1-1 सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भारत ने अमरीका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर पाखुई अभयारण्य और नामेरी नेशनल पार्क की वनस्पतियों की सूची बनाई।

भारत में वे कौन-से कानून हैं जो जैव-विविधता के उद्देश्य से बनाए गए हैं?

भारत ने भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव-विविधता अधिनियम 2002, जैव-विविधता नियम 2004 आदि पारित किए हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार वाले समझौते का 1976 में सदस्य बन गया था। भारत ने जैव-विविधता वाले समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर किए थे। देश में अनेक प्रकार के संरक्षित इलाकों का तंत्र बनाया जा चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 बायोस्फीयर रिजर्व, 48 अभयारण्य, 14 राष्ट्रीय पार्क और 2 विश्व दाय स्थल हैं।

सैक्रेड ग्रोव्स किसे कहते हैं?

मेघालय, मणिपुर और नगालैंड में सैक्रेड ग्रोव्स वन हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी सैक्रेड वन खंड बनाए हैं। ये सदियों पुराने सांस्कृतिक संस्थान हैं जो वनों और जैव-विविधता की रक्षा करते हैं। स्थानीय जनता इन्हें स्थानीय देवता का निवास स्थल मानती है इसीलिए उनकी रक्षा करती है। ये ऐसे पर्यावरण तंत्र हैं जो प्राचीन वनों के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अब इस प्रकार की परंपराएं बदलते विश्वास और जीवनशैली के चलते तेज़ी से खत्म हो रही हैं। ❑

YH-12/10/11

भारत-अमरीकी संबंध नयी ऊंचाइयों पर

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारतयात्रा

● सुरेश अवस्थी

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की हाल ही में संपन्न तीन दिवसीय भारत यात्रा अनेक अर्थों में ऐतिहासिक कही जाएगी। उनकी इस यात्रा से भारत को विश्व शक्ति के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि भारत एक उभरता हुआ देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा देश है जो उभरकर विश्व रंगमंच में अपना स्थान बना चुका है। अमरीकी राष्ट्रपति की इस यात्रा से यह तस्वीर भी साफ़ होकर उभरी है कि दोनों देश अब बराबर के भागीदार हैं। भारत अब याचक देश नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, जहां से वह अन्य देशों को कुछ दे सकता है; और इन देशों में अमरीका भी शामिल है।

भारत-अमरीका संबंधों की दृष्टि से राष्ट्रपति बराक ओबामा की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही। एक समय ऐसा भी था, जब अमरीकी राष्ट्रपति तमाम देशों की यात्रा पर जाते थे, परंतु भारत नहीं आते थे। वह दौर एक दशक पूर्व समाप्त हो गया। पिछले एक दशक में अमरीका के तीन राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत आए और दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम देने की शुरुआत कर गए। उसके बाद वर्ष 2006 में आए जॉर्जबुश ने परमाणु रंगभेद का शिकार बने भारत को उबारा और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग का समझौता कर उसकी ऊर्जा सुरक्षा योजना को परवान चढ़ाया और अब नवंबर 2010 में बराक ओबामा की यात्रा से भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और स्थिति में भारी वृद्धि हुई है। श्री ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का ज़ोरदार समर्थन किया है। संसद के केंद्रीय कक्ष में करतल ध्वनि के बीच उन्होंने कहा कि अमरीका उस विस्तारित सुरक्षा परिषद की बाट जोह रहा है, जिसमें भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में विद्यमान होगा। श्री ओबामा ने न्यायपूर्ण, प्रभावी और विश्वसनीय विश्व संगठन में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारत का योगदान सराहनीय रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति ने कोपनहेगन जलवायु सम्मेलन में भी भारत की भूमिका की सराहना की।

श्री ओबामा की इस यात्रा से भारत की एक और चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए संसद सदस्यों के संबोधन में उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के शरणस्थलों को सहन नहीं किया जा सकता। उसे आतंकवादियों पर नकेल लगानी होगी और मुंबई में हुए हमलों के जिम्मेदार आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए अमरीका पाकिस्तानी नेतृत्व पर दबाव डालता रहेगा। इस बात के संकेत श्री ओबामा ने मुंबई के ताज होटल से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए दे दी थी। भारत आने से पहले ही अमरीका प्रशासन ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर प्रतीकात्मक संदेश दे दिया था। पाकिस्तान से तनाव घटाने के बारे में भी श्री ओबामा ने भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि पहले छोटे-छोटे मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। उसके बाद जब परस्पर भरोसा बन जाए तो बड़े और जटिल मुद्दों पर बात की जानी चाहिए।

अपनी भारत यात्रा के दौरान श्री ओबामा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और कतिपय अन्य रक्षा/तकनीकी संगठनों को दोहरे उपयोग वाली उच्च प्रौद्योगिकी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा कर, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया है। आशा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा लिया जाएगा। इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तीन दिनों की भारत यात्रा के औपचारिक समापन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में अमरीका ने जहां भारत को 45 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने के लिए मदद करने का वायदा किया है वहीं दोनों देश आतंकवाद से लड़ने पर भी एकमत हुए हैं। साझा बयान के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं :

- **एनएसजी :** संयुक्त वक्तव्य के अनुसार अमरीका एनएसजी (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करेगा। दो वर्ष पूर्व अमरीका ने एनएसजी से भारत पर सभी तरह की परमाणु तकनीक और ईंधन के निर्यात पर लगी रोक को हटाने में सफ़लता हासिल की थी। अब इस विशिष्ट क्लब का सदस्य बनाने के लिए समर्थन की घोषणा कर अमरीका ने भारत का मनोबल बढ़ाया है। एनएसजी का सदस्य बनने के बाद भारत इसके सदस्य देशों के साथ हर तरह का परमाणु उपकरण, तकनीकी व्यापार तथा आदान-प्रदान कर सकेगा।
- **आतंकवाद :** भारत और अमरीका ने इस बात पर सहमति जताई कि लश्करे तैयाबा सहित सभी आतंकवादी तंत्रों को समाप्त किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से कहा गया कि वह मुंबई हमलों के षड़यंत्रकारियों को सजा दिलाए। दोनों देशों ने आतंकवादियों को पहुंचने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने में क़रीबी सहयोग पर ज़ोर दिया है।
- **कृषि :** दोनों देश खाद्य सुरक्षा के लिए फ़सल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने और प्रौद्योगिकी विकास के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमत

हुए हैं। किसानों को ऐसे साधन उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो। यह सहयोग कटाई के बाद फ़सल-हानि कम करने के लिए कृषि मूल्य-शृंखला को बढ़ाने और बाज़ार संस्थानों को मज़बूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

- **दोहा वार्ता :** भारत और अमरीका ने विश्व व्यापार समझौते के लिए दोहा दौर की वार्ता को शीघ्र ही अंजाम तक पहुंचाने का आह्वान किया। दोनों देशों ने कहा कि यह विश्व अर्थव्यवस्था के पक्ष में होगा। बयान में वार्ता को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए द्विपक्षीय स्तर पर और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच बातचीत में तेज़ी लाने पर ज़ोर दिया गया है।
- **व्यापार :** विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारत और अमरीका ने व्यापार बाधाओं को दूर करने और संरक्षणवाद समाप्त करने पर ज़ोर दिया है। साथ ही वृत्तिजीवियों की आवाजाही बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। परंतु सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के मामले में समझौते पर पहुंचने के लिए किसी स्पष्ट मार्गदर्शक खाके का उल्लेख नहीं किया गया है।
- **रणनीतिक सहभागिता :** डॉ. मनमोहन सिंह और श्री ओबामा ने एक स्थायी विश्व व्यवस्था के लिए प्रभावी, कार्यश्रम, विश्वसनीय और न्यायसंगत संयुक्तराष्ट्र की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति को इस आश्वासन पर धन्यवाद दिया कि आने वाले समय में अमरीका एक ऐसी विस्तारित सुरक्षा परिषद की उम्मीद करता है जिसमें भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में मौजूद होगा।

सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी के बारे में अमरीका का समर्थन काफी महत्व रखता है। हालांकि, इसके लिए भारत को अभी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु सुरक्षा परिषद के पांच में से चार के समर्थन से भारत का पक्ष निश्चित रूप से मज़बूत हुआ है। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। चीन ने भी इस बारे में भारत से वार्ता प्रक्रिया शुरू करने की इच्छा जताई है।

भारत और अमरीका के बीच गत माह (8 नवंबर) को सहयोग के छह महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हुए। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक ईंधन पर से निर्भरता कम करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बराक ओबामा की शिखर बैठक के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते इस प्रकार हैं :

- **परमाणु ऊर्जा केंद्र :** दोनों नेताओं की शिखर बैठक में परमाणु ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने पर सहयोग हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस केंद्र के माध्यम से दोनों देश परमाणु विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जनशक्ति को मज़बूत बनाना है। भारत का परमाणु विभाग (डीएई) इस समझौते पर अमल करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीकुमार बनर्जी और अमरीका के भारत स्थित राजदूत रिमोथी रोमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस वर्ष के इस समझौते को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इस केंद्र की स्थापना की घोषणा इसी वर्ष अप्रैल में वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। अमरीका और भारत ने इस केंद्र की स्थापना में सहयोग करने की रुचि दिखाई है, क्योंकि वे विश्वव्यापी परमाणु सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना चाहते हैं। परमाणु आतंकवाद के ख़तरों से भी निपटने में इससे मदद मिलेगी।
- **शैल गैस संसाधन :** भारत में शैल गैस (चट्टानों में छिपी गैस) की खोज और आकलन तथा तकनीकी अध्ययन के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान इस समझौते में किया गया है। अमरीका के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत में शैल गैस (भूगर्भीय चट्टानों में दबी गैस) संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाएगा और भारत सरकार को इसकी सूचना दी जाएगी।
- **स्वच्छ ऊर्जा :** स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय और अमरीकी कंपनियों का संगठन बनाने के सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों के ऊर्जा से जुड़े मसलों से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषता का साझा तौर पर लाभ उठाया जाएगा। इसमें गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और उन्नत जैव ईंधन के दोहन पर भी सहयोग होगा।
- **स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान :** दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साझे तौर पर अनुसंधान करेंगे। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन और किफ़ायती ऊर्जा खपत वाले भवनों के अभिकल्पन में सहयोग किया जाएगा। इसके लिए भारत में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र में दोनों देशों के अकादमिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगी।
- **मौसम (मानसून) की भविष्यवाणी :** मानसून की वर्षा की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत तकनीक साझा करने के समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत सागरीय वायुमंडल के प्रवाह का अध्ययन कर भारत में मानसूनी वर्षा की भविष्यवाणी की जा सकेगी। इसके लिए राष्ट्रीय पर्यावरण पूर्वानुमान केंद्र में 'मानसून डेस्क' की स्थापना की जाएगी। यह डेस्क भारत और अमरीका के मौसम केंद्रों से सामंजस्य बनाकर मानसून की भविष्यवाणी करेगा।
- **रोग पहचान केंद्र :** दोनों देशों ने रोगों का पता लगाने के लिए विश्वस्तरीय केंद्र की स्थापना और उसके संचालन के लिए भी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नये संक्रामक रोगों की पहचान में तकनीकी सहयोग और भारत में प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

आज भारत अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर अमरीका को एक झटके में 50 हज़ार लोगों को रोज़गार देने की बात कह सका है। अमरीका को लग रहा है कि अगले 20 वर्षों में भारत के लोगों की क्रयशक्ति यदि वर्तमान दर से बढ़ती रही तो अमरीका के लिए भारत में सौ खरब डॉलर के निर्यात की गुंजाइश पैदा हो सकती है। भारत की आर्थिक शक्ति में इसी प्रकार से बढ़ोतरी होती रही तो निश्चित ही अमरीका के साथ भारत के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि अमरीका प्रशासन की विदेश-नीति काफी हद तक उसके उद्योग एवं व्यापार जगत की इच्छानुसार चलती है। इसीलिए राष्ट्रपति ओबामा ने भी भारत से संबंधों के महत्व को पहचानते हुए उनको प्रगाढ़ करने वाली घोषणाएं की हैं। इसका वास्तविक लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी आर्थिक शक्ति और बढ़ानी होगी। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मानव अधिकारों का समाजशास्त्र

● सरोज कुमार शुक्ल

10 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विशेष

भारत समाज एक बहुलतावादी समाज है जिसमें अनेकानेक धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग शामिल हैं। इस समाज की शक्ति इसी में है कि सभी समूहों के लोग सद्भाव के साथ रहें और एक-दूसरे के कल्याण में योगदान करें। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि सत्य पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है और प्राय: एक ही सत्य को लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से देखते व अनुभव करते हैं। यह बात ऋषियों ने बहुत पहले कही थी : *एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति*। वैदिक काल से ही भिन्न-भिन्न मार्गों से सत्य की साधना की चर्चा मिलती है। यही नहीं उस काल में यह भी कहा गया कि सभी ओर से अच्छे विचार आवें *आने भ्रदा : क्रतवो यन्तु विश्वत:*। तात्पर्य यह कि भिन्न-भिन्न विचारों और जीवनशैलियों के लिए खुलापन हमारे देश की परंपरा रही है। समाज में समरसता हो, सभी साथ-साथ चलें और आगे बढ़ें ऐसी कामना की गई, *संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्*।

भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि यहां शक, हूण, किरात, पारसी, मुसलमान अनेक जाति-प्रजाति के लोग आते रहें, समाज में घुलते-मिलते रहें और सामाजिक जीवन के अंग बन गएं। उसके परिणामस्वरूप जिस विशिष्ट समाज का ढांचा खड़ा हुआ उसमें विविधताएं आईं पर समय के साथ-साथ बदलाव भी आया। बहुत सारी प्रथाएं एक समाज से दूसरे समाज में आईं और उन्हें समादर भी मिला।

आज देश के सामने उभरती समस्याओं के बीच सबसे बड़ी समस्या पारस्परिक सद्भाव की कमी की है। इस कमी के कारण लोग एक-दूसरे पर भरोसा कम करने लगे हैं और संदेह से दूरी बढ़ती गई। पर आज भी ऐसे अवसर दिखते हैं जब किसी दरगाह या फकीर पीर की मज़ार पर या किसी सिद्ध की धुरी पर अधिकांशत: बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लोग एकत्र होते हैं। जीने की कामना सबकी एक ही तरह की है।

मनुष्य के जीवन पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाता है वह अकेले अपने आप में अधूरा और अपर्याप्त होता है। हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनका निर्माण किसी एक व्यक्ति के प्रयास का फल नहीं होता। आज की बदली परिस्थिति 'संघे शक्ति: कल युगे' को चरितार्थ करती है आदमी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। वह इस अर्थ में प्राय: अधूरा और आंशिक ही रहता है। अकेले के प्रयास से व्यक्ति बहुत आगे नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को दूसरों का सहयोग लेना ही पड़ता है। हम प्रतिदिन, दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे अनेक व्यक्तियों के सहयोग की उपज होती है। इसलिए सौहार्द केवल उच्च मानवीय मूल्य का ही नहीं एक प्राथमिक जरूरत भी है। वह इसलिए भी ज़रूरी है कि अकेला व्यक्ति अपर्याप्त रहता है।

आपसी सौहार्द व्यक्ति के समाजीकरण के लिए भी आवश्यक है। बच्चे जीवन के मूल्य परिवार, समुदाय और विद्यालय जैसी सामाजिक संस्थाओं में रह कर सीखते हैं। यह तथ्य यह संकेत देता है कि हम अन्य लोगों के ऋणी हैं। पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण की चर्चा बड़ी पुरानी है। यदि हमारे गुरुजन हमारे जीव के लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि उनकी रक्षा करें। दूसरे शब्दों में, परस्पर निर्भरता हमारे जीवन का मूल मंत्र है। वह जीवन को संभव बनाती है और उसे संचालित करती है।

आज पारस्परिकता घट रही है। हमें यह देखना चाहिए कि हज़ारों वर्षों से चले आ रहे जिस पारस्परिक शब्द की बात हम करते हैं उसके क्या आधार रहे हैं। यह तो निश्चित है कि दो भिन्न धार्मिक आचरणों के बीच अंतर हो। लोगों की जीवन पद्धति अलग-अलग हो सकती है। उनकी उपासना पद्धति अलग-अलग हो सकती है, उनके वैवाहिक और उत्तराधिकार के नियम और व्यवस्था अलग-अलग हो सकती है। इस बात को स्वीकार कर यह संबंध बनते और टिकते थे। यह आश्चर्य और खेद की बात है कि जिस समय समुदायों के बीच परस्पर रोटी और बेटी के संबंध किंचित् कड़ाई से वर्जित थे और उन्हें कोई नैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और कानूनी स्वीकृति नहीं थी। उस समय परस्पर सद्भाव सहज और स्वाभाविक था। वह किसी चर्चा या आंदोलन का विषय नहीं था। यदि हम मध्यकाल के संतों की वाणियों पर नज़र डालें तो हमें यह देखने को मिलता है कि उनके उपदेश हिंदू और तुर्क में परस्पर सद्भाव, भावनात्मक, आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर एकता को परिपुष्ट करते दिखाई पड़ते हैं। कबीर, अकबर, रामकृष्ण परहंस और विवेकानंद जाने कितने लोगों ने विभिन्न धर्मों से उत्पन्न भेदभाव और इसके अलगाववादी परिणामों को दूर करने में आजीवन संलग्न रहे। हमारी भारतीय संस्कृति के आईने में झलकती आपसी सौहार्द की रौनक तथा अंतरसंबंधों की उष्मा व्यक्ति को संकीर्ण परिधि से निकालकर

वृहत्तर समाज से जोड़ती है।

हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता के संबंधों के संदर्भ में बाबर ने हुमायूं के लिए जो वसीयतनामा लिखा था, का उल्लेख भी इस अवसर पर प्रासंगिक होगा। इसमें हुमायूं के लिए यह उपदेश दिए थे : ''हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के लोग बसते हैं। भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इस देश का बादशाह बनाया है। तुम तअस्सुब से काम न लेना; निष्पक्ष होकर न्याय करना और सभी धर्मों की भावना का ख्याल रखना। गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं, अतएव, जहां तक हो सके गोवध नहीं करवाना और किसी भी संप्रदाय की पूजा के स्थान को नष्ट नहीं करना।''

आज जब हमने समुदायों के अपने नियमों को कानून से तोड़ दिया है और रहन-सहन या रोजी-रोटी के सारे सिद्धांतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर परिभाषित किया है तब हम निरंतर देख रहे हैं कि समुदायों के बीच परस्पर सौहार्द कुछ ऐसी न पकड़ में आने वाली चीज़ बनकर रह गई है जिसे पकड़ रखना और बचाना व्यक्तियों और परिवारों का अपना काम हो गया है। और इस काम के लिए उन्हें निरंतर प्रेरणा देना समाज के प्रबुद्ध वर्ग का उत्तरदायित्व है।

आज के वैश्वीकरण के युग में भिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों के बीच परस्पर निर्भरता और भी व्यापक स्तर पर अनुभव की जा रही है। आज विश्व में एक-दूसरे देश, यदि आपस में साझेदारी न करें, सहयोग न दें तो बहुत सारे लक्ष्य पाए न जा सकेंगे। इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि आज विश्व के सामने जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर अकेले कोई देश नहीं दे सकता। स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक विकास, प्रत्येक प्रश्न का समाधान एक व्यापक समझदारी, भागीदारी और दायित्व भावना की अपेक्षा करता है। भविष्य उसी का होगा जो पारस्परिकता का पोषण करेगा। अलग-थलग पड़े अकेले मनुष्य के लिए न अपना जीवन संभव होगा और न वह समाज के लिए ही कुछ कर सकेगा।

मानव जीवन की अवस्थाएं पशु से भिन्न हैं। पशु का बच्चा पैदा होते ही दौड़ पड़ता है, मानव शिशु को यदि माता-पिता की स्नेह-छाया न मिले तो वह जीवन से ही महरूम हो जाए। अस्तित्व हमारा बना हुआ है, यह इसका प्रमाण है कि समाज में सौहार्द की चेतना विद्यमान है, मानवता मरी नहीं है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हम भारतीय परंपरा के वारिस हैं। इस अनुभूति के साथ हमारा यह दायित्व बनता है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। मानवीय गुणों को और अधिक समृद्ध करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम इस मानवीय प्रतिबद्धता को जीवंत रखें। आज निहित स्वार्थ के वशीभूत लोग समाज, वर्ग, जाति, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, और सामाजिक संतुलन को ढहाते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वे अपने इस कुकृत्य से अपने तथा समाज से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने और समाज के जीवन से। समग्र जीवन को समझने, जानने और पहचानने की दृष्टि जो हमें परिपूर्ण करती है तथा हमसे अपेक्षा करती है कि हम सबके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें।

हम यह ध्यान से देखें तो पिछले दिनों भारत में भी और भारत के बाहर भी राज्य व्यवस्था और प्रबुद्ध वर्ग के ऊपर के कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं इसे यों कहा जाए ऐसी जिम्मेदारियां उन्होंने अपना ली हैं जो पहले उनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण स्वयं प्रबुद्ध वर्ग के भीतर एक दुविधा का होना मौजूद है। समाज विरोधी और आतंकवादी कार्रवाइयों को धार्मिक कार्य घोषित कर और उसे एक अंतरराष्ट्रीय चरित्र देकर आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी चुनौती समस्त संसार के सामने उपस्थित की है। इनकी इस सैद्धांतिक स्थिति को जाने-अनजाने एक आंतरिक स्वीकृति भी मिली है जिस नाते बहुत सारा वैमनस्य और विद्वेष जो पश्चिम के इतिहास में मौजूद था किंतु अतीत की वस्तु बन चुका था पुन: नाम-रूप बदलकर सामने आया। उदाहरण के लिए पश्चिम में नस्ल और धार्मिक विश्वास के आधार पर बने समुदायों में परस्पर टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। यहूदियों के प्रति असहिष्णुता और क्रूसेड के युद्ध उस इतिहास के अंग रहे हैं किंतु समय के साथ विशेषत: द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका के बाद पश्चिमी विचारक वर्ग में एक उदारवादी चिंतन का वर्चस्व रहा है जिसमें इन आधारों पर बने वैमनस्य और विद्वेष को अस्वीकृत किया गया।

उदारवाद को एक मानवीय मूल्य के रूप में स्वीकृति भी मिली है और इसके प्रसार के लिए सचेत प्रयास भी किए गए हैं। इन प्रयासों की बुनियादी कमी यह थी कि इन्होंने संसार के उन सभी समाजों को पिछड़ा हुआ माना जिसमें पश्चिमी समाज के मूल्य ज्यों-के-त्यों स्वीकार्य नहीं थे या यूं कहें कि इन मूल्यों का कोई वैकल्पिक स्वरूप स्वीकृत था। भारत में तेजी से बढ़ते हुए शहर, उद्योग और अर्थव्यवस्था में काफी बढ़त हासिल करने के लिए तो प्रयत्नशील रहे लेकिन इस प्रक्रिया में सामाजिक सहजीवन की पारंपरिक बुनावट भुला दी जाती रही। अब लोगों के संबंध व्यक्तिगत मैत्री और वैयक्तिक आवश्यकताओं के बल पर पूरी तरह टिके हुए हैं। उन्हें कुछ व्यक्तियों के बारे में मालूम है किंतु जिन समुदायों से वह व्यक्ति आते हैं उनमें उनका कोई परिचय नहीं रह जाता। इसलिए किसी समुदाय के बारे में आसानी से एक ऐसी राय कायम कर सकते हैं जिसको कायम करने के लिए उस समुदाय से उन्होंने कोई संबंध नहीं बनाया है, अपितु जो केवल विविध प्रकार के मीडिया द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। इस प्रकार कहीं कुछ भी असंगत और अनुचित घटित होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनुचित घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों तक ना रहकर उन समुदायों तक फैल जाती है जिनसे वे व्यक्ति आते हैं। यहां शायद हम पैगंबर मुहम्मद साहब के इन वाक्यों का स्मरण कर सकते हैं– "ज्ञान अर्जित कीजिए। यह अच्छे और बुरे में फर्क़ सिखाता है, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है, दुख के क्षणों में यही हमारा मित्र है, जिसके मित्र नहीं– यह उनका मित्र है, यह खुशहाली का मार्ग दिखाता है, दुख में यह हमारा साथी है, यह मित्रों में हमारी शोभा और शत्रुओं से रक्षा करने में हमारी ढाल है।''

इस प्रकार ज्ञान अर्जित न करने के नारों और दूसरों के बारे में जानकारी न होने के नाते आतंकवाद इस्लामी आतंकवाद के नाम से परिचित हो जाता है। यदि आतंकवादी अपने कारनामे को धार्मिक आधार पर उचित ठहराते है तो उनकी इस स्थापना को कुछ इस तरह लिया जाता है जैसा कि वे सही कह रहे हों और उन धार्मिक आधारों पर वस्तुत: पारंपरिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है। इस समझ के नाते व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंध तो नहीं प्रभावित होते क्योंकि इन व्यक्तिगत संबंधों को अपने अनुभवों के आधार पर और अपने परिवेश के ऊपर गढ़ा गया होता है। किंतु समुदाय के प्रति निष्कर्ष निकालने में यह सहायक सिद्ध होता है और यह मान लिया जाता है कुछ व्यक्ति जो हमारे परिचय के क्षेत्र में भले ही उसी प्रकार के मनुष्य हैं जिस प्रकार के हम स्वयं हैं किंतु एक समुदाय के रूप में उनका चरित्र भिन्न है। वस्तुत: ईसा मसीह का यह वाक्य समुदायों के बारे में भी पूर्णतया सत्य है– ''दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप उनसे अपने लिए अपेक्षा करते हैं।''

समुदायों के बीच इस प्रकार अज्ञान के फलस्वरूप परस्पर अविश्वास पनपता है। इन अविश्वासों को कम करने के जो उपाय अपनाए जाते हैं उनके पीछे भी समुदायों की समझ काम नहीं करती क्योंकि जिन लोगों द्वारा यह उपाय सुझाए जाते हैं उनका स्वयं का परिचय समुदायों से नहीं होता। अत: उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगे को हम आसानी से दो संप्रदायों के बीच की लड़ाई मान लेते हैं या ठहरा देते हैं जबकि सच्चाई यह है कि इनमें दोनों ही पक्ष अपने हिंसात्मक कार्य के लिए सांप्रदायिक पहचान को केवल एक आड़ के रूप में शामिल करते हैं। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक दंगे के थमने के बाद हम लगभग उसी सहजीवन पर वापस लौटने में सक्षम नहीं हो पाते। जिन मानवीय उदाहरणों को प्रत्येक दंगों में सुर्खियां मिलती हैं कि किस प्रकार एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की विपत्ति में सहायता की ऐसी ख़बरें भी हमारे सामने न होती।

यह सच है कि समय के साथ-साथ विभिन्न समुदायों के बीच आपसी रिश्ते छिन्न हो रहे हैं और एक-दूसरे की सामुदायिक और सांप्रदायिक पहचान को स्वीकार किया जा रहा है। हम यह जानने का कोई प्रयास नहीं करते कि जिन समुदायों और संप्रदायों के बारे में हम राय बना रहे हैं वे वस्तुत: क्या हैं और स्थानीय स्तर पर उनका क्या इतिहास रहा है।

हम समुदायों को तो उनके वैश्विक संदर्भ के आधार पर जानते समझते हैं और व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत आधार पर समुदायों के स्थानीय स्वरूप और चरित्र से अपरिचित होने के नाते हम समुदायों के प्रति दूर से ली गई ऐसी सामग्री पर निर्भर होते हैं जिनका हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक स्मृति से कोई संबंध नहीं होता। स्थानीय संबंधों के इस क्षरण के परिणाम केवल सामुदायिक सद्भाव तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य विभिन्नताओं की स्वीकृति भी घटती जा रही है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक भोजन और पारंपरिक उपासना पद्धति को अपनाता है तो आसानी से यह मान लिया जाता है कि वह समकालीन समय के उन्नत मूल्यों के साथ संगत नहीं है। वास्तविकता यह है कि मूल्यों में रहन-सहन में तथा सामाजिक आचरण में किसी भी प्रकार की एकरूपता ले आने के सारे प्रयास एक ही जीवन पद्धति को सभी परलागू करने के प्रयास बन जाते हैं और ऐसे सभी प्रयास बहुत सारी विषमताओं, कुंठाओं और विरोध के जन्मदाता होते हैं।

सांस्कृतिक विविधता, व्यवहार और आचरण की बहुलता और आचरण तथा उपासना पद्धति के वैकल्पिक स्वरूपों की स्वीकृति सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियादी शर्त है।

इस बहुलता और वैकल्पिकता की स्वीकृति के लिए स्थानीय स्तर पर समुदायों में परस्पर संबंध के विकास की चेष्टा भी आवश्यक है। स्थानीय का विलोपन धीरे-धीरे व्यक्ति और राज्य के बीच किसी भी इकाई को नहीं रहने देता है। तब संकट में पड़े व्यक्ति के लिए एक समुदाय का समर्थन कम हो जाता है। निजी स्तर पर दूरियां बढ़ती जाती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय तर्कों के आधार पर स्थानीय इतिहास और भूगोल के भरोसे स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक बुनावट को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को और प्रगाढ़ तथा मज़बूत बनाने की ओर अग्रसर हों। जरथुष्ट्र ने कहा था :

''पूजा के हज़ारों मंदिरों का निर्माण करने से ज्यादा अच्छा है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को खुशी दे सकें।''

बाहर के थोपे गए उपदेश, कानून और उचित और अनुचित के बीच का विवेक एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है। किंतु इस बात का इतिहास गवाह है कि जिस विवेक और प्रेमभाव को स्थानीय परिचय और स्थानीय बनावट का समर्थन नहीं हासिल है उसकी नींव कमज़ोर होती है और एक मामूली उलट-फेर से उसका समाजशास्त्र बिगड़ सकता है। प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य बिठाकर सम्मानित जीवन जीने के मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार की भावनात्मक गूंज से निकली कविवर रवींद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां संपूर्ण मानव जाति का सबब बन सकती हैं :

मैं जीना चाहता हूं
इंसानों की फौज के बीच में
मैं जीना चाहता हूं
उगते सूरज की फूटती किरणों के बीच में
सुंदरता और सुगंध के बीच में
मेरी इच्छा है काश मिल जाए
मुझे थोड़ी-सी जगह जीने वालों के दिलों
के बीच में।

❑

(लेखक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नयी दिल्ली में सहायक निदेशक हैं।
ई-मेल : shuklanhrc@yahoo.com)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

F.A.C.E.

Forum for Academic Cognizance & Endeavour

We made an effort to discover the root cause of corrupt & depraved bureaucracy by conducting a survey at a large scale. It was found that while studying, whatever the students get from the society or the nation, they return the same thing back to the society and the nation after becoming a bureaucrat. We cant deny the fact that the students get robbed of in lakhs by the coaching institutions, the house-owners etc. and they get exploited at almost every stage. This very exploitation by the society is the main reason for it to get exploited in turn.

Keeping this in mind, we've taken a vow to provide quality education ABSOLUTELY FREE to the students. We want to ensure that education doesn't end up becoming a synonym for business, rather it stands for its quality of being objective and purposeful. We do believe that every student is poor and if society & the nation offer some help in their preparation for civil services, they after being selected will surely be committed, duty-bound and responsible towards the society & the nation.

SELECTION PROCEDURE:

2000(1000 hindi medium & 1000 english medium each)students will the chosen from all over the country with the help of a test. After that, they'll have to go through an interview from which we'll select 1000 students(500+500) making a batch of 300 students for regular course in which each student will be provided ABSOLUTELY FREE education as well as SCHOLARSHIP of Rs. 2000/- and the rest 700 students will be awarded scholarship and will be provided correspondence course.

FREE
IAS
COACHING
and
SCHOLARSHIP

- Absolutely free education, study material and guidance
- Scholarship is given to all the selected students
- Faculty of the highest repute and experience for the most effective coaching
- Unique MSW method of teaching
- Based on new C-SAT syllabus

vatsa foundation

SEPARATE BATCH FOR HINDI MEDIUM

AN INITIATIVE OF VATSA FOUNDATION
For more info visit www.vatsafoundation.com
E-mail: info@vatsafoundation.com
Phone # 011 6502 7228, 3231 8585
+91 91364 58577
Address: 110, A-31-34, Jaina Ext.,Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009.

forms can be downloaded from www.vatsafoundation.com

YH-12/10/8

फ़सल वाले तालाब

● रंजन के पंडा

खाद्य सुरक्षा के लिए जल सुरक्षा आवश्यक है और लुथू तथा उनके साथी ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक उदाहरण पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा

ओडिशा एक खेतिहर राज्य है और वह इस समय फ़सल की बीमारियों से भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ है। जहां तीन हज़ार से ज्यादा किसान पिछले दशक के दौरान आत्महत्या कर चुके हैं, वहीं हाल के वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या अभूतपूर्व तरीक़े से बढ़ी है। इससे सरकार और कृषक जगत के सामने एक नयी समस्या खड़ी हो गई है। सरकार ने किसानों को इस मुसीबत से बचाने के कई उपायों का ऐलान किया है, वहीं कृषक समुदाय भी इस बुराई से निपटने के तौर-तरीक़े ढूंढने में लगा हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि राज्य का हर व्यक्ति धोखेबाज़ मानसून से फैली व्यापक तबाही को बढ़ता देख परेशान है। पिछले साल बुआई के समय बारिश किसानों को धोखा दे गई और बारिश न होने के चलते गर्मी बढ़ी जिससे फ़सलों पर कीड़े-मकोड़े रेंगते और अपनी संख्या बढ़ाते नज़र आए। ये कीड़े खड़ी फ़सलों पर उसी समय हर साल हमला करते हैं लेकिन बारिश के चलते उन्हें भागना पड़ता है। पिछले साल वर्षा न होने से गर्मी बढ़ गया जिससे कीड़े-मकोड़ों को बने रहने और संख्या वृद्धि करने का अनुकूल और लंबा मौका मिल गया और वे खड़ी फ़सलों को काफ़ी हद तक चट कर गए। इससे किसानों की कर्ज़दारी बढ़ी और वे आत्महत्या करने को मज़बूर हो गए।

पिछले साल राज्य के संबलपुर ज़िले का रेंगाली ब्लॉक तब ख़बरों में आया जब वहां के किसानों द्वारा आत्महत्या के समाचार आने लगे। इस ब्लॉक के दो किसान अपनी कोशिशों में क़ामयाब हो गए लेकिन कुसुमडीही का सुरेंद्र धुरुआ अपने प्राण लेने में विफ़ल रहा। वर्षा न होने और कीड़े-मकोड़ों के बढ़ने के कारण उसकी सारी फ़सलें बरबाद हो गई। उसे आशंका थी कि वे साहूकार उसे परेशान करेंगे जिनसे उसने 13 हज़ार रुपये खेती में लगाने के लिए उधार लिए थे। उसने वह कीटनाशक दवा पी ली जो वह अपनी फ़सलों को कीड़ों से बचाने के लिए लाया था। उसके गांव के क़रीब खपसाडेरा का बिडू किसान उतना खुशकिस्मत नहीं रहा। उसने भी कीटनाशक दवा पी ली और उसकी जान चली गई। गुलामल गांव के बलराम भोई ने भी ऐसा ही किया। उसका गांव भी सुरेंद्र के गांव के पास ही है। संबलपुर विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर, आर्तबंधु मिश्रा जो राज्य के जाने-माने पर्यावरणविद् भी हैं, ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर साल मानसून धोखा दे रहा है और इस प्रकार की बातें पिछले दस वर्षों के दौरान नियमित रूप से सुनी जा रही हैं। दरअसल, ओडिशा के कृषिमंत्री भी ऐसी बाते कह चुके हैं।

आशा की एक किरण

लेकिन उसी गांव में एक सकारात्मक उदाहरण भी है। 57 वर्षीय लुथू मिर्धा ने सूखे की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए अपनी परंपरा का इस्तेमाल किया। एक स्थानीय एनजीओ 'मास' की मदद से उन्होंने जल संचयन का क्रांतिकारी तरीक़ा सीखा और उसका आप-पास के गांवों में प्रचार भी किया। लुथू ने कहा कि वर्षा जल संचयन का महत्व मैं महसूस कर चुका हूं और

मास की सहायता से सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान मेरे लिए एक फ़सल वाला तालाब खोदने में सहायक बना। मास के सामुदायिक व्यवस्थापक मनोरंजन सेठ के अनुसार, लुथू हमेशा एक रचनात्मक किसान रहा है और वह नयी आजमाइश करने को हमेशा तैयार रहता है। हमने उसे जैविक खेती और किचन गार्डन में सब्ज़ियां उगाने का प्रशिक्षण दिया जिसे उसने लगन के साथ सीखा। अब वह अपने परिवार के लिए पूरे साल की सब्ज़ी अपने घर के पिछवाड़े उगाने में समर्थ है। मास नाम का यह एनजीओ ओडिशा के उन पश्चिमी ज़िलों में काम कर रहा है जहां अक़्सर सूखा पड़ता है।

राज्य के संबलपुर ज़िले के कुसुमडीही में अधिकांश जनजातीय लोग रहते हैं। जिला मुख्यालय से क़रीब 40 किलोमीटर दूर स्थित गांवों में लगभग 180 परिवार रहते हैं जो मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादातर लोग छोटे अथवा कम जोत वाले किसान हैं और वे अपने खेतों में धान, मक्का, दलहन और सब्ज़ियों की खेती करते हैं। कुछ परिवारों के लोग द्वितीयक व्यवसाय के रूप में जंगलों से लकड़ी इकठ्ठा करके बेचते हैं। एक स्थानीय कार्यकर्ता दुर्गा बाघ जो इस इलाक़े की खेती की स्थिति पर पैनी नज़र रखता रहा है ने कहा कि इस इलाक़े के लोग खेती पर निर्भर हैं और उनकी हालत साल-दर-साल ख़राब होती जा रही है। सौभाग्य की बात है कि इन परिवारों की अधिकांश महिलाएं बीड़ी बनाने के व्यवसाय में लगी हुई हैं जिससे उनका गुज़ारा चल जाता है वरना इस क्षेत्र में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत बढ़ सकती थी।

लुथू एक छोटा किसान और बुजुर्ग आदमी है लेकिन अपने गांव में प्रगतिशील किसान के रूप में मशहूर है। सेठ ने उसके बारे में कहा कि वो हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता है और फ़सल वाला जलाशय तैयार करने के लिए उसे समझाने में ज्यादा दिक्क़त नहीं हुई। इस काम के लिए मास ने एक मॉडल पेश किया है जिसके लिए पहले लोगों को चंदा देने और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए राज़ी होना पड़ता है। सेठ ने कहा कि हमारा संगठन लोगों को नये अभियान में पूरी तरह शामिल करने में विश्वास करता है। हमें सरकारी अनुदान मिले या न मिले लेकिन पहले लोगों को अभियान के लाभों के प्रति आश्वस्त करना होता है। हमें पहले उन्हें भरोसे में लेना और आश्वस्त करना होता है कि परियोजना के पूरा होने पर उन्हें लाभ होगा। आश्वस्त हो जाने पर वे बताए गए तरीक़े से काम ही नहीं करते बल्कि कोशिशों को लगातार आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2008 में आयोजित एक ग्रामीण बैठक में परंपरागत वर्षा जल संचयन के लिए बनाए जाने वाले ढांचों पर विचार किया गया। इसके बारे में बताते हुए दुर्गा बाघ ने कहा कि हमारे पुरखे इस काम के लिए तालाब, जोहड़, मूड़े और चहला खोदते रहे हैं। आज़ादी मिलने के बाद से समय बदल गया और इस तरह की सभी संरचनाएं ग्राम पंचायतों के हवाले कर दी गईं। पहले हम जिन जलाशयों का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे उनसे और भी काम लिए जाने लगे और इन तालाबों को मछली पालन के लिए ठेके पर दिया जाने लगा। नतीज़ा यह हुआ कि गांव के कुछ रसूख वाले दबंग लोगों ने इन्हें पट्टे पर ले लिया और इससे जो लाभ पूरे गांव को मिलता था, अब वह चंद लोगों की जेबों में जाने लगा।

लुथू और उनके साथी ग्रामवासियों ने वर्षा जल संचयन की परंपरागत शैली फिर से ज़िंदा करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई। साथ ही उन्होंने फ़सल वाले जलाशय भी तैयार करने का फ़ैसला किया। 11 किसान इस प्रस्ताव से सहमत हुए और इसके साथ गांव में एक नये युग की शुरुआत हो गई। लुथू ने वैसा सूखा पहले कभी नहीं देखा था, जिसने पिछले दिनों उन्हें और उनके ग्रामवासियों को हिलाकर रख दिया था। इसके बारे में बताते हुए दुर्गा ने कहा कि इन गांवों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं और सरकार हमारे ब्लॉक में सिंचाई की छोटी परियोजनाएं शुरू करने पर ध्यान नहीं देती। लेकिन लोगों को अपनी फ़सलें बचाने के लिए ऐसे साधनों की सख़्त ज़रूरत है। अब जबकि मानसून बार-बार धोखा देने लगा है। वर्षा जल संचयन के इन साधनों का महत्व बढ़ गया है। इनके जरिये लोग अपनी फ़सलों को बचाने के लिए कुछ पानी तो सुरक्षित रख ही सकते हैं और इस पानी से वे कुछ फ़सलें उगा सकते हैं जिनसे ज्यादा नहीं तो उनके परिवारों का गुज़र-बसर हो सकता है।

तब से दो साल बीत चुके हैं और इस गांव में स्थित 11 फ़सल वाले तालाबों ने अकसर पड़ने वाले सूखे से ग्रामवासियों की कम-से-कम 80 एकड़ ज़मीन को बचाने में मदद की है। फ़सल वाले तालाबों की परियोजना से लाभ उठा चुके एक और बुजुर्ग व्यक्ति उद्धव किसान ने कहा कि जलाशयों में इकट्ठा किए गए पानी का सही इस्तेमाल करके हम धान और मक्के की फ़सल उगा लेते हैं। भले ही पिछले वर्षों के दौरान बारिश कम हुई और इस साल भी काफ़ी नहीं हुई जिसके चलते हम सालभर इस्तेमाल के लिए काफ़ी वर्षा जल संचयन नहीं कर पाए, लेकिन हमारी फ़सलें बच गई हैं और दूसरे किसानों की तरह हम लोग आत्महत्या करने को मज़बूर नहीं हुए।

इन किसानों को जो क़ामयाबी मिली, उसके चलते राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत फ़सल वाले तालाब बनाने की मांग होने लगी है। लेकिन अभी इस दिशा में अच्छी क़ामयाबी नहीं मिली। सेठ ने कहा कि मास जैसे संगठन इस दिशा में सुविधा देने वालों की भूमिका निभा सकते हैं। हमने जितनी मदद की है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और वैसे भी हम यहां लोगों को इस हालात में पहुंचाने की इच्छा लेकर आए हैं कि वे अपनी मदद खुद कर सकें और हमेशा के लिए हम पर निर्भर न रहें। हमने उनकी सहायता की है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्यों की मांग करें ताकि ज्यादा तालाब खोदे जा सकें और ग्रामवासियों के लिए साझा जल संरचानाएं फिर से बनाई जा सके।

एक और सक्रिय कार्यकर्ता राजकिशोर मिश्रा का कहना है कि ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को मुश्किलों से बचाने के लिए कम से कम पांच लाख जलाशय खोदे जाएंगे लेकिन इस अभियान को तेज़ करने की ज़रूरत है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल सुरक्षा आवश्यक है और लुथू तथा उनके साथी ग्रामवासियों ने जो अच्छे उदाहरण पेश किए हैं उन पर गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। अगर राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती मुसीबतों का सामना कर रहे किसानों का मदद करना चाहती है तो उसे इन प्रायासों में सहयोग करना होगा। ❑

(लेखक वाटर इनीशीएटिव ओडिशा के संयोजक हैं और स्वतंत्र शोध लेखक भी हैं।
ई-मेल : ranjanpanda@yahoo.com)

विकलांग व्यक्तियों हेतु बहुपयोगी बैसाखी

● राकेश कुमार पात्र

जब भी कोई विकलांग व्यक्ति बैसाखियों के सहारे चलता हुआ थका हुआ महसूस करता है और आराम करना चाहता है तो बैठने के लिए जगह ढूंढ पाना आसान नहीं होता। ओडिशा के नयागढ़ के राकेश कुमार पात्र ने इसका एक हल सोचा है। उसने एक ऐसी बैसाखी बनाई है जिसमें एक मुड़वां (फोल्डेबल) सीट, एक हेडलाइट, एक अलार्म और एक ऐसा स्टैंड लगा हुआ है जिसमें छाता भी रखा जा सके।

राकेश का संबंध एक व्यवसायी परिवार से है। वह अपने माता-पिता, भाई और बहन के साथ रहता है। वह अपने गांव के विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मंदिर, नदी और वनों वाले अपने गांव का वातावरण उसे बहुत पसंद है।

राकेश में आविष्कारक के कुछ गुण समाए हुए है। नये-नये उत्पादों को तैयार करने के उसके प्रयासों में उसके चाचा उसे रास्ता दिखाते हैं। उसके पिता, यद्यपि उसके प्रयोगों के विरुद्ध नहीं है, परंतु वे चाहते हैं कि राकेश पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान दें। उसने जब विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बैसाखी बनाई थी, उस समय वह सातवीं कक्षा में पढ़ता था।

संवेदनशील बालक होने के नाते राकेश अनेक सामाजिक विषयों को लेकर परेशान रहता है। वह गांव में शराब की बिक्री को लेकर दुखी है। वह इस बात से चिंतित है कि उसके विद्यालय में कोई पुस्तकालय अथवा विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है। परंतु सबसे अधिक वह विकलांगों के बारे में सोच-सोचकर परेशान रहता है।

उत्पत्ति

राकेश ने देखा कि उसके गांव के विकलांग व्यक्ति धूप, बरसात और रात के अंधेरे में चलने में काफी कठिनाई महसूस करते थे। उसे लगता था कि जब भी वे थक जाते होंगे और नीचे बैठना चाहते होंगे, उन्हें बहुत दिक्क़त होती होगी। उनका ज़मीन पर बैठना संभव नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होने के बाद फिर वे आसानी से पांवों पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा अंधेरे में देखना और चलना भी बहुत कठिन होता है। इन परिस्थितियों ने राकेश को गहरे सोच में डाल दिया और इसी उधेड़बुन में उसके दिमाग में बहुपयोगी बैसाखी के विचार ने जन्म लिया। एक ऐसी बैसाखी, जिसमें प्रकाश और ध्वनि का स्रोत हो, बैठने की व्यवस्था हो और साथ ही एक संकेतक भी लगा हो।

अपने इस विचार के बारे में उसने गोकलपुर एम.ई. विद्यालय के अपने शिक्षक गोपीनाथ प्रधान से चर्चा की और उनकी सहायता मांगी। एक स्थानीय बढ़ई ने बैसाखी के लिए लकड़ी का ढांचा तैयार किया। इसमें अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने में राकेश को एक साल लग गया और वर्ष 2003 में वह उसे तैयार कर सका।

नवाचार

बैसाखी में अनेक प्रकार के बहुपयोगी विकल्प हैं। हल्की लकड़ी से बने इसके फ्रेम में एक बर्जर (घंटी), एक चमकदार रोशनी, एक सीट और छाते के लिए एक स्टैंड लगा हुआ है। इन सब अतिरिक्त विशेषताओं के बावजूद कोई भी व्यक्ति इसे आराम से लेकर चल सकता है।

बाज़ार में सीट वाली बैसाखियां पहले से मौजूद हैं। परंतु उनमें बैठने की व्यवस्था के लिए बैसाखी के दोनों हिस्सों का उपयोग किया गया है, जबकि राकेश की बैसाखी में सीट और अन्य सुविधाएं एक ही पांव वाली बैसाखी में मुहैया कराई गई हैं। गूंगे व्यक्ति के लिए राकेश की बैसाखी में बैटरी वाली घंटी लगी है, जो सड़क पार करते समय बजाई जा सकती है। यह घंटी राहगीरों और वाहन चालकों को सावधान कर सकती है। रात में उपयोग के लिए बैसाखी के ऊपरी भाग में एक लाइट (रोशनी) लगी है और निचले हिस्से में संकेत के लिए एक लाल बल्ब लगा है। नौ-वोल्ट की एक बैटरी इन सभी परिपथों को ऊर्जा प्रदान करती है।

इस्तेमालकर्ता आराम करने के लिए सीट को खोल सकता है और इस्तेमाल के बाद उसे वापस मोड़ सकता है। बैसाखी की बगल में एक स्टैंड बना हुआ है जिसमें फोल्डिंग छाता रखा जा सकता है। धूप और बारिश में बाहर जाते समय छाते को खोलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बैठे-बैठे भी छाते का इस्तेमाल हो सकता है। ❑

HOME LIBRARY SCHEME

A call for book lovers to become life members under the Scheme

Main features of the scheme :

1. Life membership fee is Rs.100 (non-refundable).
2. Three-year subscribers of any of the Division's journals will get 50% concession and will pay only Rs.50 as membership fee.
3. 20% discount on purchase of books worth Rs.100 or more (after discount).
4, On purchase of books worth Rs.500 or more (after discount) in a year, members will get in-house books/journals worth Rs.25 free.
5. A catalogue of Publications Division's books will be given free of cost to all members.
6. The scheme is operational within geographical boundaries of India only on a pilot basis.
7. Publications Division reserves the right to terminate the scheme any time by giving one month's notice through advertisement in newspapers.

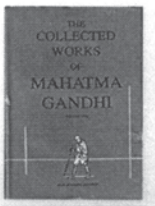

For membership form and any other query please contact:
Business Manager
Publications Division
Soochna Bhawan, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003

Tel:011-24365610, 011-24367260
FAX: 011-24365609
e-mail: dpd@sb.nic.in, dpd@mail.nic.in
website: www.publicationsdivision.nic.in

DPD / HL - 1 / 08

निजी क्षेत्र में विकलांगों के लिए रोज़गार

● विनोद कुमार मिश्र

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल आबादी का 3 प्रतिशत विकलांगता का शिकार है। यदि इनके परिवारजनों जो इनसे प्रभावित होते हैं को जोड़ा जाए तो यह संख्या दस प्रतिशत को पार कर जाती है। आबादी के इतने बड़े हिस्से के लिए सरकार व समाज को जगाना ही होगा

आज़ादी के समय देश में निजी क्षेत्र अत्यंत कमज़ोर था। चंद ब्रिटिश कंपनियां देश में प्रमुख व्यवसाय जैसे– खनिज तेल वितरण आदि कर रही थीं। उसका भारत सरकार ने आसानी से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। देश में टाटा और बिड़ला दो ही बड़े औद्योगिक घराने थे जो बड़ा व्यवसाय कर सकते थे और कर रहे थे। औद्योगिक विस्तार की उनकी क्षमता नगण्य थी। अन्य औद्योगिक घराने कुछ व्यावसायिक रूप से परिपक्व नहीं थे।

यही कारण था कि कुछ विवशतावश और कुछ सोवियत संघ की प्रगति से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पूरे देश में सार्वजनिक उद्यमों का जाल बिछाया। इन उद्योगों में भारत सरकार का बेतहाशा धन लगा पर साथ ही बड़ी संख्या में रोज़गारों का भी सृजन हुआ। विशेष बात यह रही कि कमज़ोर वर्गों को भी काफ़ी अवसर मिले। अनुसूचित जातियों को तो अवसर मिले ही आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को भी काफ़ी अवसर मिले। ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों के लोग भी राष्ट्र व प्रगति की मुख्यधारा में आने लगे।

3 दिसंबर, विश्व विकलांग दिवस पर विशेष

विकलांगजनों के प्रति सरकार की सोच देर से बदली। पहले तीस वर्षों तक सरकार यही मानती रही कि विकलांगजन रोज़गार योग्य नहीं है और उनको केवल सहायता देकर ही जीवनयापन योग्य बनाया जा सकता है। वर्ष 1977 में तत्कालीन सरकार के शासनकाल में ही विकलांगों को 'सी' व 'डी' वर्ग के निर्धारित पदों पर तीन प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान एक शासनादेश के अंतर्गत था और इसकी कानूनी शक्ति नगण्य थी पर फिर भी सरकारी क्षेत्र व सार्वजनिक उद्यमों में विकलांगों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। अनेक विकलांगजन इसका सहारा लेकर तो कुछ अपनी योग्यता के बल पर उच्च पदों तक पहुंच गए। इसके बीस वर्ष बाद (आज़ादी के 50 वर्ष बाद) 'ए' व 'बी' वर्ग की सेवाओं में भी विकलांगों के लिए द्वार खुल गए। विकलांगों को आरक्षण की कानूनी चादर भी प्राप्त हो गई।

निजी क्षेत्र में असाधारण प्रगति

वर्ष 1990 के दशक के आते-आते सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यम बीमार हो गए। देश की उच्च कोटि की प्रतिभा के सार्वजनिक क्षेत्र में जाने के बावजूद सरकारी नीतियों व हस्तक्षेप के कारण अधिकतर सार्वजनिक उद्यमों का घाटा इस क़दर बढ़ गया कि वह सरकार द्वारा लगाई गई अंश पूंजी को भी खा गई।

दूसरी ओर पहले देश में अरबपतियों की सूची लंबी हुई और फिर खरबपतियों की सूची भी लंबी हुई। ये धनकुबेर न केवल धन संपन्न थे वरन उच्च शिक्षा प्राप्त भी थे। उन्हें व्यावसायिक अनुभव भी था और इनमें आगे बढ़ने और अपने औद्योगिक साम्राज्य के चहुं दिशाओं में विकास की बढ़ती ललक भी थी। इन लोगों ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नये-नये उद्योग लगाए और व्यावसायिक गतिविधियों का असाधारण विस्तार किया। इनमें से अनेक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी निवेश किया और कुछ तो इनके मालिक भी बन बैठे।

आज वास्तविकता यह है कि निजी क्षेत्र असाधारण रूप से शक्तिसंपन्न है और इसका निर्माणक्षेत्र, सेवाक्षेत्र, खुदरा व्यापार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा कब्ज़ा है। यही नहीं यह क्षेत्र अधिक संगठित भी है। इनके प्रमुख संगठन जैसे– फिक्की, एसोचैम, सीआईआई आदि अधिक संगठित हैं। ये इतने सशक्त हैं कि सरकार इनकी राय लिए बगैर औद्योगिक या व्यावसायिक क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है।

इस समय देश में निम्न क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रगति हो रही है :

- ऑटोमोबाइल तथा इनके पुर्जों का निर्माण।
- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर।
- वस्त्र निर्माण तथा सिले-सिलाए वस्त्र।
- चमड़ा व चमड़े के सामानों का उत्पादन।
- रसायन व औषधि निर्माण।
- जेवरात व जवाहरात निर्माण।
- भवन व अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
- हथकरघा व दस्तकारी उद्योग।
- भवननिर्माण व घरों की साज-सज्जा।
- सामग्री का निर्माण।

सेवा क्षेत्र

- सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात सॉफ्टवेयर क्षेत्र।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा अर्थात बीपीओ (कॉल सेंटर) क्षेत्र।
- पर्यटन, पर्यटन आधारित व्यापार, होटल, आवभगत आदि।
- यातायात, सामग्री का आवागमन, भंडारण, पैकिंग आदि सेवाएं।
- संगठित खुदरा व्यापार।
- भवनों, दूकानों आदि की खरीद-बेच।
- मीडिया, मनोरंजन, प्रसारण, प्रसारण वस्तु जैसे– सीरियल, समाचार, वार्ताएं आदि, एनीमेशन, क्षेत्र।
- स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं।
- बैंकिंग, बीमा व अन्य वित्तीय सेवाएं।
- शिक्षा, प्रवीणता/कौशल निर्माण क्षेत्र।

आज निजी क्षेत्र उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वह रक्षा क्षेत्र जैसे अब तक अछूते रहे क्षेत्र में भी प्रवेश के प्रयास कर रहा है। ऐसे अनेक क्षेत्रों जिनमें अभी तक केवल सरकार का ही आधिपत्य था, में अब सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी की चर्चा चल रही है। चर्चा में रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तो प्रारंभ से ही निजी क्षेत्र का आधिपत्य है और उन्हें असाधारण सुविधाएं व छूट दी जा रही हैं।

निजी क्षेत्र से अपेक्षाएं

जहां एक ओर निजी क्षेत्र असाधारण प्रगति कर रहा है वहीं इस क्षेत्र से अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। बढ़ती अपेक्षाओं का एक कारण सरकार व सरकारी व्यवस्था से बढ़ती निराशा भी है।

असाधारण प्रगति के बावजूद निजी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जिसमें छोटे व मझोले व्यवसाय आते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वर्ष 2008 में आई विश्वव्यापी मंदी में इन्हें भारी नुक़सान उठाना पड़ा और अब ये धीरे-धीरे मज़बूत हो रहे हैं। अभी इन पर विकलांगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार देने का दायित्व डालना कठिन है।

बड़े उद्योग अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं पर ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिद्वंदिता का सामना कर रहे हैं। देश के अनेक भागों में फैली अराजकता, नक्सली हिंसा, क्षेत्रीयता आदि का इन्हें सामना करना पड़ता है और इस कारण इनका कार्यक्षेत्र सिकुड़ा हुआ है। और कई जगह इन्हें नुक़सान उठाना पड़ता है। कभी-कभी तो कारोबार भी समेटना पड़ता है।

पर फिर भी ऐसे बड़े उद्योगों की कमी नहीं है जो पर्याप्त रूप से स्थिर हैं। उद्योगों के राष्ट्रीय संगठनों जैसे नास्कॉम, सीआईआई, फिक्की आदि में इनके स्वामियों का ही वर्चस्व है। इनमें से कुछ सिद्धांतवश और कुछ दिखावे के लिए ही सही सामाजिक कार्यों के लिए आगे आ रहे हैं।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

कारपोरेट क्षेत्र अब तक मुनाफ़ा कमाने वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। इसके मुनाफे का कुछ भाग करों आदि के रूप में सरकार के खजाने में जाता है जिससे सरकार अपना प्रशासनिक ख़र्च चलाती है और साथ में कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।

पर समय के साथ सरकार के प्रशासनिक ख़र्च बेतहाशा बढ़ते गए और कल्याणकारी योजनाएं हल्की पड़ती गई। भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद के कारण कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। न्यायालयों की सक्रियता व सूचना के अधिकार के कारण अब सत्य के उजागर होने के मामले बढ़ने लगे हैं। इस कारण अब सरकार भी औद्योगिक घरानों से अपेक्षा करने लगी है कि वे अपने स्तर पर सामाजिक योजनाएं चलाएं। इसके लिए करों में छूट आदि के प्रावधान भी किए हैं।

औद्योगिक घरानों व व्यावसायिक संगठनों द्वारा धर्मार्थ कार्य करना कोई नयी बात नहीं है। देश के हर बड़े शहर में बिड़ला परिवार द्वारा बनवाए गए मंदिर व धर्मशालाएं हैं। टाटा परिवार द्वारा स्थापित अस्पताल, अनुसंधान संस्थान जैसे– टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस आदि प्राचीन संस्थान हैं और अपने क्षेत्र में इनका योगदान अप्रतिम है।

पर अभी तक यह यत्र-तत्र और यदा-कदा ही रहा है। इसमें अपने कुकर्मों, कमियों को ढकने, नाम कमाने, परलोक सुधारने की भावना अधिक रही है। वास्तविक कार्य करने और योजनाबद्ध तरीक़े से दीर्घकालिक रूप से कार्य करने की भावना का अभाव रहा है। यही कारण है कि लोगों को इस प्रकार के कार्यों में न तो अधिक विश्वास है और ना ही अधिक अपेक्षा है।

इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि आज जब से शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुला है तब से लगभग सभी उद्योगपतियों ने अपने अपने शिक्षा संस्थान खोल लिए हैं। पहले बिट्स पिलानी तथा बीआईटी मेसरा ही लोकप्रिय थे पर अब जेपी, थापर, असंल, निरमा आदि के शिक्षण संस्थान भी नाम कमा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी धन और यश कमाने की भावना अधिक है पर शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान मिल रहा है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता है।

विकलांगों के लिए योगदान

उपर्युक्त वातावरण में यह स्पष्ट है कि समाज व सामाजिक संगठन इस बात की अपेक्षा करेंगे कि ये उद्योग व इनके संगठन विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करेंगे और समाज के इस सबसे कमज़ोर वर्ग जिसमें सभी जातियों, धर्मों व वर्गों के लोग आते हैं, के लिए कार्य करेंगे।

विकलांगों का वास्तविक उत्थान उनके आर्थिक सशक्तीकरण से ही होगा जोकि उनको उचित लाभदायक, सम्मानजनक रोज़गार देने से होगा। इसके लिए विकलांगों के लिए वकालत

कर रहे संगठनों ने फिक्की, नास्कॉम, सीआईआई से विधिवत निवेदन किया और उनके साथ बैठकें व सेमीनार किए।

इस संबंध में अब तक किए गए प्रयास और उनके परिणाम इस प्रकार हैं :

सीआईआई ने विकलांगों के लिए नीति निर्माण का आह्वान किया है। अपनी वेबसाइट में भी इसका उल्लेख किया है। विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार मेले आयोजित किए। जागरुकता हेतु फिल्मों, सेमीनारों आदि के लिए अनुदान दिए।

इसी प्रकार फिक्की ने विकलांगों की रोज़गार में लगने की क्षमता वृद्धि के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 'जीविका' चलाया। इसके अतिरिक्त विकलांग छात्र-छात्राओं और उनके लिए कार्य करने वाले संगठनों को कंप्यूटर आदि बांटे। ये सभी कार्यक्रम अल्पकालिक है।

नास्कॉम से अपेक्षा अधिक थी और अब भी है क्योंकि सॉफ्टवेयर क्षेत्र तथा कॉल सेंटर ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकलांग पुरुष व महिलाएं लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं।

यहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि नास्कॉम ने महिलाओं को सॉफ्टवेयर उद्योग व कॉल सेंटरों के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और वे सफल भी रहे हैं। नास्कॉम ने महिलाओं को इस क्षेत्र में लाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों का विश्लेषण, महिलाओं द्वारा इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के मामलों के उदाहरण आदि देकर किया है, जिससे महिला वर्ग तथा उद्योग जगत दोनों को लाभ हुआ है।

यदि ऐसे ही सघन प्रयास विकलांगों के लिए हों तो न केवल विकलांगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा वरन अन्य क्षेत्रों के लिए बेहतर उदाहरण प्रस्तुत होगा तथा उद्योग जगत को भी ऐसे कुशल कर्मी मिलेंगे जो नौकरी बदलने के चक्कर में अधिक नहीं रहेंगे।

कुछ क्षेत्रों में कार्य हो भी रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे हैं जिनसे हर प्रकार के विकलांगजनों के लिए वेबसाइट तक पहुंचना, उसका उपयोग करना सरल हो जाएगा। साथ ही सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के टूलों को विकलांगों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के प्रयास भी चल रहे हैं।

अनेक कंपनियों ने अपने स्तर पर छोटे-बड़े प्रयास किए हैं। अनेक होटलों-केएफसी आदि ने मूक-बधिर कर्मियों को वेटर के रूप में नियुक्त करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। टाटा कंसल्टेंसी, आईबीएम आदि ने बेहतर उपकरण, सॉफ्टवेयर आदि विकसित करके विकलांगों को रोज़गार में लाने के साधन उपलब्ध कराएं हैं।

आज की स्थिति

उपर्युक्त प्रयासों का अब तक क्या और कितना परिणाम मिला है, आइए देखें :

वर्ष 1999 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों में मात्र 0.28 प्रतिशत विकलांग हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपने मूल देशों (पश्चिमी देशों व जापान आदि) में इस संबंध में सरकारी नियमों, प्रावधानों व परंपराओं का सख्ती से पालन करती हैं। भारत में इनकी घोर उपेक्षा हो रही है। इन कंपनियों में मात्र 0.05 प्रतिशत कर्मचारी ही विकलांग हैं।

भारत की प्रथम 100 सॉटफ्वेयर (कॉलसेंटर सहित) कंपनियों में मात्र 0.58 प्रतिशत विकलांग पुरुष व महिलाकर्मी हैं।

वर्ष 2007 में टीसीएस-सीआईआई ने इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया था। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित उत्पादन क्षेत्रों तथा कॉल सेंटरों से जानकारी मांगी गई थी। इनमें से 73 प्रतिशत कंपनियों ने जानकारी दी थी और किसी में भी विकलांगों को रोज़गार देने की स्पष्ट नीति नहीं थी। तात्पर्य यह कि जो विकलांग नौकरी में हैं वे अपनी योग्यता के कारण ही हैं। निश्चित रूप से कुछ स्थानों पर व्यक्तिगत या स्थानीय प्रयास अवश्य रंग लाए होंगे।

प्रयास भ्रामक व परिणाम शर्मनाक

विकलांगता कानून 95 के अनुसार सरकार का यह दायित्व है कि वह ऐसी योजनाएं लाए ताकि निजी क्षेत्र में विकलांगों को रोज़गार मिल सके। कानून बनने व लागू होने के एक दशक पश्चात वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्तमंत्री ने संसद में घोषणा की थी कि सरकार अपने प्रयासों से निजी क्षेत्र में 25,000 मासिक वेतन तक वाले एक लाख रोज़गार दिलाएगी।

इससे काफ़ी आशाएं जगीं थीं। पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वह भी मरी हुई। सरकार ने निजी क्षेत्र को विकलांगों को रोज़गार देने के लिए मात्र भविष्य निधि अंशदान व ईएसआई प्रीमियम देने की घोषणा की। यह आटे में नमक बराबर था। इसके लिए सरकारी मद में 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

अक्तूबर 2008 में फिक्की में व्याख्यान देते समय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। इस योजना के प्रचार-प्रसार में 16 करोड़ रुपये खर्च हो गए पर परिणाम लगभग शून्य ही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र की अनदेखी

यह सौभाग्य का विषय है कि भारत उन राष्ट्रों में से है जिन्होंने विकलांगों के अधिकारों से संबंधित घोषणा-पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे पर इनके क्रियान्वयन के मामले में यह सबसे पीछे हो गया है।

आज भारत में अन्य वर्गों की देखादेखी विकलांगों में भी शिक्षा का तेज़ी से प्रसार हो रहा है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि में आरक्षण का पालन हो रहा है। इस प्रकार से अब थोड़ी ही सीटें खाली रह पाती हैं। इसके अतिरिक्त सहायक उपकरणों के उपयोग का चलन भी बढ़ रहा है जिससे कार्यक्षमता और अधिक बढ़ जाती है। न्यायपालिका व मीडिया भी सक्रिय व सतर्क हैं।

पर यदि निजी क्षेत्र विकलांगों को उचित, लाभदायक व दीर्घकालिक रोज़गार प्रदान करने के लिए मन नहीं बनाएगा तो विकलांगों में घोर निराशा व कुंठा का भाव जगेगा। दूसरी ओर संस्थान भी इस बात से परेशान रहेगा कि उसके कर्मी व प्रबंधक जल्दी-जल्दी नौकरी बदलते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि विकलांग कर्मी अपेक्षाकृत अधिक अनुशासन प्रिय होते हैं तथा उनमें नौकरी बदलने की उतनी शीघ्रता नहीं होती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल आबादी का 3 प्रतिशत विकलांगता का शिकार है। यदि इनके परिवारजनों जो इनसे प्रभावित होते हैं को जोड़ा जाए तो यह संख्या दस प्रतिशत से पार कर जाती है। आबादी के इतने बड़े हिस्से के लिए सरकार व समाज को जगाना ही होगा।❑

(लेखक विकलांगता निवारण और सशक्तीकरण पर अनेक पुस्तकों के प्रणेता हैं।

ई-मेल : vinodmishra_60@yahoo.co.in)

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

24 दिसम्बर 2010

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता : अपने उत्तरदायित्व निभाएं, अधिकार जताएं।

सयानी रानी का कहना-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें और एक जागरूक उपभोक्ता बनें...

शिकायत किन स्थितियों में

- किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आप को हानि/क्षति हुई है।
- यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है।
- किराए पर ली गई/उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है।
- यदि आप से प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा तय मूल्य अथवा दोनों में से स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है।
- यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है।

उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत

- सामान से खराबियां हटाना
- सामान को बदलना
- चुकाए गए मूल्य को वापिस पाना
- हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति
- सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाना
- पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद–व्यय प्रदान करना
- व्यापारी द्वारा अनुचित /प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग पर रोक
- जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाले सामान के विक्रय पर रोक

जनहित में जारी :

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

YH-12/10/15

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

24 दिसम्बर 2010

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता : अपने उत्तरदायित्व निभाएं, अधिकार जताएं।

सयानी रानी का कहना-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें और एक जागरूक उपभोक्ता बनें...

शिकायत कैसे की जाए

शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :-

- शिकायत कर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता।
- शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहा हुआ।
- शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज
- शिकायत पर शिकायतकर्ताओं अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं

शिकायत कहां की जाए

यह सामान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है।

- यदि यह 20 लाख रु. से कम है– जिला फोरम में।
- यदि यह 20 लाख रु. से अधिक लेकिन 1 करोड़ रु. से कम है– राज्य आयोग के समक्ष।
- यदि 1 करोड़ रु. से अधिक है–राष्ट्रीय आयोग के समक्ष

शिकायत कौन कर सकता है

- उपभोक्ता
- कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है
- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार
- एक अथवा एक से अधिक उपभोक्ता
- उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में, उसके कानूनी वारिस अथवा प्रतिनिधि

जनहित में जारी :

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

YH-12/10/16

ख़बरों में

● उड़ीसा अब ओडिशा

लोककसभा ने गत दिनों उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने संबंधी विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सदन ने राज्य में बोली जाने वाली भाषा उड़िया को ओड़िया कहे जाने संबंधी संशोधन को भी मंजूरी दे दी। गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा बजट सत्र में पेश नाम परिवर्तन विधेयक 2010 और इसी संबंध में संविधान के 113वें संशोधन विधेयक को सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। श्री चिदंबरम ने कहा कि संघीय व्यवस्था की सच्ची भावना के अनुरूप संसद ने राज्य के लोगों की इच्छा का सम्मान किया। उड़ीसा विधान सभा ने दिसंबर 2008 में राज्य और भाषा का नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। ❑

● आडवाणी ने दिलाया पहला स्वर्ण

स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स एकल का ख़िताब जीतकर 16वें एशियाई खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं निशानेबाजों ने भी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रजत और कांस्य पदक जीते। पंकज आडवाणी ने अपनी ख़्याती के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए फाइनल में म्यामां के वू ने थावे वू को 3-2 से हराया।

हिना सिद्धू, अनुराज सिंह और सानिया राज ने महिलाओं की दस मीटर एअर पिस्टल टीम स्पर्द्धा में रजत पदक जीता जबकि विजय कुमार ने पुरुषों की दस मीटर एअर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया।

राष्टमंडल खेलों के नायक नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एअर राइफल के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक तथा बाद में उन्होंने बिंद्रा और संजीव राजपूत के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी दूसरा स्थान हासिल किया। 27 वर्षीय नारंग अपने विश्व रिकार्ड (703.5) से बेहतर नहीं कर पाए और उन्हें 700.7 (597 और 103.7) के स्कोर से रजत पर संतोष करना पड़ा।

देश के ध्वजवाहक नारंग ने कहा, "मैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाने से काफी खुश हूं। साथ ही मुझे इस बात से खुशी है कि हमने दो रजत पदक जीते। मेरी दो स्पर्धाएं और बाकी हैं और मुझे इनमें अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है।"

आशीष कुमार ने जिम्नास्टिक में पहले पदक और वीरधवल खाड़े के कांस्य से तैराकी में 24 साल के सूखे के खात्मे की बदौलत इतिहास रचते हुए चार कांस्य पदक अपनी झोली में डाले।

खाड़े ने 50 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में कास्य जीतकर एशियाई खेलों में पिछले 24 साल में तैराकी का पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। डी. हरिका ने महिला व्यक्तिगत शतरंज स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वुशु ने 60 किग्रा स्पर्धा में बिमोलजीत सिंह मायांगलंबम ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता।

इस प्रकार एशियाई खेलों में भारत के अब एक स्वर्ण, चार रजत और छह कांस्य हो गए हैं। ❑

● प्रथम बाल साहित्य पुरस्कार

बाल दिवस के मौके पर साहित्य अकादमी की ओर से स्थापित पहले बाल साहित्य पुरस्कार से हिंदी में प्रकाश मनु, राजस्थानी में दमयंती जाड़ावत 'चंचल', संस्कृत में पद्म शास्त्री, उर्दू में गुलाम हैदर, मैथिली में तारानंद वियोगी, अंग्रेज़ी में मिनी श्रीनिवासन और पंजाबी में जसबीर भुल्लर को सम्मानित किया। इसके अलावा, बोडो में नबीन मल्ल बर, डोगरी में ज्ञानेश्वर, मणिपुरी में कोंगबम उंगबी, ईबेयाईमा, मराठी में अनिल अचवट, ओड़िया में पुण्यप्रभा देवी, सिंधी में खीमन यू मूलाणी, तमिल में मा. कमलवेलन, तेलुगु में कलुवकोलनु सदानंद, कन्नड़ में बोलवार महमद कुंजि, कश्मीरी में एस. राजी, कोंकणी में प्रकाश पयेंकार और मलयालम में सिप्पी पल्लिप्पुरम को भी यह पुरस्कार दिया गया।

बाल साहित्य में समग्र योगदान के लिए असमिया में गगन चंद्र अधिकारी, बांग्ला में सरल डे, गुजराती में यशवंत मेहता, नेपाली में नैन सिंह योंगन और संताली में वयहा विश्वनाथ टुडु को यह पुरस्कार दिया गया।

बाल साहित्य पुरस्कार पाने वालों में दमयंती सबसे युवा रचनाकार हैं और नेपाली के नैन सिंह सबसे अधिक उम्र के रचनाकार हैं। पुरस्कार के रूप में लेखकों को 50 हज़ार रुपये और साहित्य अकादमी का प्रतीक चिह्न दिया गया। ❑

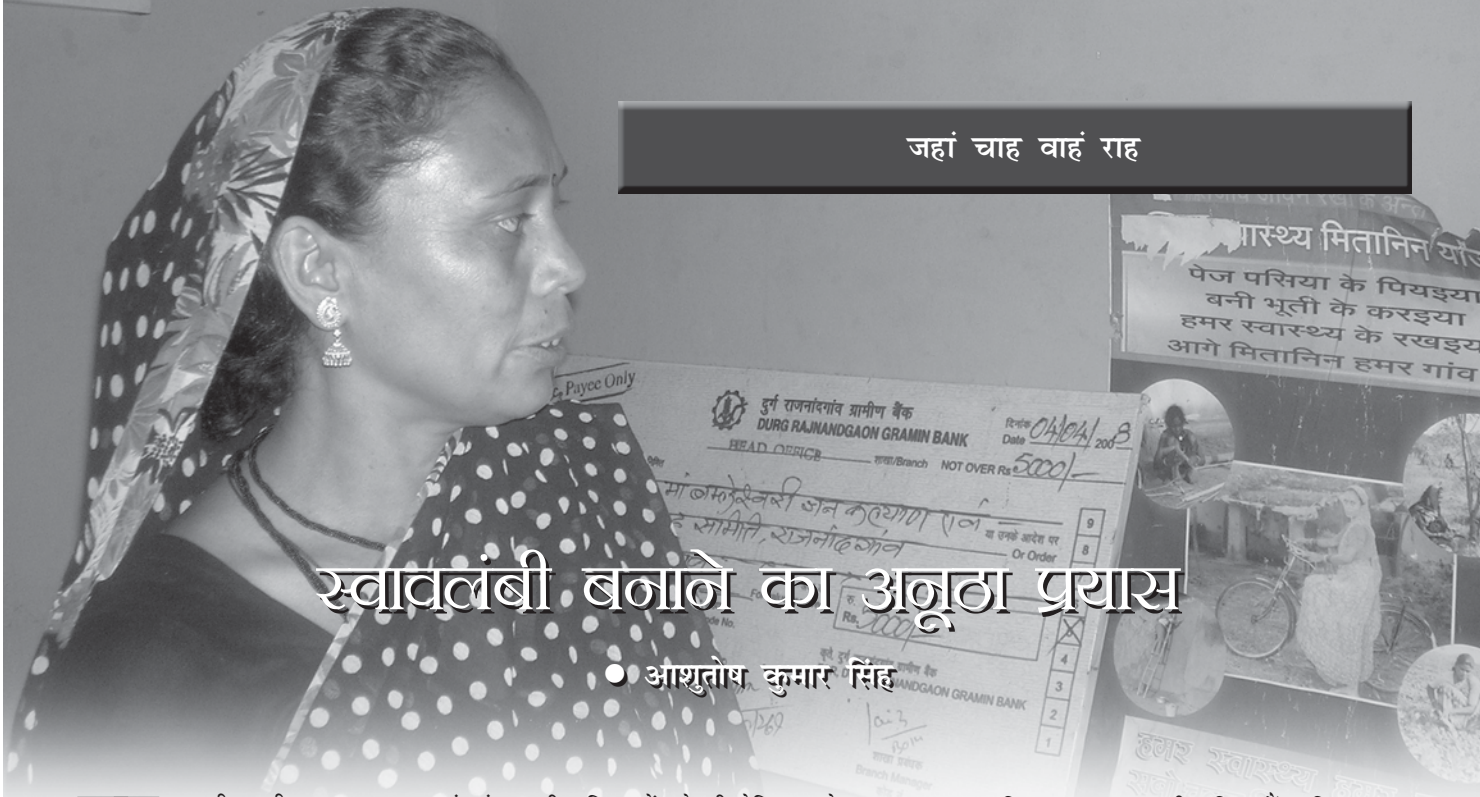

स्वावलंबी बनाने का अनूठा प्रयास

● आशुतोष कुमार सिंह

यह कहानी छत्तीसगढ़ राज्य, राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड में जन्मी फूलबासन बाई की है। सन 2001 में मितानिन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से हुई और फूलबासन बाई का चुनाव मितानिन के रूप में हुआ। मितानिन बनने के बाद फूलबासन बाई के जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। मितानिन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक पारे में 60,000 मितानिन स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। मितानिन कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें मितानिन कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार का निश्चित मानदेय या आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है।

फूलबासन बाई का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन में सामाजिक दबाव के कारण बाल विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात भी फूलबासन बाई के जीवन में कठिनाइयां कम न हुईं। फूलबासन बाई का परिवार बकरी पालकर जीवनयापन करता था।

जिस समय देश में प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता का माहौल बना, उसी समय फूलबासन बाई के गांव में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रात्रि पाली में पढ़ाई की शुरुआत हुई। फूलबासन बाई ने समय के महत्व को समझा और आगे की पढ़ाई प्रारंभ की। फूलबासन बाई ने अपने आस-पास की महिलाओं को भी प्रेरित करके पढ़ाना शुरू किया। गांव की एक सभा में फूलबासन बाई को पता चला कि किस प्रकार गांव की महिलाएं थोड़ी-थोड़ी बचत करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। फूलबासन बाई द्वारा महिलाओं के लिए साक्षरता अभियान के बाद उन्हें स्वावलंबी बनाने का यह एक बड़ा प्रयास था।

फूलबासन बाई ने अब ठान लिया कि वह अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। उसने अपने गांव की आस-पास की महिलाओं को एकत्र करके स्व सहायता समूह से जोड़ना प्रारंभ किया। फूलबासन बाई के इस कार्य का उनके घर वालों ने काफी विरोध किया। फूलबासन बाई ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला समूह के सदस्यों ने फूलबासन बाई के मार्गदर्शन में बचत की गई राशि से तालाब का ठेका, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दोना-पत्तल निर्माण आदि कार्य करने लगी। आस-पास के गांव से भी महिलाएं फूलबासन बाई के मार्गदर्शन में समूह से जुड़ना प्रारंभ किया। महिलाओं द्वारा समूह में कार्य करने से उनकी आय बढ़ने लगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। महिला समूहों की सभी सदस्यों ने साइकिल चलाना सीखा। इसका फायदा यह हुआ कि महिलाओं की पहुंच शहरों तक बढ़ गई। यह उनके सशक्तीकरण का प्रतीक बन गया।

फूलबासन बाई द्वारा बनाए गए दस हज़ार महिला समूह आज भी सक्रिय हैं। महिला समूह के पास आय उपार्जन के बहुत सारे कार्य हैं। आज समूह ने दो लाख महिलाओं को सक्रियता से जोड़ा है। समूह की महिलाएं अपनी मेहनत से वर्तमान में नौ करोड़ से अधिक रुपये इकट्ठा कर चुकी हैं।

फूलबासन बाई आज नाम मोहताज़ नहीं है। फूलबासन बाई को उनके सराहनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मिनीमाता पुरस्कार, जीटीवी ने रेयर अचीवमेंट पुरस्कार तथा यूनियन बैंक द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। फूलबासन बाई ने पुरस्कार में प्राप्त समस्त राशि महिला समूहों और ग़रीब व ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दिया। कुछ राशि से ज़िला स्तर पर एक भवन और कार्यालय बनाया गया है। इसका उपयोग गांव से जिले में आने वाली बहनों के लिए किया जाता है ताकि ऐसी बहनें निःशुल्क रात्रि विश्राम कर अपना कार्य कर वापस अपने गांव लौट सके।

इतना सारा कार्य करने और इतना अधिक सम्मान प्राप्त करने के बाद भी फूलबासन बाई के कार्य और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। फूलबासन बाई आज भी अपनी बकरियों के साथ दिख जाएगी। उनको मितानिन स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े होने पर गर्व है। ❑

(लेखक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर में प्रशिक्षण सलाहकार हैं।

ई-मेल : singh.ashutosh@gmail.com)

ALS सामान्य अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सामान्य अध्ययन

हिन्दी माध्यम **GS की सर्वश्रेष्ठ टीम**

• GS Basics एवं रणनीति By Manoj Kr Singh • इतिहास व संस्कृति By YD MISRA एवं Manoj Kr Singh • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी By Sharad Tripathi • भारतीय राजव्यवस्था By M Gautam & Manoj Kumar Singh • भारतीय अर्थव्यवस्था By Arunesh Singh • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे By S Tripathi & M. Gautam • मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकी By A K Singh • भूगोल By Dr Shashi Shekhar & B M Panda

सर्वश्रेष्ठ कक्षागत योजना

✓ **एकीकृत कक्षागत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

• फाउंडेशन हेतु 510+ घंटे का क्लासरूम प्रशिक्षण • उत्तर लेखन व मूल्यांकन हेतु 75 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण • प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार अद्यतन अध्ययन सामग्री • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक समसामयिक व सामाजिक विषयों की तैयारी हेतु विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था • सामान्य ज्ञान अभिवर्धन पर विशेष बल

✓ **कक्षा प्रशिक्षण योजनाएँ**

• प्रारंभिक परीक्षा हेतु 21 टेस्ट सिरीज कार्यक्रम • 45 कक्षागत (250 शब्द, 150 शब्द, 100 शब्द, 50 शब्द, 20 शब्द) मुख्य परीक्षा टेस्ट • UPSC प्रतिमान पर आधारित मूल्यांकन व व्यक्तिगत फीडबैक व्यवस्था • महत्वपूर्ण पुस्तकों यथा NCERT, India Year Book राजपत्र पर आधारित परीक्षण व्यवस्था

CSAT

(हिन्दी माध्यम)

under the expert guidance of
Shashank Atom, Jojo Mathew & Manoj Kr Singh

CSAT हेतु सर्वश्रेष्ठ टीम
Jojo Mathew, A Singh, Sharad Tripathi
एवं अन्य विशेषज्ञ

सर्वश्रेष्ठ कक्षागत योजना
(Programme Highlights)

- 110 दिनों की कक्षागत योजना
- कक्षा के साथ-साथ प्रतिदिन टेस्ट
- 30 अतिरिक्त टेस्ट
- अद्यतन अध्ययन सामग्री

CSAT हिन्दी माध्यम बैच प्रारंभ

Batch I
10 Dec (06:00pm-08:30pm)

Batch II
24 Jan (02:30pm-05:00pm)

50% concession for ALS students

Programme Director : **Manoj Kumar Singh**
Managing Director: ALS, Interactions IAS Study Circle, Competition Wizard, ISGS

GS बैच प्रारंभ

Batch I
18 नवम्बर
(Time: 11:30am-02:00pm)

Batch II
10 दिसम्बर
(Time: 11:30am-02:00pm)

इतिहास **भूगोल**
लोक प्रशासन **समाजशास्त्र**

सभी बैच प्रारंभ
28 नवम्बर एवं 10 दिसम्बर

सर्वश्रेष्ठ रिज़ल्ट
चार वर्षों में दूसरी बार **ALS** संस्थान से हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च स्थान

9 RANK
Jai Prakash Maurya
वर्ष 2009 में सर्वोच्च स्थान

15 RANK
Manoj Jain
वर्ष 2005 में सर्वोच्च स्थान

सामान्य अध्ययन (नियमित कक्षा के छात्र)

IAS 2009 Results
Total selections
230+

ALS GS & CSAT TEST SERIES PROGRAMME
for **Prelim 2011**
at North and South Delhi Centre
Batches Begin: 05 Dec & 12 Dec

ALS ADMISSION ENQUIRY
011-27651110
9810312454
9999343999
9810269612
9910602288

ALS Alternative Learning Systems

IAS Study Circle **interactions** Shaping dreams into success

Be in touch...
Manoj K Singh
Managing Director, ALS

Alternative Learning Systems (P) Ltd. Visit us at: www.alsias.net
Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-09.
Ph: 27651700. ***South Delhi Centre:*** 62/4, Ber Sarai, Delhi-16. Ph: 9868773344, 26861313.

YH-12/10/10

पुस्तक का नाम : भूख तथा अन्य कहानियां **लेखक :** डॉ. सुभाष शर्मा **प्रकाशक :** भारतीय ज्ञानपीठ 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003 **प्रथम संस्करण :** 2010 **मूल्य :** 200 रुपये

कटु यथार्थ से टकराती कहानियों का नया संसार

● **प्रतिभा**

किसी भी साहित्य व परंपरा में लिखी गई कहानियों की जीवंतता पुराने विश्वासों को आगे बढ़ाने और उसका संरक्षण करने की जिद पर नहीं अपितु नयी एवं समकालीन चुनौतियों का मुक़ाबला करने की क्षमता पर निर्भर करती है। वैसे भी सच्ची एवं यथार्थवादी कहानियों में रचा-बसा मन जब जीवन के परम क्षणों और सुखों को भोग कर वास्तविक जीवन की तलाश में उतरता है तो अपने आप ही यथार्थ के कटु सत्यों से उसकी सीधी मुठभेड़ हो जाती है और यही मुठभेड़ कहानीकार को नयी ऊंचाइयां देने के साथ-साथ उसके अंतर्मन में नयी उद्भावनाओं का बीजारंभ भी करता है। इस लिहाज़ से डॉ. सुभाष शर्मा की सद्य: प्रकाशित कहानी संग्रह *भूख तथा अन्य कहानियां* हर दृष्टि व पैमाने से खरी उतरती हैं।

इस कहानी संग्रह में कुल 20 कहानियां है जिसमें अधिकांश का सरोकार आम आदमी की जीवनशैली, मान्यताओं तथा परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे तो समकालीन कहानीकारों में परंपरागत मान्यताओं, आस्थाओं और विश्वासों को तोड़ने की एक मुहिम-सी छिड़ी हुई है पर इस संग्रह के माध्यम से डॉ. शर्मा ने परंपरागत मान्यताओं और विश्वासों से बगैर छेड़छाड़ किए एक नये किंतु अनूठे प्रयोग का आगाज़ किया है जिस पर विशेष रूप से गौर किया जाना चाहिए। इन कहानियों की पटकथा को बुनते समय कहानीकार ने अपनी पूरी ईमानदारी, सर्तकता और निष्ठा का अहसास हर स्तर पर कराने की कोशिश की है। प्राय: यह भी माना जाता है कि यदि कोई कहानीकार अपने समय के सवालों को लेकर आंदोलित और उद्वेलित नहीं होता तो वह कहानियों के वास्तविक मर्म के साथ-साथ पाठकों के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। इस कहानी संग्रह में इन सभी बातों का पूरी सर्तकता के साथ ध्यान रखने की कोशिश की गई है।

प्रस्तुत संग्रह के प्रारंभ की पांच कहानियां जहां एक ओर हमें विश्वग्राम की संकल्पना से रू-ब-रू कराती है वहीं दूसरी ओर संस्कृतियों और परंपराओं के ऊपर कुछ तीखें व्यंग्य भी करती है। एक उदाहरण देखा जा सकता है : "*रामदुलारी की कराह से रात भी बेचैन हो गई थी और आसमान के तारे शोक मनाते-मनाते बादलों की चादर ओढ़कर सो गए।*" (उभरती लकीरें)

इन कहानियों में कहीं-कहीं पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संबंधों के नियमित बांधों को तोड़ने की परंपरा की बेवजह कोशिश की गई है जो पाठक को खटकने के साथ-साथ कचोटती भी है। एक उदाहरण देखा जा सकता है : "*पीपल का वृक्ष जिसकी देखते ही देखते सारी पत्तियां झड़ गई और कल का हरा-भरा गाछ अब मात्र एक ठूंठ बन कर रह गया मानो वह उन सबका श्राद्ध करने के लिए अपना भी तर्पण कर रहा हो।*" (भूख)

प्रस्तुत कहानी संग्रह के मध्य भाग की कहानियां जहां एक ओर वैचारिक खुलेपन, तीक्ष्णता तथा सुरुचि एवं गहन चिंतन का बोध कराती हुई चलती हैं वहीं दूसरी ओर इनमें मुक्ति और प्रगतिशीलता के नाम पर अनावश्यक रूप से परंपरा को कोसने की कवायद भी गई है।

यदि हम कथा साहित्य पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि समकानीन हिंदी कहानियों में हमेशा से वंचितों, अभावग्रस्तों, शोषितों और उत्पीड़ितों को सहारा देने के साथ-साथ उनके प्रति सहानुभूति का भाव न्यायपूर्ण तरीक़े से रखने की परंपरा है। इसी परंपरा को एक नये रुमानी अंदाज एवं प्रयोग के साथ आगे बढ़ाने का कार्य डॉ. सुभाष शर्मा ने अपनी इस कहानी संग्रह के माध्यम से करने का साहस दिखाया है। जो क़ाबिले तारीफ़ है।

कहानियों को नापने का न तो कोई इंच-टेप होता है और न कोई पैमाना। यदि कोई कहानी अपनी स्वाभाविक गति से पाठकों का ध्यान आकर्षिकत करते हुए आगे बढ़ रही है और उसमें पाठकों को धक्के नहीं लग रहे हैं तो यह मान लिया जाना चाहिए कि यह कहानी ईमानदारी से लिखी गई है। साथ ही यदि किसी कहानी में जोड़तोड़ कर जगह-जगह सलमी सितारे टांक कर जरी तार की पच्चीकारी कर कहानी के पेट को बुना गया है और उसमें भी पाठकों को जगह-जगह अटकने के लिए मज़बूर होना पड़ रहा है तो यह समझ लीजिए कि उसमें शिल्प चाहे कितना भी पिरोया गया हो, यह बात असंदिग्ध रूप से कही जा सकती है कि उस कहानी में पूरी ईमानदारी नहीं बरती गई है। इस दृष्टि से यदि हम इन कहानियों का बारीकी एवं गंभीरता से विश्लेषण करें तो हम कुछ हद तक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि डॉ. सुभाष शर्मा ने इन कहानियों के साथ पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने सदियों से चली आ रही पाप-पुण्य, नैतिक-अनैतिक, जय-पराजय तथा लाभ-हानि के बीच होने वाले द्वंद्व के बीच एक नये विमर्श की ज़ोरदार पैरवी की है।

कहानियों की भाषा और शैली इतनी रोचक है कि पाठकों के समक्ष अपने आप ही एक सजीव चित्र उभर कर सामने आ जाता है। स्वाभाविक उपमाओं, प्रतीकों, हृदयस्पर्शी संवादों तथा मुहावरों के सहारे कुछ कहानियां जहां एक ओर समकालीन हिंदी कहानी के एक नये अध्याय का श्रीगणेश करने में समर्थ होती दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर कुछ कहानियां अपने हल्केपन, अनावश्यक शब्दों के बेखौफ़ उपमाओं व प्रतीकों के लिए भी लंबे अर्से तक याद की जाती रहेंगी।

स्वाभाविक उपमाओं के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं : "*उनका सिर चक्कर काटने लगा जैसे कीचड़ में फंसी गाड़ी का पहिया चक्कर काटता है।*"

(ठीहे पर आदमी)

"*चुनावी राजनीति जैसे फालतू कुतिया, जिसका सुहाग नहीं होता।*" (अभयदान)

यह कहना अनुचति न होगा कि इस संग्रह की सभी कहानियां ज़िंदगी के अनेक रंगों के साथ पंख फैलाती हुई नज़र आती हैं। साथ ही इनमें आज के परिवेश एवं समकालीन कहानीकारों के बीच अपनी एक अलग राग छेड़ने की स्पष्ट दृष्टि के साथ इनमें स्पष्टवादिता और सक्रिय प्रतिरोध की साहासिकता भी दिखाई पड़ती है। फिर भी इन कहानियों की महक कितनी मतवाली है इसका निर्णय हम पाठकों पर छोड़ते है। ❑

(समीक्षक महर्षि दयानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अजमेर में इतिहास की प्रवक्ता हैं।
ई-मेल : dr_pratibhapandey@yahoo.com)

(पृष्ठ 16 का शेषांश)

और चार प्रतिशत सीमा शेष भारत से लगी है। चिकेंस नेक या सिलीगुडी कॉरिडोर कहा जाने वाला इलाक़ा हमें मुख्य भूमि से जोड़ता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र गैस, तेल, चाय और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादक है जो पाइप लाइन, सड़क और रेल मार्ग से अन्यत्र भेजा जाता है।

फिर भी जब भी उत्तर बंगाल या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ आती है रेल और सड़क संपर्क कट जाते हैं। इसके कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था में भारी व्यवधान आता है। सिर्फ़ असम ही आयात-निर्यात पर निर्भर नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के अन्य राज्यों पर भी इसका असर पड़ता है। यहां से होकर मणिपुर-म्यामां सीमा के मोरेह, तिब्बत-अरुणाचल सीमा पर गेलिंग और मिज़ोरम की म्यामां सीमा पर स्थित परवा तथा त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा पर स्थित अगरतला तक सड़कें जाती हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों का आधार इमारती लकड़ी, तेल, गैस और चाय उत्पादन है।

यदि हम स्वतंत्र रूप से सोचें, तो हमें मानना पड़ेगा कि इस क्षेत्र के लोग मामूली रेज़र ब्लेड से लेकर पेंसिल और अनाज, तारें और टेलीविज़न जैसी चीज़ें आयात करते हैं। इस प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रमुख रूप से एक बाज़ार है, निर्माण केंद्र नहीं। यहां से फल-सब्ज़ियां और पशु बांग्लादेश और म्यामां को निर्यात किए जाते हैं कारण यह कि इस इलाक़े में कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोली गई।

ऐसा नहीं है कि दक्षिण-पूर्व एशिया और दुनिया के अन्य भागों से निवेशक इस क्षेत्र में आने को उत्सुक नहीं है। हमें व्यापार के अवसर नहीं मिलते। जब तक उद्यमिता में भागीदारी नहीं होगी विकास की गति तेज़ नहीं होगी और स्थानीय व्यापार को मज़बूत करने के लिए बाहरी भागीदार समूह उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारी प्रगति की रफ़्तार तेज़ नहीं हो पाएगी।

केंद्र सरकार ने पूरब की ओर देखने (लुक ईस्ट) की पॉलिसी बनाई जो सराहनीय है और जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन इस नीति पर काफी सोच-विचार करने की ज़रूरत है। दक्षिण-पूर्व एशिया के हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए। जल परिवहन की नीति बनाए बिना हम नदियों के रास्ते बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा न किया गया तो भारत सरकार की पूरब की ओर देखने की नीति ब्रह्मपुत्र के तटबंधों के बालू में फंसकर रह जाएगी। अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य सड़के और रेल संपर्क मार्ग अकसर बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और ये सिलसिला हर साल 5 से 8 महीनों तक चलता रहता है। क्या कोई आर्थिक नीतियां ऐसी भी हो सकती है जो इनके विकल्प विकसित करने पर ध्यान न दें?

रेल और सड़क विभागों के प्रवक्ता इसके पैरोकार हैं। लेकिन अंतर्देशीय परिवहन की बात कौन करे, जो सभी परिवहन तंत्रों में सबसे ज्यादा उपेक्षित है। फिर भी इस क्षेत्र के नक्शे पर एक नज़र डालिए? क्या हम इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भारत की आय के साधानों में तुलनात्मक रूप से चौथे नंबर पर लाने में मदद नहीं कर सकते। इस क्रम में बिहार और ओडिशा नीचे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप संभावित इलाक़ा है और यहां अक़सर आने वाली बाढ़ का जवाब नहीं है।

हमने नौका क्लिनिक चलाकर यह साबित कर दिया है कि जल परिवहन का इस्तेमाल अगर बुद्धिमानी से किया जाए तो वह हाल की तक़नीकों से ज्यादा कारगर हो सकता है। अगर इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखनी है तो स्थानीय हित धारकों और हक़ीक़तों का ध्यान रखते हुए नवाचारी परिवर्तन लाना होगा। ऐसा करके ही ब्रह्मपुत्र घाटी और इसके आगे के इलाक़ों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ❑

(लेखक सेंटर फॉर नार्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च, असम के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं तथा जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं।
ई-मेल : sanjoyha@gmail.com)

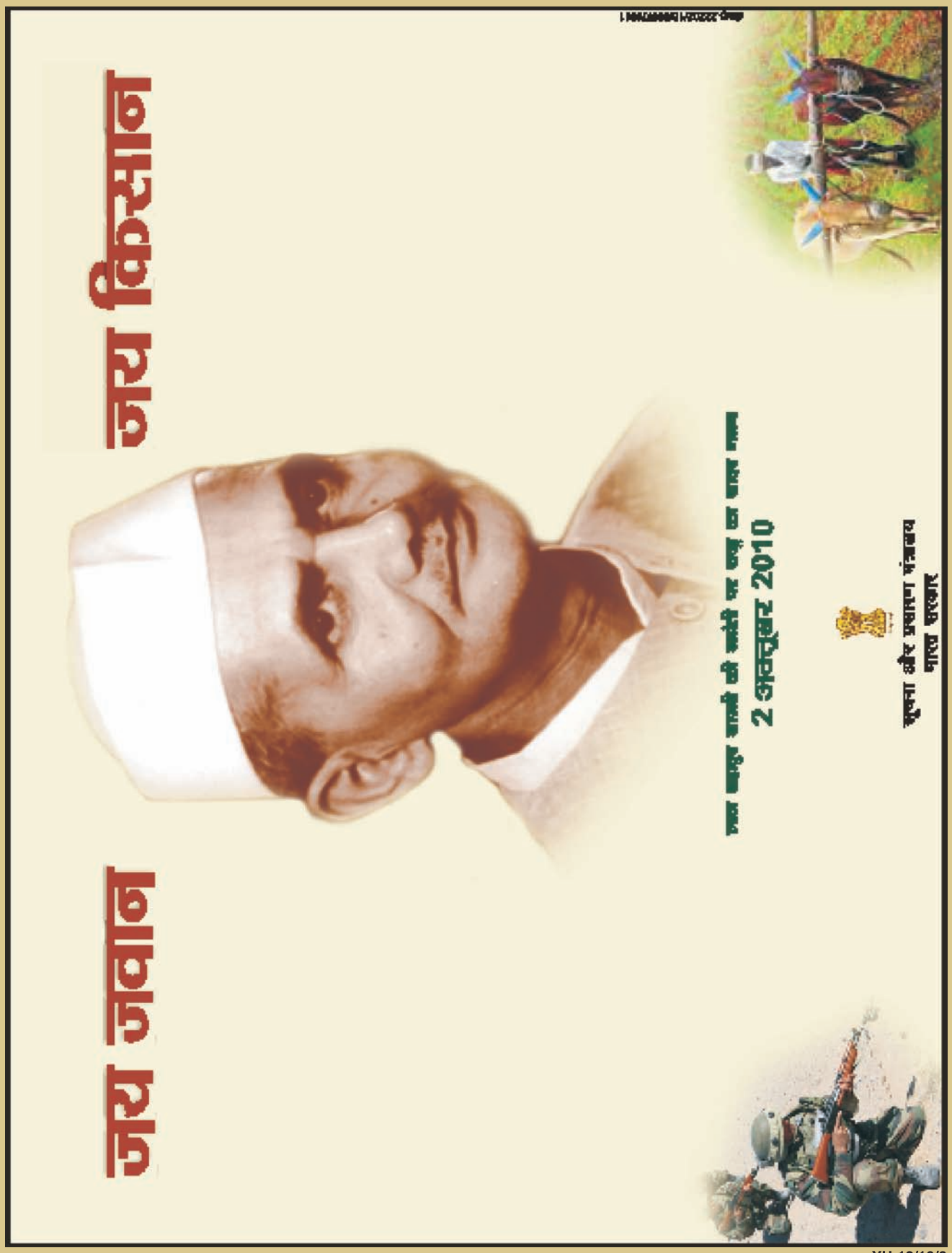

YH-12/10/6

प्रकाशक व मुद्रक अरविंद मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/09-11
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2009-11 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2009-11 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi
26 नवंबर, 2010 को प्रकाशित • 29-30 नवंबर, 2010 को डाक द्वारा जारी

Just Released

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षक भर्ती परीक्षा

PGT
TGT
PRT

योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-वस्तु उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी.

नवीन पैटर्न पर आधारित

• हिन्दी संस्करण

कोड 607 मूल्य : [illegible]/-

कोड 218 मूल्य : [illegible]/-

कोड 1189 मूल्य : [illegible]/-

• अंग्रेजी संस्करण

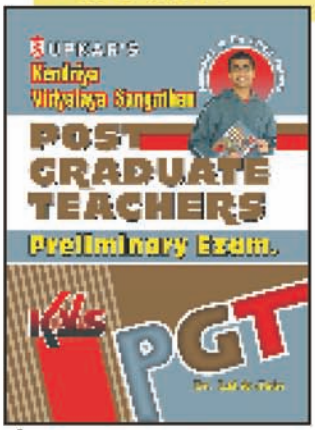

कोड 404 मूल्य : [illegible]/-

कोड [illegible] मूल्य : [illegible]/-

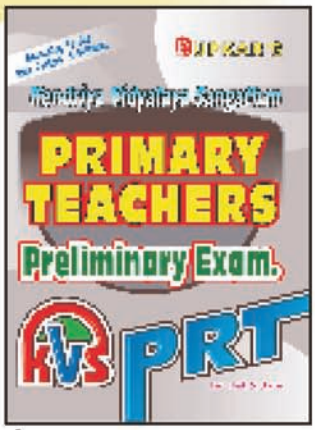

कोड [illegible] मूल्य : [illegible]/-

उपकार प्रकाशन
2/11 ए, स्वदेशी कॉलोनी, आगरा–[illegible] फोन : 4053333, 2531101, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
Website : www.upkar.in E-mail : publisher@upkar.in
संघ कार्यालय : नई दिल्ली फोन : 011-23251944/66 हैदराबाद फोन : 040-66753330

YH-12/10/0